खण्ड-367, अंक-5
बुधवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1906
(11 अप्रैल, 1984 ई0)

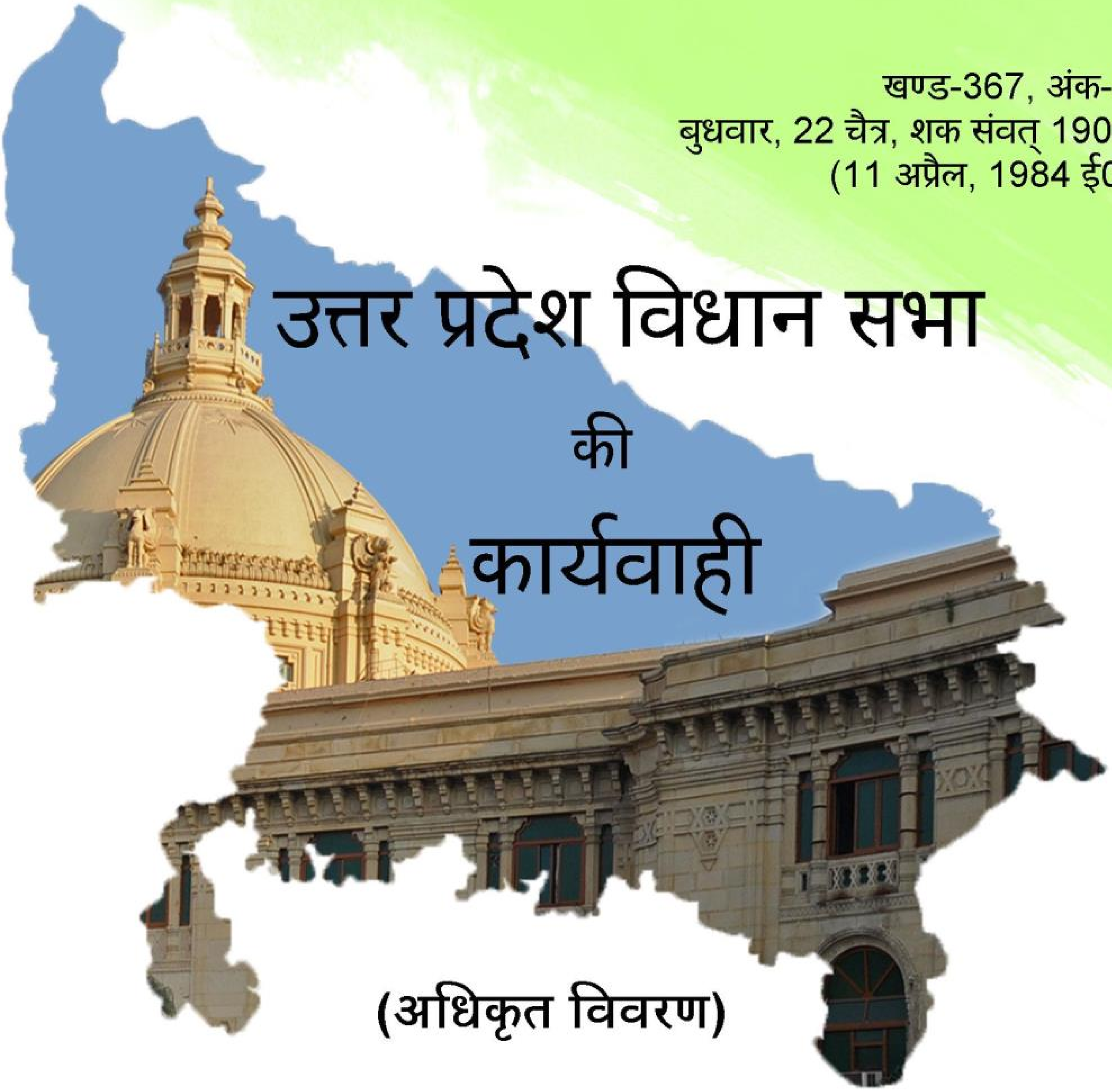

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 367 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	I–4
प्रश्नोत्तर	5–48
गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	48–49
के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में व्याप्त अराजकता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	49–50
ग्राम पकड़ियार विशुनपुर, जिला गोरखपुर में लगी आग से क्षति तथा राहत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	50
देवरिया जनपद के गांवों में आग का प्रकोप तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	50–51
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के डा0 बी0 जी0 तिवारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	51
आगरा जनपद के कतिपय ग्रामों में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	51
प्रकाशिनी देवी, निवासिनी ठकुरी, जिला कानपुर की दहेज के कारण कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	52
रामपुर में गैर कानूनी बसों के चलने से राजस्व की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	52
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	52–54
विधान परिषद् की सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने वाले अध्यापकों के पद को लाभ का पद निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	54–64
एक ही अध्यादेश को बार-बार सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	64–66
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 ..	66

राष्ट्रपति की अनुमति की सूचना

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक-लेखा समिति (1983–84) का सप्तम प्रतिवेदन ..(सदन के पटल पर रखा गया) ..	66–67
शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	67
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	67–68

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	68-76
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) (जारी) ..	77-107
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ..	107-116
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	116
श्री चतुर्भुज त्रिपाठी, जनरल सेक्रेटरी, जनता पार्टी, कानपुर देहात को पुलिस द्वारा डकैती का झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	116-120
एक पुलिस के सिपाही के साथ लगभग डेढ़ दर्जन सशस्त्र डकैतों द्वारा ग्राम बिबियापुर थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात निवासी श्री प्यारे लाल के मकान को लूटने व अपहरण के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	120-122
उग्रवादी सिख युवकों द्वारा बस व ट्रेनों को लूटने के प्रयास सम्बन्धी होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना ..	122
जनपद लखनऊ में नगराम की पुलिस द्वारा कथित पिटाई से चमन लाल नामक युवक की मृत्यु सम्बन्धी वक्तव्य का स्थगन ..	122-123
स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से छुआछूत मानने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	123-126
नस्थियां ..	127-132

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 11 अप्रैल, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बज कर 4 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—321

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन श्री, (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला शाहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, सोलंकी श्री (बरेली)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल रामदास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)

छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जितेन्द्र शाह, श्री (जालौन)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती,' श्री (फैजाबाद)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह मण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह "खुर्जेवाला" (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)

मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज), (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
रामस्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रसाद सिंह, श्री (देवरिया)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)

लढ़ूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद सरोज 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट :—ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री श्री राम सजीवन सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 11 अप्रैल, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पर्वतीय विकास परिषद् की उप समितियों के पुनर्गठन पर विचार

**1—श्री कुंवर सिंह नेगी, डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् की उप समितियां हाल ही में विघटित कर दी गई हैं ? यदि हां, तो इनके विघटन के क्या कारण हैं ? क्या इनके पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

जी हां ।

चूंकि तत्कालीन पर्वतीय विकास परिषद् का विघटन 5 अगस्त, 1983 को किया गया था ।

जी हां ।

परिषद् का पुनर्गठन 6 अगस्त, 1983 को किया गया है तथा परिषद् की उप समितियों के पुनर्गठन का प्रश्न सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है। आदेश शीघ्र ही प्रसारित हो जायेंगे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इन विकास परिषदों की उप समितियों के विघटन करने का क्या कारण है, इनका विघटन क्यों कर दिया गया है । क्या माननीय मन्त्री जी निश्चित तिथि बतायेंगे कि कब इनका पुनर्गठन कर दिया जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्रीमन्, पर्वतीय विकास परिषदों का पुनर्गठन 13 सितम्बर, 1980 को किया गया था, उसके बाद दो बातें हमारे सामने आती हैं, एक तो विकेन्द्रित योजना बनायी गई जिसमें 52 प्रतिशत धन जिलों में उपलब्ध कराया गया, दूसरे जिला परिषदों के चुनाव होने वाले थे, तो हमारा विचार था कि जिला परिषद् के अध्यक्षों को भी इसमें जोड़ लिया जाये, इस कारण इनका विघटन किया गया । अप्रैल के महीने के खत्म होने से पहले ही इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित कर दिए जायेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्पष्ट किया है कि 5 अगस्त, 1983 को पर्वतीय उप समितियों का विघटन किया गया और 6 अगस्त, 1983 को उनका पुनर्गठन किया गया, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह जो पर्वतीय विकास परिषदें हैं इनका उद्देश्य क्या है ? चूंकि आज तक इनका गठन नहीं किया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि उनके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, इसी लिए इनका पुनर्गठन नहीं किया गया ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, मैंने कहा कि मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत और पर्वतीय जिलों में 52 प्रतिशत धन तो जिला सेक्टर में दे दिया गया है और हर जनपद में जिला योजना तथा अनुश्रवण समितियां हैं, उनमें विधान सभा के और विधान परिषद् के सदस्य मेम्बर हैं । वही इनके कार्यों को देखते हैं । इनके पुनः पुनर्गठन पर विचार किया जायेगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, जिस तरह से माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है उससे ऐसा लगता है कि हर चीज जिले में विकेन्द्रित हो गयी है, तो पर्वतीय विकास उप-समितियों की आवश्यकता ही नहीं रह गयी है, वह पूरे पर्वतीय विकास की योजनाओं को संचालित करने के लिए हैं, उप समितियां विभिन्न विभागों को आठो जिलों में प्रगति की समीक्षा करने और उनका संचालन करने वाली संस्थायें हैं। इनको समाप्त हुए 9 महीने हो गये हैं, जिला परिषद् नहीं बनी और अध्यक्षों का चुनाव नहीं हुआ है। लगातार मांग करने के बावजूद भी मुख्य मन्त्री जी ने पर्वतीय विकास परिषद् का पुनर्गठन किया और उसकी मीटिंग नहीं हुई। पहले जो पर्वतीय विकास परिषद् थी उसको समाप्त कर दिया और नई जो पर्वतीय विकास परिषद् बनी उसमें आप नये सदस्यों को लिये हुये हैं और उसका सम्बन्ध सम्बन्धित जिलों से है जब कि उप समिति का सम्बन्ध 8 जिलों से है। तो मैं निश्चित रूप से आपसे यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या आप इसका पुनर्गठन तत्काल प्रभाव से करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि माननीय विद्यासागर नौटियाल जी ने 30-10-1983 को यह प्रश्न पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में उठाया था उस पर मुख्य मन्त्री जी ने उनको यह आश्वासन दिया था कि अप्रैल के अन्त तक इसके बारे में आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि अप्रैल महीने के अन्त तक उप समितियों का गठन कर दिया जायेगा लेकिन जो समितियां पहले बनी थीं, जिनको आपने समाप्त कर दिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को दी थी, उस पर आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अभी बताया कि वह शीघ्र ही पर्वतीय विकास परिषद् और उसकी उप समितियों का पुनर्गठन करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो आप पुनर्गठन कर रहे हैं उसमें पहले जो उसका स्वरूप था पर्वतीय विकास परिषद् का और उसकी उप-समितियों का, उसी को रख रहे हैं अथवा उसे बदल रहे हैं ? यदि बदलाव कर रहे हैं तो उसका क्या स्वरूप होगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, पर्वतीय विकास परिषद् का गठन हो चुका है और उसकी उप समितियों के गठन की बात शेष रह गयी है जिस पर आदेश प्रसारित होने के पहले यह देखना है कि पहले इसका गठन सेक्टर्स के आधार पर होता था, अब क्षेत्रीय आधार पर किया जाना है। इन सारे प्रश्नों पर भी विचार किया जायेगा।

जिला परिषद् जालौन में डाक्टरों के बकाया वेतन का भुगतान

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को इसकी जानकारी है कि जालौन जिले में जिला परिषद् जालौन द्वारा संचालित 8 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के डाक्टरों को विगत 20 माह से वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री (श्री राम सजीवन सिंह)--

जिला परिषद् जालौन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण इन डाक्टरों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका। जिला परिषद् इनके वेतन भुगतान हेतु प्रयत्नशील है परिणाम स्वरूप इन डाक्टरों को दो-दो माह के वेतन का भुगतान मार्च, 1984 में कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि दो माह का वेतन दिये जाने के बाद इन डाक्टरों को 21 माह का अर्थात् लगभग 2 साल का वेतन बकाया है। जिला परिषद् की स्थिति सुदृढ़ है अथवा नहीं, इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जब कोई कर्मचारी नौकरी पर जाता है तो उसी वेतन से वह अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण करता है। यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की स्थिति है। प्रदेश में जितने भी जिला परिषद् के चिकित्सालय हैं चाहे वे ऐलोपैथिक के हों या होमियोपैथिक के हों, उनमें दवाओं की व्यवस्था नहीं है। मैं नीति सम्बन्धी प्रश्न करूंगा कि जालौन सहित प्रदेश की समस्त जिला परिषदों के चिकित्सालयों को दवाओं की व्यवस्था की जा सके और उनमें काम करने वालों डाक्टरों को वेतन मिल जाया करे, इसके लिये क्या शासन ने कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो वह क्या है?

पंचायती राज मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, जिला परिषदें जैसा कि हम सभी जानते हैं स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और उनके अपने आय के स्रोत हैं और उसी से वे वेतन आदि का भुगतान करते हैं।

शासन के पास कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि अलग से पैसा का इन्तजाम करके इनका भुगतान किया जा सके। वैसे शासन ने जिला परिषद् को लिखा है कि वे कर इत्यादि की वसूली तत्परता से करे। ताकि इम्पलाईज जिनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है वह हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का उत्तर सुनकर मुझे कुछ निराशा हुई। वह इसलिए कि यह सरकार अपने को लोक कल्याणकारी होने का दावा करती है। तो इस बात को ध्यान में रख कर कि जिला परिषदें हैं, क्या अगर कोई निजी मालिक के यहां भी नौकर को वेतन नहीं मिल रहा हो तो सरकार का यह काम है कि उसको वेतन मिल जाय। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन चिकित्सालयों को विशेष ग्रान्ट देने की व्यवस्था की जायेगी या फिर इन सब चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय। क्योंकि जब हम जिला योजना के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो उस समय अगर अस्पताल खोलने की बात होती है तो इन औषधालयों के 8 मि0 मी0 की परिधि में होने के कारण यह उस समय आड़े आते हैं और हम नये अस्पताल नहीं खोल सकते हैं। तो क्या शासन इन पर विचार करेगा कि जिला परिषदों के सभी अस्पतालों का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय। दूसरा यह कि इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करके ग्रान्ट इन एड देकर इनका वेतन दिलाया जाय इसकी व्यवस्था करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जहां तक एक दम से सभी जिला परिषदों के चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण करने की बात है वह मुझे सम्भव नहीं लगता है। वैसे इतना अवश्य है कि प्रतिवर्ष कुछ चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण अवश्य होता है। क्योंकि सब का प्रान्तीयकरण हम करेंगे तो इतने संसाधन स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं हैं, बहुत धन की आवश्यकता होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह अखबार कौन माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, इसे बन्द कीजिये ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि दो-दो माह का वेतन मार्च, 1984 में दे दिया गया है और 20 माह का वेतन बाकी है । तो स्वाभाविक है कि इन अस्पतालों में दवा नहीं होगी । जब दवा नहीं होगी तो वहां मरीज भी नहीं रहेंगे और जब मरीज नहीं रहेंगे तो अस्पताल बन्द रहेंगे । तो यह समस्या प्रदेश भर में है । जैसा माननीय मन्त्री जी आपके विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न समितियों में साक्ष्य में स्वीकार किया कि आपके यहां गड़बड़ियां हैं तो जैसे नगरपालिकाओं के प्राइमरी विद्यालयों को जैसे बेसिक शिक्षा परिषद् को सौंप दिया गया है तो उसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सम्पूर्ण आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक जितने भी चिकित्सालय हैं उनको स्वास्थ्य विभाग को सौंप कर एकरूपता के आधार पर चलाने की कृपा करेंगे क्योंकि हर वर्ष जब स्वास्थ्य विभाग अस्पताल खोलता है तो इन्हीं को लेकर उनका प्रान्तीयकरण किया जाता है । तो जैसा गुप्ता जी ने कहा इनको लेकर एकरूपता प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है इस पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

सरयू परियोजना की मुख्य राप्ती नहर का निर्माण कार्य

*1--श्री अकबाल हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि सरयू परियोजना की मुख्य राप्ती नहर का निर्माण कार्य हाल में रोक दिया गया है जबकि उस पर करोड़ों रुपया व्यय हो चुका है तथा 25 कि0 मी0 तक हजारों हेक्टेयर भूमि पर नहर खोदी जा चुकी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

सिंचाई एवं उद्योग मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

राप्ती मुख्य नहर के निर्माण कार्य अभी अपूर्ण हैं एवं केवल 11.93 लाख घनमीटर मिट्टी का कार्य किया गया है । धनाभाव के कारण 1/84 में काम बन्द करा दिया गया है । सरयू परियोजना पर व्यय हेतु प्रत्येक वर्ष उपलब्ध होने वाली धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए कार्य की प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण किया गया है । राप्ती मुख्य नहर का कार्य अब इस प्रकार द्वितीय चरण में करना सम्भव हो सकेगा । अतः प्रथम चरण के कार्य पहले पूर्ण किये जायेंगे जिससे कृषकों को शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, इसमें रुचि है क्योंकि यह प्रदेश व्यापी महत्व का मामला है । मान्यवर, इस परियोजना पर अब तक 4 अरब रुपया व्यय हो चुका है और इसे बनकर 88 में पूर्ण होना था, लेकिन मान्यवर, माननीय मन्त्री जी एवं इनके विभाग की उदासीनता के कारण इसके निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, जिससे यह लगता है कि निर्धारित समय में यह परियोजना पूरी नहीं हो सकेगी ।

नोट :--नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री माता प्रसाद पांडेय की उक्ति पर लिया गया ।

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है, उसके सन्दर्भ में माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना में वह कौन सा प्रथम चरण का कार्य होगा जिससे किसानों की प्राथमिकता पर लाभ मिलेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस विषय में माननीय सदस्यों का चिंतित होना मान्यवर, स्वाभाविक है क्योंकि यह ऐसे क्षेत्र में परियोजना चालू है जहां पर कोई साधन सिंचाई के नहीं हैं, लेकिन इसे धनाभाव के कारण कुछ समय पहले रोक दिया गया था परन्तु अब कुछ दिन पूर्व आफिसर्स की मीटिंग पर इस सिलसिले में बात-चीत हुई थी जिसमें यह निर्णय हुआ कि इसे रोका न जाए बल्कि पूरा किया जाए। यह बात जरूर है कि अब तक इस पर काफी रुपया व्यय हो चुका है, लेकिन अब यह तय हुआ है कि इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए तेजी से कार्य किया जाए, जिससे वहां के किसानों को सिंचाई सुविधा शीघ्रता से प्राप्त हो सके।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, हमारे जिले में, हमारी तहसील में तथा पूरे गोंडा, बस्ती और बहराइच में आज चार वर्षों से, जब से यह योजना शुरू हुई तबसे सीपेज की समस्या हमेशा रही और माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ट्यूबवेल नहीं लगाये जायेंगे। जहां नहरें रही हैं वहां कोई नलकूप नहीं बनाये जायेंगे। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मान्यवर, आप इस मामले में क्या आदेश देंगे कि ट्यूबवेल बन्द न हों, वह लगाये जायं, नहरें बाद में बनती रहेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, हमको शारदा सहायक परियोजना से यह अनुभव हो गया। इसलिये जब तक हम ट्यूबवेल नहीं लगाते हैं तब तक सीपेज की समस्या बनी रहेगी, इसलिये नहर के साथ ही साथ अब नलकूप भी लगाये जायेंगे इसलिये यह हो रहा है।

श्री अकबाल हुसैन--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मुख्य राप्ती नहर की योजना जो आपने बन्द कर दी है तो ट्रान्स राप्ती में कोई और साधन सिंचाई के लिये नहीं है तो फिर आप किस तरह से तीन-चार जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह बात सही है कि ट्रान्स राप्ती में सिंचाई के साधन नहीं हैं, इसलिये यह योजना बनायी गयी थी अब यह योजना बन्द नहीं की जायेगी, इस योजना पर कार्य किया जायेगा।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कि जो योजना का कार्य प्रथम चरण में स्थगित कर दिया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 1987-88 में सिंचाई के अन्य साधन आप दे नहीं देंगे, तो इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए क्या आप विश्व बैंक योजना से या नलकूप निगम के माध्यम से उस क्षेत्र में नलकूप लगवा सकते हैं, क्या इस विषय को आप धन के आवंटन में प्राथमिकता देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही कहा है कि अब नलकूप भी लगाये जायेंगे। अब नहर के साथ ही साथ नलकूप भी लगाये जायेंगे।

विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत पम्पिंग सेट का क्रय तथा बोरिंग का कार्य

*2--श्री पंचानन राय (अनुपस्थित)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजम

गढ़ जनपद में बिना बोरिंग के लगभग सत्तरह लाख रुपए के इंजन विशेष समन्वित योजना वर्ष 1982-83 में खरीदे गए हैं जो प्रयोग न होने के कारण खराब हो रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 7 विकास खंडों के लिये 50 पम्पिंग सेट रु0 4,99,922 की धनराशि के क्रय किये गये। बोरिंग के लिये पाइप की व्यवस्था कर दी गयी है तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग का कार्य चल रहा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

जनपद आजमगढ़ के बुनकर बाहुल्य ग्राम चकिया अमिलो, रसूलपुर आदि ग्रामों में विद्युत् आपूर्ति

*1--श्री दूधनाथ राजभर (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के बुनकर बाहुल्य ग्राम चकिया अमिलो रसूलपुर आदि ग्रामों में जहां पावरलूम पर बनारसी साड़ियां तैयार की जाती हैं, में कितने घण्टे प्रति-दिन विद्युत् आपूर्ति की जाती है ? क्या सरकार इन ग्रामों को औद्योगिक क्षेत्र मानकर अट्ठारह घंटे प्रति-दिन विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अपर जिला विकास अधिकारी, मथुरा की जीप संख्या यू0 आर0 आर0 1626 से दुर्घटना तथा मृत व घायल व्यक्ति

*2--श्री कन्हैया लाल--(अनुपस्थित)

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, हरिजन वित्त निगम (मथुरा) की कोई जीप दिनांक 12-4-83 को हरियाणा प्रान्त के पलवल के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ? क्या दुर्घटना में घायल व्यक्तियों एवं मृत व्यक्तियों के परिवारवालों को मुआवजा देने का सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

"हां" यह सही है कि अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0) मथुरा की जीप संख्या यू0 आर0 आर0 1626, दिनांक 12-4-83 को मथुरा दिल्ली मार्ग पर हरियाणा प्रान्त के पलवल के निकट सीकरी ग्राम से आगे दुर्घटना ग्रस्त हो गयी थी। इस दुर्घटना में श्री पूरन सिंह कर्दम, उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के मंडलीय अध्यक्ष की मृत्यु हो गयी, जीप में अन्य सभी व्यक्ति घायल हो गये थे। मृतक व घायल परिवारों को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है।

आरबीट्रेशन एवार्ड से लाभान्वित ठेकेदार श्री महमूद आलम को ठेकेदारी देयो का भुगतान

*3--श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन--

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड अष्टम, महानगर, लखनऊ के अनुबन्ध

संख्या 133/ई-ई/73-74, दिनांक 1-1-1974 के आर्बीट्रेशन एवार्ड दिनांक 24-8-81 से लाभान्वित ठेकेदार (महमूद आलम) को ठेकेदारी देयों का भुगतान नहीं किया गया है और उक्त दिनांक 24-8-81 के आदेश की अपील भी दायर नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि की गयी तो सिंचाई सचिव द्वारा मेमोरेण्डम आफ अपील एवं पुष्टकारक शपथ-पत्र हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आर्बीट्रेशन एवार्ड जो श्री महमूद आलम ठेकेदार के साथ किये गये अनुबन्ध संख्या 133/ई0 ई0/73-74 से सम्बन्धित है, दिनांक 24-8-81 को घोषित किया गया था। एवार्ड का भुगतान दावेदार को नहीं किया गया है।

24-8-81 को घोषित एवार्ड पर अपील दायर करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ऐसा प्राविधान नहीं है। प्रश्नगत एवार्ड के विरुद्ध सिविल जज, लखनऊ के न्यायालय में आपत्ति-पत्र दिनांक 3-12.81 को प्रस्तुत किया गया था। सिविल जज, लखनऊ के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ में अपील दिनांक 18-3-83 को दायर की जा चुकी है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भुगतान पर स्थगन आदेश दिनांक 27-4-83 को पारित किये जा चुके हैं।

नियमानुसार वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा आपत्ति-पत्र एवं शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न को आप देखें। मैंने कहा है कि सिंचाई सचिव द्वारा मेमोरेण्डम आफ अपील एवं पुष्टकारक शपथ-पत्र हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किये गये। आपने उत्तर में कहा है कि नियमानुसार वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा आपत्ति-पत्र एवं शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी वह नियम स्पष्टरूप से सदन के पटल पर रखेंगे जिसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापित करने या सचिव द्वारा सत्यापित करने का आधार बनाया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, साफ कहा गया है कि जो अपील आदि होती हैं जो कंसर्न आदि होते हैं, वह कर सकता है, हर चीज सचिव नहीं करता है। सरकार द्वारा जो एथोराइज हैं वह किया गया। यहां अधिशासी अभियन्ता कर सकता था, इसलिए किया है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरी जानकारी में जो वेरीफिकेशन का काम है और शपथ-पत्र को सत्यापित करने का काम है, सचिव की ड्यूटीज में है। क्या आप नियम इस तरह के स्पष्ट रूप से पटल पर रखेंगे या सचिव को पावर डेलीगेट करने की एथोरिटी है जिसमें अधिशासी अभियन्ता सचिव के आन बेहाफ आफ कर सकता है। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से बतावें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह तो न्याय विभाग से राय लेकर किया है।

जनपद गोंडा में राप्ती नदी के पार क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपाय

*4--श्री अकबाल हुसैन--(अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गोंडा में राप्ती नदी के पार क्षेत्र (तुलसीपुर, हरैया, गैसड़ी एवं पचपेड़वा ब्लाक) जहां भूमि के नीचे पानी तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु है काफी गहराई में, जिससे कृषक नलकूप लगाने में अक्षम हैं, क्षेत्र में नहरों का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस क्षेत्र को सिंचाई के

लिए क्या उपाय कर रही है ? क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए विश्व बैंक की किसी योजना से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयत्न कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

(श्री अकबाल हुसैन के अनुपस्थित होने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी इसमें रुचि है ।

[बुद्धवार, 11 अप्रैल, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तराखण्ड के तीनों सीमान्त जनपदों (चमोली, उत्तरकाशी पिथौरागढ़) में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का संचालन

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की करेंगे कि उत्तरखण्ड के तीनों सीमान्त जनपदों (चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़) जो शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हैं, में प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस कार्यक्रम को इन जनपदों में भी लागू करेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

प्रश्नगत तीन जनपदों में भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तीन जनपदों में कब शुरू किया गया और इसमें जितने वहां पर पद थे सब पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं कि नहीं ?

श्री चन्द्र मोहन नेगी--

श्रीमन्, वर्ष 1982-83 से यह कार्यक्रम जनपद चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में भारत सरकार की सहायता से चलाया गया है । इसमें प्रत्येक जनपद में 2 विकास खंडों में यह योजना है और इस तरह इसमें 300 केन्द्र खोले गये हैं और जनपद चमोली में जोशीमठ और दसौली ब्लाकों में यह योजना चल रही है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

इस कार्यक्रम में जितने पद सृजित किये गये हैं उनमें सब पर नियुक्तियां हो गयी हैं कि नहीं, इसका उत्तर मंत्री जी से मान्यवर, दिलवायें ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

परिवहन निगम में घाटे का कारण

*2--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि परिवहन निगम को 12 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि पिछले वर्ष 40 प्रतिशत किराए में वृद्धि की गयी थी? यदि हां, तो घाटे का क्या कारण है ? क्या किराये में पुनः वृद्धि करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

परिवहन निगम को वर्ष 1982-83 में 1161·31 लाख रुपये का घाटा हुआ जबकि वर्ष 1980-1981 तथा 1981-82 में क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत किराये में वृद्धि की गयी । घाटे का प्रमुख कारण संचालन व्यय में वृद्धि होना है ।

दिनांक 21 सितम्बर, 1983 से पुनः किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी इस समय पुनः किराया वृद्धि का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह किराया वृद्धि की बात भी कही, तो 1983-84 में कितने का घाटा अब तक हुआ है ?

श्री गुलाब सेहरा--

क्रम से 1980-81 में 9 करोड़ 64 लाख का घाटा हुआ, जब किराये की वृद्धि हुई तो 1981-82 में यह 2 करोड़ 67 लाख रह गया । 1982-83 में 11 करोड़ 67 लाख का हुआ और जब किराये में वृद्धि हुई यह 1983-84 में 6 करोड़ 15 लाख रह गया ।

श्री रेवती रमण सिंह--

40 प्रतिशत किराया वृद्धि के बाद भी 6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, तो जो किराये में वृद्धि हुई है उसके बारे में जैसा सदन में भी कहा है, उस किराया वृद्धि को कम करने का शासन का विचार है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने उसके लिए भी कहा था विचाराधीन है ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं अपने परम योग्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या उनको यह पता है कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के अनुबन्धित बसों को परिचालन व्यय का 2 रुपया प्रति किलोमीटर देता है, जबकि निगम को खचड़ा बसों की लागत 4·50 रु0 आती है ? क्या मंत्री जी को यह भी पता है कि निगम का जो घाटा है उसका मुख्य कारण निगम में अत्यधिक अफसरों की संख्या है, जो हमारे मुख्यालय पर 8/8, 10/10 प्रधान प्रबन्धक नियुक्त हैं। तो जो आप पर और निगम पर घाटे का बोझा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जन हित और प्रदेश हित में आप सारी बसों को परिवहन निगम में अनुबन्ध के द्वारा ही संचालित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जो उन्होंने परिवहन निगम में व्यय की बात कही है, तो वह 4 रुपया नहीं है, केवल 3 रुपया 31 पैसा है । यह शुरू में 1·86 था, जो बढ़ते-बढ़ते अब इतना हो गया है । जिसका कारण यह है कि चेसीज के मूल्य में वृद्धि हुई, विभिन्न प्रकार को स्पेयर पार्ट्स में काफी वृद्धि हुई और तीसरे पेट्रोल, डीजल और बैट्री के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है । इसके अलावा वेतन आयोग की संस्तुति के बाबत राज्य सरकार का निगम कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता की किश्तें देनी पड़ीं, अधिक वेतन भुगतान करना पड़ा तथा पिछला बकाया भी देना पड़ा । उसकी यह बात मैं अवश्य स्वीकार करता हूं कि हमारे यहां एक्सेस में 5 हजार स्टाफ है जिनको नई बसें खरीद कर लगाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप भविष्य में शोर नहीं मचायेंगे, वाजपेयी जी ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मंत्री जी ने परिचालन व्यय के बढ़ोतरी की बात बताई । अनुबन्धित बस वाला व्यक्ति अपने ड्राइवर को वेतन देता है, डीजल भरवाता है, क्लीनर को देता है और जो महाजन से पैसा लेते हैं उसको ब्याज आदि भी देते हैं और साथ ही एक बस के स्थान पर एक साल में ही दो बसें भी कर लेते हैं, इतना लाभ उनको होता है । मगर आपकी बसें एक साल में ही कबाड़खाने में पहुंच जाती हैं । इसका क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

हमारे विद्वान माननीय सदस्य तो एस0 टी0 आर0 सी0 के डायरेक्टर भी हैं, वे जानते हैं कि इस समय जो हमारा 5950 बसों का बेड़ा है उसमें से 50

प्रतिशत बसें ऐसी हैं जो साढ़े चार लाख किलोमीटर की दूरी तक चल चुकी हैं। उनके मेन्टीनेन्स पर व्यय अधिक पड़ता है। इसीलिये शासन ने विचार करके 1400 नयी बसों को लाने का निर्णय लिया है, इनके आने पर पुरानी हटा दी जायेंगी।

श्री भीखा लाल--

माननीय मंत्री जी ने बताया था कि 5000 परिचालक बेकार हैं, क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी बेकार हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुए कि रिपेयर्स पर बहुत अधिक खर्च आता है, जैसे कानपुर के वर्कशाप में जो बस डेढ़ माह में रिपेयर्स होकर आना चाहिये उसे डेढ़-डेढ़ वर्ष लग जाता है और इस बीच बस के तमाम पुर्जे गायब हो जाते हैं। इसके लिये क्या कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे जिससे यह वर्कशाप का डायरेक्ट कन्ट्रोल आपके पास आ जाये और यह नुकसान न हो ?

श्री गुलाब सेहरा--

विभाग ने इसको सुधारने के लिये एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। सेन्ट्रल वर्कशाप में, यह सही है कि डेढ़ साल लग जाता था। अब हमने यह किया है कि छोटी-मोटी खराबियां जो हों, टूटे शीशों का बदलना हो, गद्दी आदि का बदलना या ठीक होना हो, रंगरोगन का काम हो, यह सारा काम रीजन पर ही हो जाया करे और यह भी आदेश अब दिये हैं कि 15 अप्रैल तक जो भी गाड़ियां चलने योग्य हैं उनका गेट आ रंगरोगन आदि ठीक हो जाये और वे देखने में अच्छी लगें, ऐसी हो जायें। यह आदेश हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिये गहराई से जांच के लिये मैं इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं, यद्यपि प्रश्नों के उत्तर ठीक थे, पर फिर भी इसमें और गहराई से देखने की आवश्यकता है।

अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता पद हेतु नियुक्ति हेतु चयन का आधार

*3--श्री पंचानन राय (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ताओं का चुनाव अधिशासी अभियन्ताओं में से करने के लिए जो कमेटी दिनांक 14, 15 जून, 1982 को नियुक्त की गयी थी उसकी नियुक्ति का आधार क्या था ? क्या यह सत्य है कि चुनाव के लिए एक नया मापदंड अपनाया गया जो कि पीछे कभी नहीं अपनाया गया था ? यदि हां, तो इस मापदंड के अपनाये जाने का क्या कारण था और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता पद पर दिनांक 15 जून, 1983 को जिस स्थायी चयन समिति ने विचार किया था उसकी नियुक्ति कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 41/दो-1968-कार्मिक-1, दिनांक 24 मार्च, 1976 तथा शासनादेश संख्या-- 41/दो-68-कार्मिक-2-1978, दिनांक 4 अक्तूबर, 1978 के अनुसार की गयी थी।

यह सही नहीं है कि कोई नया या ऐसा मापदंड अपनाया गया जो पहले कभी नहीं अपनाया गया था। इस पद पर अस्थायी एवं स्थानापन्न नियुक्ति हेतु चयन का आधार श्रेष्ठता ही रहा है। तदर्थ नियुक्तियों में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता" का आधार

रहता है। इस तदर्थ चयन में भी अस्थायी एवं स्थानापन्न नियुक्ति हेतु चयन की परम्परा के अनुसार श्रेष्ठता का ही आधार रखा गया।

ऊपर स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

टैक्सियों, मिनी बसों के अवैध रूप से चलाये जाने का कारण तथा क्षति

*4--श्रीमती गौरी देवी--(अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में 44,000 टैक्सियों, मिनी बसों, एवं 128 बसों के अवैध रूप से चलाये जाने के कारण 3 करोड़ 65 लाख से अधिक धन की सरकारी क्षति हो रही है? यदि हां, तो इनको परमिट न देने का क्या कारण है?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

(उत्तर पढ़ने से पूर्व)

मान्यवर, अब इसकी पूरी सूचना आ गयी है, आज्ञा दें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--

क्या आपने इसकी प्रति मुझे और सम्बन्धित माननीय सदस्य को भी भेज दी है?

श्री गुलाब सेहरा--

यह मान्यवर, अभी प्राप्त हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह मान्यवर, इनकी पुरानी आदत है, पहले भी आप इनको इसके लिये निर्देश दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, भविष्य में कृपया ध्यान रखें, इस तरह की सूचना अगर देना हो तो उसकी प्रति मेरे पास तथा माननीय सदस्य के पास पहले जानी चाहिये। जिन माननीय सदस्य का प्रश्न हो, उनको तो अवश्य जान चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक दिन और आपने चेतावनी माननीय मन्त्री जी को दी थी। मन्त्री जी ने बिना लिखित वक्तव्य यहां दिये पढ़ा था। अभी तक वह वक्तव्य नहीं मिला है। मैं यह जानकारी भी आपको देना चाहता हूं।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, सूचना इस प्रकार है। यह जानकारी नहीं है कि प्रदेश में 44,000 टैक्सियां अवैध रूप से चलायी जा रही हैं। प्रदेश में 10,227 टैक्सियां पंजीकृत हैं जिनमें से 5,787 टैक्सियों के परमिट दिये गये तथा बिना परमिट के वाहनों की संख्या 1,583 है वर्ष 1983 में बसों, मिनी बसों व टैक्सियां के अवैध रूप से चलने पर 7,577 वाहनों के चालान किये गये। दिनांक 31 अगस्त, 1981 की अधिसूचना द्वारा मैटाडोर स्टैंडर्ड 20, हिन्दुस्तान ट्रेकर, डीजल जीप एवं महेन्द्रा एफ0 सी0--360 डी टाइप वाहनों को टैक्सी परमिट दिये जाने अथवा उनके नवीकरण करने पर रोक लगा दी गयी थी किन्तु 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर 12 मार्च, 1984 को जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार अब इन वाहनों को भी ठेका गाड़ी (मोटर कैब) परमिट अनुमन्य हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न को मैं नहीं ले रहा हूं। मेरी समझ में यह नहीं आया। मेरे सामने इसकी प्रतिलिपि भी नहीं है। इसलिये अगले हफ्ते 8 दिनों में जो भी समय आपका आता है, उस दिन आप इसको प्रस्तुत करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस पर सप्लीमेंटरी करने की इजाजत दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं । अभी तो पूरा उत्तर आयेगा ।

विभिन्न सरकारी अधिकारियों को सरकारी कार्य हेतु स्टाफ कार के प्रयोग की सुविधा

*5--श्री रियासत हुसैन--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग 100 गाड़ियां (अम्बेसडर कार) सचिव/कमिश्नर/विशेष सचिवों को सरकार द्वारा दी गयी जिनका मात्र 150 रु0 महीना किराया लिया जाता है और अधिकारियों की सुविधा के लिये ड्राइवर कुछ पेट्रोल तथा गाड़ियों में मेंटीनेंस का खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री गुलाब सेहरा--

विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न सरकारी अधिकारियों को सरकारी कार्य हेतु स्टाफ कार के प्रयोग की सुविधा दी गयी है जिसके रख-रखाव, पेट्रोल, ड्राइवर आदि पर व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है । शासनादेश संख्या 6050 टी/तीस-4-4 नेवी/77, दिनांक 1 मई, 1981 द्वारा अधिकारियों को सरकारी गाड़ी को निजी प्रयोग की भी सुविधा कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है जो अधिकतम 200 कि0 मी0 प्रतिमाह तक की दूरी के लिये 150 रु0 प्रतिमाह भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकती है । उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था की गयी है कि सरकारी गाड़ी के प्रतिमाह के निजी प्रयोग के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में भी सरकारी गाड़ी का निजी प्रयोग किया जा सकेगा जिसका भुगतान 1 रु0 प्रति कि0 मी0 की दर से किया जायेगा :

(अ) परिवार के सदस्यों को रुग्णावस्था में अस्पताल/दवाखाना लाना ले जाना ।

(ब) रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा हवाई अड्डे की निजी यात्रा ।

अधिकारियों को दी गयी सरकारी गाड़ी के निजी प्रयोग की सुविधा के लिये उनसे उक्तानुसार भुगतान लिया जाता है ।

श्री रियासत हुसैन --

श्रीमन्, इस प्रदेश के अधिकारियों को कितनी सुविधायें दी जा रही हैं यह इस प्रश्न से पता चलता है । तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने अधिकारी ऐसे हैं अलग-अलग विभागों में जिनको ड्राइवर के साथ, मेंटीनेंस के साथ, पेट्रोल के साथ सारी सुविधायें दी जाती हैं केवल 150 रुपये महीने के बदले में ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्ययर, यह जो सुविधा उनको मिल रही है यह 1964 से मिल रही है । समय-समय पर रेट बढ़े हैं । इस समय 82 अधिकारी इसका प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में । माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर पढ़ा उसमें कहा कि दवाखाने जाने के लिये, हवाई अड्डे जाने के लिये बच्चों को स्कूल भेजने के लिये एक रुपया प्रति कि0 मी0 के हिसाब से चार्ज किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि जो तालिका माननीय मन्त्री जी ने इस आदरणीय सदन में पढ़ी है उसके तहत कितने अधिकारियों से उन्होंने अतिरिक्त चार्ज लिया है । उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप दूसरा सवाल पूछें । माननीय

मन्त्री जी यह बहुत नाचते-कूदते हैं तो आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि इनका प्रबन्ध हो सके ।

(हंसी)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डेढ़ सौ रुपये पर, जो अधिकारियों को 200 किलोमीटर चलने की सारी सुविधायें दी गयी हैं तथा 200 के ऊपर एक रुपया प्रति किलोमीटर के आधार पर है । मैं अपनी निश्चित जानकारी के हिसाब से कह रहा हूं कि जो अधिक पैसा देने की बात है, क्या इस सुविधा के तहत इस आदरणीय सदन के आदरणीय सदस्यों को 200 रुपया महीने पर क्या वह कार की सुविधा देने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन, सम्भव नहीं है ।

श्री ऊदल--

जो उन्होंने कहा कि 82 अधिकारियों को यह सुविधा दी गयी है, 150 रुपया वह जमा करेंगे 200 कि0मी0 के ऊपर, अगर चलेंगे तो एक रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से जमा करेंगे । क्या कोई सूचना उनके पास है कि इन अधिकारियों ने 1982-83 में और 1983-84 में कितना रुपया जमा किया है ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन, 150 रुपया प्रति माह जमा करके 200 किलोमीटर की लिमिट है ।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर म यह बताया था कि डेढ़ सौ रुपया जम करने पर उनको 200 किलोमीटर तक निजी उपयोग के लिए गाड़ी की सुविधा है, इसके अलावा अगर वह 200 के ऊपर चलते हैं, उनसे 1 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 82 अधिकारियों में किसको यह सुविधा प्रदान की गयी है और उन्होंने 150 रुपये देने के अलावा परिधि के बाहर चलने पर कितना रुपया 1982-83 में जमा किया और कितने लोगों ने जमा किया और 1983-84 में कितना रुपया जमा हुआ ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन, यह 50 अधिकारियों की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें से 10 अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि हम एक रुपया प्रति किलोमीटर पर इसको ले रहे हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, इस प्रकार की कार्यवाही से सरकारी खजाने पर भार बढ़ता है और इन सचिवों को जो हेडक्वार्टर पर रहते हैं, इनको कोई आवश्यकता नहीं रहती है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस सुविधा को जनहित को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय भार कम करने के लिए इसको समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन, यह सुविधा 32 सचिवों, 27 विशेष सचिवों और 12 मंडल आयुक्तों को दी गयी है । श्रीमन, इसे समाप्त करना सम्भव नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, जो डेढ़ सौ रुपया आप अधिकारियों से लेते हैं, उसके अतिरिक्त सारा खर्चा एक गाड़ी पर कितना पड़ता है, यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर विशेष सचिव, सचिव, मंडल आयुक्त को जो यह सुविधा कार पर चलने की है, तो क्या पार्लियामेंट के सदस्यों को, उनके जहां-जहां पर निवास स्थान हैं, उनको गाड़ी की सुविधा दी गई है। क्या माननीय मंत्री जी यहां पर भी माननीय विधायकों को चूंकि रिक्शे का भाड़ा ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए मेटाडोर टाइप गाड़ी की सुविधा देने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह क्या कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

जैसा संसद सदस्यों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए या पार्लियामेंट जाने के लिए मेटाडोर का प्रबन्ध है, क्या विधायकों के लिए आप यहां पर भी वही व्यवस्था करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसे श्रीमन्, देख लूंगा। देख लूंगा, श्रीमन्।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे स्पष्ट हो गया कि सार्वजनिक धन का किस बड़े पैमाने पर किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकरण पर पुनः विचार करेंगे कि जो सुविधा 82 अधिकारियों को दी गयी है और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है, माननीय मंत्री जी ने कहा माननीय सदस्यों के लिये सम्भव नहीं है, वह कौन सा क्राइटेरिया है कि उनके लिये सम्भव है और इस आदरणीय सदन के सदस्यों के लिये सम्भव नहीं है। किस आधार पर मंत्री जी इस निष्कर्ष पर पहुंच गये ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दिया तो कि इस पर विचार करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

यह सुविधा राज्य सम्पत्ति विभाग 32 सचिवों, 27 विशेष सचिवों और 12 मंडलायुक्तों को दिया है जो अपने डिवीजन और डिपार्टमेंट के हेड हैं।

श्री राम कुमार भार्गव--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया कि 200 किलोमीटर के ऊपर निजी उपयोग पर एक रुपया प्रति किलोमीटर चार्ज करते हैं। इस सवाल का साफ जवाब नहीं आ रहा है। 1983-84 में या तो किसी अधिकारी ने 200 किलोमीटर से ऊपर उपयोग किया नहीं अगर 10-20 ने किया तो कितना रुपया जमा हुआ।

श्री गुलाब सेहरा--

50 अधिकारियों में से 10 ने उपयोग किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री ने कहा कि यहां बैठने वालों के लिये सम्भव नहीं है। 80 हजार की गाड़ी देते हैं, ड्राइवर देते हैं, डीजल, पेट्रोल देते हैं। यह सुविधा सचिव, विशेष सचिव और मंडलायुक्तों को दी जा रही है जिनको इस सचिवालय की चहारदीवारी के बाहर नहीं जाना है, सिवाय सिनेमा देखने या निजी काम के। वित्तीय कठिनाई को देखते हुये क्या मंत्री जी इस सुविधा को समाप्त करने पर विचार करेंगे, अगर नहीं समाप्त करना चाहते हैं, तो इस आदरणीय सदन के सदस्यों को देने में क्या कठिनाई है ?

श्री गुलाब सेहरा--

विभागाध्यक्षों और मण्डलायुक्तों को केवल यह सुविधा है। उनको बहुत काम करना होता है, बाहर दौरे पर भी जाना

ड़ता है । यह सुविधा किसी मेरिट के आधार पर दी गयी है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

इस समय उत्तर प्रदेश में कुछ मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का मामला परिवहन विभाग में विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

सो रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि इस माननीय सदन के जो समितियों के सभापति हैं, उनको 3 सौ रुपया कन्वेंस एलाउन्स प्रति माह दिया जाता है और अधिकारियों को डेढ़ सौ के अगेंस्ट सारी सुविधा दे रहे हैं । तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि इस सदन के समितियों के सभापतियों को अगर सारे सदस्यों को यह सुविधा नहीं दे सकते हैं, तो केवल सभापतियों को और विभिन्न दलों के नेताओं को यह सुविधा डेढ़ सौ रुपये की देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन, विशेष रूप से जो चेयरमैन हैं, उनको गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध है ।

श्री यशपाल सिंह--

माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वह माननीय सदस्यों को सुविधा नहीं दे सकते हैं । माननीय सभापतियों को सुविधा नहीं दे सकते हैं । चूंकि मंडलायुक्तों, सचिव या विशेष सचिवों को बहुत ज्यादा काम रहता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो उन पर डेढ़ सौ पयें या किलोमीटर के प्रतिबन्ध लगाए उनको वापस लेकर निजी गाड़ी की तरह सुविधा देने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन, पहले जब इस बात की शिकायतें मिलीं 1964 में, तो इस बात का प्रावधान किया गया कि निजी उपयोग में लाने पर इतना चार्ज किया जायेगा । तो मान्यवर, इसका दुरुपयोग खत्म करने के लिए ऐसा किया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए इसे समिति को भेज दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 49 के अन्तर्गत आप चर्चा की मांग करें ।

बहादुरगंज, जिला गाजीपुर सूती मिल के खम्भे ध्वस्त होने की कथित घटना

*6--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहादुरगंज, जिला गाजीपुर सूती मिल (सहकारी) के 9 खम्भे ध्वस्त हो गये हैं ? क्या यह सही है कि सीमेन्ट मात्रा से कम तथा ईंटें भी रद्दी लगायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरी इमारत की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

खम्भे ध्वस्त होने की कोई घटना नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी मामले की जांच करायी गयी क्या खम्भे ध्वस्त नहीं हुए, तो इमारत की जांच करायी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब जानकारी हुई तो इसकी जांच प्रबन्ध निदेशक निर्माण विभाग ने की उसने बताया कि कोई खराबी नहीं है। उन्होंने जांच करने के बाद बताया कि जितना सीमेन्ट लगना था उतना ही लगा हुआ था, उसे टेस्ट कराया गया था।

*7--श्री धनीराम वर्मा--

(10वें बुधवार के लिए स्थगित।)

वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9963 का स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा मालकर तथा मार्गकर का बकाया वसूल करने हेतु कार्यवाही

*8--श्री प्रियदर्शी जेतली--

प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 156 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9963 का स्वस्थता प्रमाण-पत्र 12-2-82 तक तथा मालकर 10-3-81 तक तथा मार्गकर 31-3-82 का बकाया था, तो इस दौरान बकाया करों को 1981 तथा 1982 में वसूल किए जाने का क्या कारण है तथा बकाया करों को वसूल करने का प्रमाण-पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को कब जारी किया गया? क्या वर्ष 1981-82 में आर0 टी0 ओ0, लखनऊ द्वारा बकाया वसूल न करने तथा वैध प्रपत्र की अनुपस्थिति में वाहन को अधिग्रहण न करने के लिए जो अधिकारी दोषी हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, आपके संरक्षण की आवश्यकता है। ऐसा प्रश्न जिनकी सूचना विभागों के पास उपलब्ध है और जिन प्रश्नों को एक महीना दो महीना से ऊपर हो जाता है उसमें भी शासन सदन के पटल पर ऐसा जवाब देने में नहीं हिचकिचाता है, कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, इस तरीके के प्रश्न जो आए हैं सदन में उनको देखा जाए तो पता लगेगा कि डलैक इन व्हाइट में शासन के पास मौजूद है लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि सत्य को छिपाने के लिए लिख दिया जाता है कि "सूचना एकत्र की जा रही है।" मेरे कई प्रश्न ऐसे आए हैं जिनमें ऐसे उत्तर दिए गये हैं। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, यह 23-2-1984 का प्रश्न लगा हुआ है। परिवहन अधिकारी से सम्बन्धित है। यह अतारांकित प्रश्न संख्या 156 में है इसकी सूचना पहले भी आ चुकी है, तो क्या कारण है कि इसकी सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, शीघ्र दिलवा लेंगे।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, आज हो प्रश्न की सूची को देखा जाए तो मेरे कितने ही अतारांकित प्रश्न हैं जिनका उत्तर मौजूद है, जो एकाउन्ट्स से सम्बन्धित मामले हैं। उसका उत्तर आया है कि "सूचना एकत्र की जा रही है।" तो मैं जानना चाहूंगा कि सूचना एकत्र करने की जो बात कही जाती है तो क्या सदन की समाप्ति के बाद उनको सूचना दे दी जायगी?

श्री अध्यक्ष--

नियमों को देखें, उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

*9--श्री बिहारी लाल तथा श्री शिवनारायण सिंह नेगी--

(10वें बुधवार के लिए स्थगित।)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के अन्तर्गत आने वाले गांवों में कुम्हारी कला उद्योग हेतु बर्तन बनाने वाली मिट्टी का स्थान छोड़ने हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

*10—श्री विजय पाल सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के अंतर्गत आने वाले नौ गांवों के (कुम्हार) प्रजापति जाति के 212 परिवार के लोगों ने ग्रामीण कुम्हारी कला उद्योग हेतु बर्तन बनाने वाली मिट्टी का स्थान छोड़ने के लिए चेयरमैन नोएडा, जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद, मुख्य मंत्री जी को 82-83, 83-84 में दिए प्रार्थना-पत्रों पर जनवरी, 84 तक नोएडा द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो नोएडा प्राधिकरण के सम्मुख क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के अन्तर्गत आने वाले गांवों के (कुम्हार) प्रजापति जाति के 212 परिवार के लोगों के ग्रामीण कुम्हारी कला उद्योग हेतु बर्तन बनाने वाली मिट्टी का स्थान छोड़ने हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर प्राधिकरण द्वारा गम्भीरता से विचार किया गया। राजस्व अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि चकबन्दी के समय कुम्हारी कला उद्योग के लिए कोई भूमि आरक्षित नहीं करायी गई। आवेदित भू-खंडों पर मौका मुआइना के समय मिट्टी खोदे जाने के कोई चिन्ह न मिलने व उस क्षेत्र के नोएडा के नगरीय क्षेत्र में होने के कारण उन भू-खंडों का आरक्षण नहीं किया गया।

श्री विजय पाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि चकबन्दी के समय राजस्व अभिलेखों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नवीन ओखला विकास प्राधिकरण की स्थापना के पहले ये 212 परिवार कुम्हारी का कार्य करते थे या नहीं ? और यदि करते थे, तो उन्हें इस कार्य के लिये तथा बर्तन आदि बनाने के लिये मिट्टी कहां से उपलब्ध होती थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जहां के लिये यह पूछा गया और जिस एरिया में यह चाहते हैं, वहां देखा गया कि वहां के लिये ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। चकबन्दी के समय यह आरक्षण हो सकता था, लेकिन 1955 से 1960 में की गयी चकबन्दी में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इसके बाद अब जब माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं, उनके लिये मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि वे जांच कर लें और देख लें कि वे कहां से मिट्टी लाते थे। यदि वे किसी जगह से मिटटी लाते थे और सही माने में काम करते थे तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री विजय पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर कि नोएडा के मोरना नामक गांव के खसरा नम्बर 2-3-83 तथा 84 से ये लोग मिट्टी लाते थे और बर्तन बनाने का काम करते थे, नोएडा के अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करेंगे कि यदि वास्तव में वह लोग इन चार नम्बरों से मिट्टी लाते थे तो क्या उनको उस स्थान का आवंटन करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जिन नम्बरों का यहां पर जिक्र किया गया, उसमें जो विभाग में देखा है, कि उसमें गेहूं लगा हुआ है। उसमें देखना होगा कि वह किसी

प्राइवेट व्यक्ति का तो नहीं है। वास्तव में यदि वे मिट्टी लाते थे तो देखा जायगा, इसकी जांच करा लेंगे।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, ये जो 212 परिवार हैं कुम्हार जाति के, ये हमेशा से मोरना गांव की मिट्टी का इस्तेमाल करके दिल्ली से रोजी-रोटी कमाते थे, लेकिन नवीन ओखला बन जाने से उस जगह का अधिग्रहण हो जाने से वहां मिट्टी उपलब्ध होना बन्द हो गया तभी उन्होंने प्रतिवेदन दिया था वहां के प्रशासकों को कि यह स्थान एलाट किया जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में दो बातें जानना चाहूंगा (1) आपने कहा कि राजस्व अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि चकबन्दी के समय कुम्हारी कला उद्योग के लिए भूमि आरक्षित नहीं की गयी तो यह हमेशा से होता आया है कि जिसके खेत से जो मिट्टी निकलती है वह लेता है, उसमें किसी को एतराज नहीं होता, तो आपने ऐसे कितने भूखण्डों की जांच की और उनमें से कौन-कौन से भूखण्ड ऐसे थे जिनमें कोई चिन्ह नहीं पाए, तथा (2) क्या उद्योग मंत्री इन 212 परिवारों की रोजी-रोटी के लिए और इनकी कला को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे ये सामान बनाकर नई दिल्ली ले जाते हैं, और वहां इनको देखा जा सकता है, उनकी कला को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक पुनः इस बात पर विचार करेंगे और नोएडा अधिकारियों को आदेश देने का कष्ट करेंगे कि वे पुनः इस बात को देखें कि क्या वास्तव में वे उन स्थानों से मिट्टी लेते थे और यदि लेते थे तो उस स्थान को उनके लिये आरक्षित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया कि इसकी पुनः जांच करा लेंगे कि कुम्हार जाति के लोग वहां से मिट्टी ले जाते थे या नहीं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, वह कुम्हार लोगों का बहुत ही पुराना और परम्परागत उद्योग है। हर जगह से यह शिकायत आती है कि चकबन्दी में उनके लिए जगह नहीं छोड़ी जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को प्रकाश मान कर उद्योग विभाग की तरफ से चकबन्दी विभाग को एक ऐसा निवेदन भेजने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां कुम्हार लोग मिट्टी को ले जाते हैं वहां-वहां उनके लिए वह भूमि छोड़ दी जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसके बारे में 20 जून, 1980 को रेवेन्यू विभाग ने चकबन्दी विभाग को एक जी0 ओ0 इसलिए कर दिया था कि जहां कुम्हार लोग मिट्टी उठाते हैं, उस भूमि को रिजेक्ट कर दिया जाय। वैसे मान्यवर, चकबन्दी 1955 और 1960 के बीच में हुई थी, उस समय इसका प्राविधान नहीं था।

*11--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*12--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*13--श्री नन्द किशोर सिंह--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*14--श्री लंकठा प्रसाद शास्त्री--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*15--श्री जगदीश सिंह--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

कानपुर नगर व देहात में फर्जी हरिजन छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति, पुस्तकीत सहायता तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*16--श्री गौरी शंकर मैथ्या--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर व

देहात में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में फर्जी हरिजन छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता, क्षतिपूर्ति, तथा अस्वच्छ पेशे से सम्बन्धित छात्रावास आदि के मद में हुए लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में श्री एन0 एन0 शर्मा, विशेष अधिकारी (विजिलेंस सेल), श्री के0 एन0 टंडन, सम्परीक्षा अधिकारी तथा श्री पी0 आर0 सोनकर, वरिष्ठ सम्परीक्षक ने अपने दल के साथ कानपुर जाकर किन-किन तिथियों में जांच/आडिट किया ? जांच एवं आडिट रिपोर्ट में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाए गए और किन-किन संस्थाओं/विद्यालयों में किस-किस मद में फर्जी स्वीकृतियों का मामला प्रकाश में आया ? फर्जी स्वीकृतियों के कारण हुई शासकीय धन के दुरुपयोग की वसूली सम्बन्धित संस्थाओं/विद्यालयों से राजस्व की भांति कराई गयी और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को पदावनति व निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल राम दास)--

श्री एन0 एन0 शर्मा, विशेष अधिकारी (विजिलेंस सेल) दिसम्बर, 1982 के अन्तिम सप्ताह में जांच के लिए गये थे। श्री के0 एन0 टन्डन, सम्परीक्षा अधिकारी दिसम्बर 19 से 21 दिसम्बर, 1983 तथा 16 जनवरी, 1984 से 19 जनवरी, 1984 तक गये थे और श्री पी0 आर0 सोनकर, वरिष्ठ सम्परीक्षक दिनांक 21 जनवरी, 1983 से 30 जनवरी, 1983 तथा 16 मई, 1983 से 31 मई, 1983 तक गये थे।

जांच और आडिट रिपोर्ट में निम्नांकित अधिकारी तथा कर्मचारियों का दोषी होना प्रतीत होता है :--

(1) श्री हरिशचन्द्र कटियार, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी।

(2) कु0 रामकली कनौजिया, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी।

(3) श्री पी0 डी0 श्रीवास्तव वरिष्ठ लिपिक।

(4) श्री राजाराम, कनिष्ठ लिपिक।

(5) श्री साबिर हुसैन अन्सारी, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर।

(6) श्री सालिम सिद्दीकी, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर।

(7) श्री ए0 आर0 अन्सारी, वरिष्ठ लिपिक।

(8) श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक संलग्न तालिका में दर्शायी गयी संस्थाओं/विद्यालय में उनके नाम के सामने अंकित मदों में फर्जी स्वीकृतियों का मामला प्रकाश में आया है।

जी नहीं।

जिलाधिकारी एवं जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को अपेक्षित कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये गये हैं।

जी नहीं।

दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये जा रहे हैं। इन आरोप के सिद्ध होने पर दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियमानुसार दण्ड दिया जायेगा। श्री कटियार व कुमारी कनौजिया जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारियों को कानपुर से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 127 पर।)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा ही जवाब पढ़ा गया है। किन-किन संस्थाओं ने यह फर्जी भुगतान किया है, उनके नाम भी यदि माननीय मंत्री जी पढ़ दें तो तब मैं उनसे प्रश्न पूछूं ?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर बहुत लम्बा है । अब आप प्रश्न करें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, डेढ़ करोड़ रुपये का कानपुर के अन्दर हरिजन छात्रावास के नाम पर फर्जी भुगतान कर दिया गया। 1981-82 में 14 संस्थाओं में फर्जी भुगतान किया गया, 1982-83 में विद्यालयों में फर्जी भुगतान किया गया और कानपुर शहर में हास्टल बनाने के नाम पर 8 विद्यालयों में फर्जी भुगतान किया गया है। माननीय मंत्री जी ने 12 अधिकारियों के नाम भी अपने उत्तर में बता दिये हैं। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आडिट रिपोर्ट सरकार के पास आ गई, जांच करने के बाद। उसमें जो अधिकारी दोषी पाये गये हैं, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट दिनांक 10 अगस्त, 1983 को आई और जो व्यक्ति दोषी पाये गये, उनके नाम पढ़कर माननीय राज्य मंत्री जी ने आपको पढ़कर सुना दिया है। उनको आरोप-पत्र दिये गये हैं और उनसे व्याख्या मांगी गयी है। उनकी व्याख्या आने पर, डाइरेक्टर के यहां से दिनांक 31 मार्च, 1984 को पूरी सूचना शासन को प्राप्त हुई है और उस पर कार्यवाही की जा रही है। जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह कानपुर जनपद का बहुत ही गम्भीर मामला है। माननीय मोहन सिंह जी ने एक प्रश्न पहले किया था, उसी से सम्बन्धित मेरा एक अतारांकित प्रश्न कृपया देख लें, यह अतारांकित प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें एक तालिका दी गयी है, इसमें ठाकुर जाति के, ब्राह्मण जाति के लोगों को, हरिजन बताकर, मान्यवर, छात्रवृत्ति दी गयी है। माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, जब यह मामला आडिट रिपोर्ट में प्रकाश में आ गया, तो मान्यवर, अब तक कार्यवाही हो जानी चाहिये थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने गम्भीर मामले में अभी तक उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया था कि आरोप-पत्र दिये जा चुके हैं, उसका परीक्षण हो रहा है। 21 मार्च को यह सारी व्याख्या शासन को प्राप्त हुई है, जिसमें शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी। मैं फिर कहना चाहूंगी कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जायेगी और दंडित भी किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीया मंत्री जी, यह सदन में दिन प्रति दिन चर्चा रहती है कि ऐसे लोगों को छात्रवृत्ति मिल जाती है या फीस माफ हो जाती है, जिनकी फीस माफ नहीं होनी चाहिये, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिये। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, वह अपने को हरिजन लिखकर गलत तरीके से छात्रवृत्ति ले लेते हैं या स्कूल आदि का फर्जी काम करते हैं।

आप कोई ऐसी व्यवस्था पर विचार करें, जिससे यह जो तमाम तरह का मिसयूज है, वह रुक सके, उसका सही इस्तेमाल हो सके।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अवश्य विचार किया जायेगा। मान्यवर, एक्शन इसकी बाबत पहले भी ले चुके हैं, सभी जिलाधिकारियों और हरिजन कल्याण अधिकारियों को

यह आदेश दे दिये हैं कि जो छात्र-वृत्तियां दी जायं, उसकी बाबत छात्रों और छात्राओं के बैंक में एकाउन्ट्स खोले जायं और उसमें वह धनराशि जमा की जाय ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह जो आडिट रिपोर्ट का जिक्र किया गया और जो यह कहा गया कि इसमें जांच हुई है, मान्यवर, इसमें कुछ अधिकारियों के नाम छूट गये हैं, जिनका कि जिक्र उत्तर में नहीं आया है । मैं नाम पढ़ रहा हूं—श्री बुद्धो राम चौधरी, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर, श्री सुखदेव प्रसाद, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर, श्री लाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक, श्री धिरुऊ राम, वरिष्ठ लिपिक—यह चार लोग हैं और इसके बाद कुछ स्कूलों के नाम भी बतायें दे रहा हूं जो पकड़े गये हैं, जिनके विरुद्ध भी फर्जी छात्रवृत्तियों का आरोप है उनमें हैं—चिल्ड्रेन हेवेन जूनियर हाई स्कूल, किदवई नगर, कानपुर, रेज कान्वेंट जूनियर हाई स्कूल, हर्ष नगर, कानपुर, महात्मा पथिक विद्यालय (बालिका), बारा, कानपुर, एम0 के0 विद्यालय, जूही, कानपुर, श्री एम0 के0 विद्यालय, बिनगवां, कानपुर, कृष्णा कुमारी जूनियर हाई स्कूल, किदवईनगर, कानपुर, कृष्णा कुमारी बालिका जूनियर हाई स्कूल, किदवई नगर, कानपुर, मार्डन सुपर नेशनल जूनियर हाई स्कूल, जूही, कानपुर, मार्डन सुपर जूनियर हाई स्कूल, किदवई नगर, कानपुर, मार्डन सुपर नेशनल जूनियर हाई स्कूल, बाकरगंज, कानपुर ।

मान्यवर, मैंने जो यह 4 लोगों के और कुछ शिक्षण संस्थाओं के नाम बताये, क्या माननीया मन्त्री जी बतायेंगी कि इनकी भी जांच हुई और पाया कि इन्होंने भी गबन किया है, अनुदान ले लिया है, छात्रवृत्ति का पैसा हड़प लिया है ? और यदि रिपोर्ट में नहीं है, तो क्या जांच कराकर इनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह जो माननीय ऊदल जी ने यहां पर सूची प्रस्तुत की है, उसके सम्बन्ध में अवश्य जांच करा ली जायेगी ।

श्री सूबेदार सिंह—

माननीया मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह तो केवल एक ही मामला है, लेकिन पूरे प्रदेश से इस प्रकार की शिकायतें हैं कि हरिजनों के वजीफे का दुरुपयोग हो रहा है, गलत लोगों को दिया जा रहा है, एक तरह से लूट मची हुई है पूरे विभाग में, इस प्रश्न को गाइडलाइन मानते हुए सदन की एक कमेटी बनाने पर विचार करेगी, जो कि सम्बन्धित विषय की और जहां-जहां शिकायतें हैं, वहां-वहां जांच करे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जहां तक जांच का प्रश्न है, हमारे सामने जो केसेज आ रहे हैं, आडिट की शिकायतें आ रही हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच करायी है । पैसे के मामले में जो घपला हुआ है, उस सम्बन्ध में सब जनपदों को आदेश दिये जा चुके हैं कि छात्रों के बैंक एकाउन्ट खुलें और उसमें पैसा जमा हो । इससे काफी अन्तर पड़ेगा ।

(व्यवधान)

बैंक में एकाउन्ट खुलने से इस प्रकार के पैसे के घपले में पूरी कमी आयेगी, मेरा पूरा विश्वास है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं ।

निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ के मुख्यालय पर कार्यरत क्षेत्रीय अन्वेषकों को हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर प्रोन्नति

*17—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ के मुख्यालय पर कार्यरत क्षेत्रीय अन्वेषकों की प्रोन्नति पूर्व में हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर की गयी थी ? यदि हां, तो अब इन्हें हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा उसके समकक्ष पदों पर इन्हें क्यों नहीं प्रोन्नत किया जाता है ?

श्री गोपाल राम दास—

वर्ष 1972 के तीन क्षेत्रीय अन्वेषकों को जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था परन्तु उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका में न्यायालय के निर्णय के अनुसार उक्त तदर्थ नियुक्ति रद्द कर दी गई ।

क्षेत्रीय अन्वेषक पद के वेतनक्रम रु0 570—1,100 और जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी पद वेतनक्रम रु0 770-1,600 के मध्य में जिला प्रोबेशन आफिसर्स के पदक्रम हैं अतएव इन्हें जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी पद पर सीधे प्रोन्नति लाभ दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीया मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगी कि जब अन्वेषक अधिकारी के पद पर समाज कल्याण अधिकारी नियुक्त कर देते हैं तो उनकी उन्नति का रास्ता बन्द हो जाता है, जिससे उनमें घुटन होती है । जब समाज कल्याण अधिकारी, अन्वेषक अधिकारी बन सकता है, तो अन्वेषक समाज कल्याण अधिकारी क्यों नहीं बन सकता ? क्या कोई उनकी प्रोन्नति का ऐसा तरीका निकालेंगी जिससे उनमें घुटन न हो ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1978 में जब दोनों विभागों—हरिजन कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग का विलीनीकरण हो गया, उसके बाद क्षेत्रीय अन्वेषकों की पदोन्नति जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के ऊपर करने के सम्बन्ध में बीच में एक और वेतनमान है, जिला प्रोबेशन अधिकारी का । जिला प्रोबेशन अधिकारी के पदक्रम के अन्तर्गत 3 वेतनमान हैं—रु0 625—1,240, रु0 625—1360 एवं रु0 690—1,420, इस प्रकार इनके प्रोमोशन के चान्सेज हैं । एक-एक सीढ़ी लांघकर ही इनको दे सकते हैं । एकदम से जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बनाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या आश्वासन देंगी कि अन्वेषक अधिकारी या अन्वेषक कैडर के लोग हैं वे जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदों पर या उनके समकक्ष पदों पर जा सकते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने अभी निवेदन किया कि जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार प्रोन्नति की जायगी । यदि क्षेत्रीय अन्वेषक और जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के पदों के बीच में कोई प्रोमोशन है तो पहले उस पद पर प्रोन्नति होगी, उसके बाद जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बनाने के योग्य हो सकेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से यह

जानना चाहता था कि जब अन्वेषक जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त हो जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी इसे एक ही कैडर मानते हुए अन्वेषक को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर प्रोन्नति देने पर कोई विचार करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अन्वेषक के पद पर पहुंचने के बाद तीन प्रमोशन बीच में और होते हैं, तब जाकर हरिजन समाज कल्याण अधिकारी बन सकता है, इसलिए इन तीनों पदों को एक दम से ओवर राईट नहीं किया जा सकता है यह मान्यवर, सोचने की बात है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं अन्वेषक के पद के लिए और हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के पद के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन्स हैं और क्या यह सही है कि दोनों की शैक्षिक योग्यता समान है ? यदि हां, तो इन दोनों पदों की प्रोन्नति के कायदे क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इन दोनों की योग्यता की जहां तक बात है, इस विषय में सूचना मंगाकर माननीय सदस्य को दे दी जायगी और दूसरी बात में यह कहना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक पोस्ट पर नियुक्त है और उससे दुगनी पोस्ट पर जाना चाहता है तो उसके लिए एक सीढ़ी बनी हुयी है, उसी के अनुसार उसे जाना होगा, उस पर से छलांग लगा कर नहीं जाया जा सकता है नियमानुसार । लेकिन एक दूसरा रास्ता है यदि कोई हाइली क्वालिफाइड है तो वह डाइरेक्ट अन्वेषक के पद पर पब्लिक सर्विस कमीशन से आकर सेलेक्ट कमेटी में यदि आ जाए तो उसे प्रमोशन भी जल्दी मिल सकेंगे और वह हरिजन कल्याण अधिकारी भी जल्दी बन सकता है । इसके अंदर कोई हर्ज भी नहीं है ।

कानपुर देहात को उद्योग शून्य जनपद घोषित करने के पश्चात् उद्योग लगाने हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

*18--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर देहात को उद्योग शून्य जनपद घोषित करने के पश्चात् कितने उद्यमियों ने उद्योग लगाने हेतु सरकार को प्रार्थना पत्र दिया है ? इन प्रार्थना पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*19--श्री मन्जूर अहमद--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

*20--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--
[10वें बुधवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

कृष्णा छात्रावास दधिका बिल्हौर, कानपुर (देहात) नामक संस्था का संचालन तथा स्वीकृत धनराशि

1--श्री मोतीलाल देहलवी--

दिनांक 22 फरवरी, 1984 को निर्धारित श्री मोहन सिंह, विधायक के ता0 प्र0 सं0 8 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित जांच में

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

क्या यह तथ्य भी पाया गया है कि भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत अस्वच्छ पेशे में लगे हुए बच्चों के लिए दी गयी धनराशि से कोई कृष्णा छात्रावास दधिका बिल्हौर, कानपुर (देहात) नामक संस्था भी चलाई जा रही है ? यदि हां, तो यह छात्रावास गांव दधिका-बिल्हौर, कानपुर (देहात) में किन-किन लोगों द्वारा संचालित है और इस संस्था को कितनी धनराशि दी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

यह छात्रावास कृष्णा साइंस कालेज समिति 87/298, आचार्यनगर, कानपुर के नियंत्रण में संचालित है जो एक पंजीकृत समिति है । समिति के प्रेसीडेन्ट श्री कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव हैं । संस्था को वर्ष 1981-82 में 87,000 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसमें से 5,421.10 रु0 की कटौती करने के उपरान्त संस्था को केवल 81,578.90 रु0 का भुगतान किया गया है ।

जय किसान ग्रामीण विद्यापीठ, हथिका कोढवा, कानपुर (देहात) के प्रबंधक द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्र-वृति का वितरण

2--श्री मोतीलाल देहलवी--

दिनांक 22 फरवरी, 1982 को निर्धारित श्री मोहन सिंह, विधायक के ता0 प्र0 सं0 8 के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या जांच में यह भी तथ्य पाया गया है कि किसी विद्यालय ने सवर्ण जाति के छात्रों को अनुसूचित जाति का छात्र बताकर लाभ लिया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और विद्यालय का संचालनकर्ता कौन है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जय किसान ग्रामीण विद्यापीठ, हथिका कोढ़वा, कानपुर (देहात) के प्रबंधक द्वारा वर्ष 1981-82 में जुलाई से सितम्बर, 1982 तक की अवधि के 130 अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं का क्षतिपूर्ति विवरण प्रस्तुत किया गया था जिसमें संलग्न तालिका में वर्णित छात्र/छात्राओं को उनके नाम के सामने अंकित जाति दिखायी गयी थी जबकि वे अन्य जाति (चौथे कालम में अंकित) जाति के थे ।

उक्त संस्था के प्रबन्धक श्री जी0 एस0 शुक्ला हैं ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 129 पर ।)

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम में यूनिट वाईज वेहिकिल्स मेन्टीनेन्स एवं पेट्रोल पर व्यय

3- श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री द्वारिका नाथ धवन तथा श्री दामोदर शर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम में कम्पनी नं0 एक के अन्तर्गत आने वाली कताई मिलों में वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 में मैनेजमेन्ट द्वारा यूनिटवाईज कितना-कितना पेट्रोल एवं वेहिकिल्स मेंटीनेंस में कितना-कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अकबरपुर कताई मिल तथा बाराबंकी, रायबरेली मिलों के वेलफेयर फंड में धन-राशि तथा उसका व्यय

4—श्री द्वारिका नाथ धवन, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री दामोदर शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर कताई मिल तथा बाराबंकी, रायबरेली कताई मिलों में वेलफेयर फन्ड में वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में कितना-कितना धन था तथा कितना-कितना धन कब-कब, किस-किस कार्य में खर्च किया गया है? उक्त वेलफेयर फण्ड में उपरोक्त वर्षों में कमेटी के सदस्यों के चयन की क्या प्रक्रिया रही है, तथा कौन-कौन सदस्य रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

5—श्री विश्वनाथ—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

स्वर्गीय श्री चन्द्रशेखर भट्ट के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कार्यवाही

6—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 66-67 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 चन्द्रशेखर भट्ट के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कब से मामले का परीक्षण किया जा रहा है? इसमें विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है और किस निश्चित अवधि तक इनके देयों का भुगतान कर दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार स्वर्गीय चन्द्र शेखर भट्ट के परिवार को पुराने वेतनमान के आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी गई है। अवशेष देयों के सम्बन्ध में निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि स्वर्गीय भट्ट के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड, भाग 2-4 के मूल नियम 54/2 के अनुसार कार्यवाही की जाय।

श्रीमती चन्द्रावती देवी, विधवा श्री राम नरेश राम की चतुर्थ श्रेणी में बाल विकास परियोजन अधिकारी, बिरनू वि0 खंड में की गई नियुक्ति तथा वेतन का न दिया जाना

7—श्री राम नारायण सिंह, एडवोकेट—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती चन्द्रावती देवी विधवा श्री राम नरेश राम, निवासी ग्राम बबेरी, तहसील व जनपद गाजीपुर, जिनके पति जिला हरिजन एवं समाज कल्याण, गाजीपुर में चपरासी के पद पर कार्यरत रहते हुए सन् 1978 में मरे थे, की नियुक्ति दिनांक 12-12-83 को जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, गाजीपुर के आदेश से चतुर्थ श्रेणी में बाल विकास परियोजना-धिकारी, बिरनू वि0 खंड में की गई है? यदि हां, तो अब तक श्रीमती चन्द्रावती का सेवा योगदान देने के बाद भी वेतन आदि क्यों नहीं दिया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 पी0 एस0 तिवारी, प्रबन्धक, उ0 प्र0 रक्षा एवं पुनर्वासन केन्द्र बेनाझावर, कानपुर के प्रार्थना-पत्र पर जांच

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 26-9-83 को

डा0 पी0 एस0 तिवारी, प्रबन्धक, उ0 प्र0 उत्तर रक्षा एवं पुनर्वासन केन्द्र 112/95 ए, बेनाझावर, कानपुर का कोई प्रार्थना-पत्र मिला, जिसमें सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ के मानक दरों पर शासकीय विभागों में तिरपाल तथा टेंट क्रय करने और पंचायत उद्योगों की भांति रेट कांन्ट्रेक्ट के बन्धन से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में शासन से प्रार्थना की है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत विषय में शासन को डा0 पी0 एस0 तिवारी से विभिन्न तिथियों को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। इस विषय में उद्योग निदेशालय से जांच करा ली गई है और अब हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से जांच करके संस्तुति भेजने के लिए कहा गया है।

परिवहन निगम में अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटे के अनुसार सेवा में लिये जाने की मांग

9--श्री लालसा--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय से क्रमांक 5631/बी0आई0पी0-83, दि0 9-9-83 को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0 स0प0 निगम, लखनऊ को आजमगढ़ रीजन में नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित अप्रेंटिस अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटा के अनुसार सेवा में लेने हेतु आदेश भेजा है ? क्या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों की अवहेलना की जा रही है ? क्या मन्त्री जी आजमगढ़ रीजन के अनुसूचित जाति के उन अभ्यर्थियों को, जो वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें आरक्षण कोटा के अनुसार तुरन्त सेवा में लेने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां।

इस समय परिवहन निगम में नई नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है, अतः अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटा के अनुसार सेवा में लेना सम्भव नहीं है। भर्ती पर लगे उक्त प्रतिबन्ध के कारण आरक्षण कोटा पूर्ण करने की कार्यवाही भी इस समय सम्भव नहीं है।

10--श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित।]

जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत मोटर मार्ग तथा निर्माण

11--श्री गोवर्धन तिवारी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 से फरवरी, 1983-84 तक लगभग चार वर्षों में अल्मोड़ा जनपद में शासन ने कौन-कौन से नए मोटर मार्गों को स्वीकृत किया है ? इनमें से किस-किस मोटर मार्ग का कितना-कितना किलोमीटर भाग निर्मित हो चुका है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोंड/गौड़ जाति के नाम पर जनपद गोरखपुर के विद्यालयों में छात्रों को छात्रवृत्ति/पुस्तकीय सहायता का वितरण

12--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री कुबेर भंडारी--

अता0 प्र0 सं0 1, दिनांक 17 मार्च (बुधवार) 1982 के उत्तर के क्रम में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81, 1981-82 में कक्षा 6, 9 व 11 में गोंड/गौड़ के नाम पर

जनपद गोरखपुर में किन-किन विद्यालयों के किन-किन छात्रों को छात्रवृत्ति/पुस्तकीय सहायता या अन्य सहायता दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में कक्षा 6, 9 तथा 11 में गोंड जाति के जनपद गोरखपुर में संलग्न† सूची में अंकित विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति/पुस्तकीय सहायता दी गई है ।

गोंड़ जाति के किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति/पुस्तकीय सहायता नहीं दी गई है ।

श्री कोमल राम हरिजन, विकलांग तथा निराश्रित को भरण पोषण अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

13--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 2रे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 8 के सम्बन्ध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कोमल राम जो कि हरिजन, विकलांग तथा निराश्रित तीनों हैं, को भरण पोषण का अनुदान देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

भरण पोषण अनुदान हेतु श्री कोमल राम का प्रार्थना-पत्र यदि प्राप्त होता है तो जनपद के लिए आवंटित धनराशि के अधीन रहते हुए उनके प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

14--श्री पंचानन राय--

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

†(छापी नहीं गई ।)

स्कूटर बनाने के कारखाने निजी क्षेत्रों में स्थापित किये जाने की मांग

15--श्रीमती गौरी देवी--

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में 5 स्कूटर बनाने के कारखाने निजी क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थापित होंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के बदलापुर बाजार में बस स्टेशन बनाये जाने की मांग

16--श्री जंगबहादुर सिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर से बदलापुर बाजार में विभाग द्वारा बस स्टेशन बनाये जाने का निर्णय किया जा चुका है और इसके लिए निःशुल्क भूमि भी उपलब्ध है जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है ? क्या कारण है कि अब तक निर्माण कार्य नहीं प्रारम्भ कराया गया ? क्या बस स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए निर्माण कार्य कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन निगम में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत बस स्टेशन का निर्माण सम्भव नहीं है ।

अन्तर्राज्यीय टसर विकास परियोजना के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी पद हेतु नियुक्ति का शासनादेश

17--विजय सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 2रे बुधवार के अता0 प्र0 संख्या 36 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी पद

हेतु स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करने का जो शासनादेश हुआ उसका अन्तर्राज्यीय टसर रेशम विकास परियोजना में पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जैसा कि विधानसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर में सूचना दी गई है कि अन्तर्राज्यीय टसर विकास परियोजना के अन्तर्गत अभी तक किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी है । परियोजना का कार्य राज्य टसर योजना में नियुक्त कर्मचारियों से लिया जा रहा है ।

आजमगढ़ जिले के फतहपुर व मंडा ब्लाक में बाल विकास परियोजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

18--श्री राजकुमार राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि शासन को विश्वनाथ प्रसाद [कार्यकर्त्ता कांग्रेस आई निवासी द्वारा जिला आजमगढ़ का पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 10-2-84 के साथ इस आशय का मिला था कि आजमगढ़ जिले के फतहपुर मंडा ब्लाक जो स्पेशल कम्पोनेन्ट का ब्लाक है, में बाल विकास परियोजना लागू कर दी जाय ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद आजमगढ़ के तीन विकास खंडों में मोहम्मदाबाद, पल्हा तथा रानीपुर में बाल विकास परियोजना इस समय चल रही है । इस जनपद के फतहपुर व मंडा ब्लाक में बाल विकास परियोजना लागू करना अभी सम्भव नहीं है ।

19--श्री राजकुमार राय--

[10वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

रोशनपुर व नूरुल्लाहपुर, ब्लाक दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ से ग्राम परिसिया व विशुनपुरा, जिला देवरिया तक बंधा बनाने हेतु सर्वेक्षण

20--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1984 में रोशनपुर व नुरुल्लाहपुर ब्लाक दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ से ग्राम परिसिया व विशुनपुरा, जिला देवरिया तक बंधा बनाने हेतु कोई सर्वेक्षण सिंचाई विभाग के अवर या सहायक अभिन्तागण ने किया था ? यदि हां, तो क्या वह सर्वेक्षण जिलाधिकारी, आजमगढ़ के आदेश से हुआ और क्या इस प्रस्तावित बंधा को देवरिया में बन रहे बंधे में मिलाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवारा क्षेत्र में कटाव से फसलों की बर्बादी रोकने व रास्ता बनाने के लिए बंधा बनवाने हेतु पत्र

21--श्री राज कुमार राय--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10-2-84 शिवगोविन्द यादव, प्रधान कचता नरायनपुर, लालबहादुर यादव, ग्राम प्रधान, धर्मपुर, पखेड़ी यादव, प्रधान, बखरिया, अमर जीत, प्रधान, नुरुल्लाहपुर के पत्र दिनांक 20-1-84 के साथ इस आशय का कि देवारा क्षेत्र में कटाव से फसलों की बर्बादी रोकने व रास्ता हेतु परिया से रोशपुर, सारंगपुर तक बंधा बनवाने हेतु मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और बंधा निर्माण की क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम शक्करपुर व ग्राम हरैया, जिला आजमगढ़ के काश्तकारों की फसल की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में पत्र

22—श्री राजकुमार राय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10-2-84 ग्राम शक्करपुर, तहसील घोसी व ग्राम जमीन हरैया, तहसील झगड़ी, जिला आजमगढ़ के काश्तकारों को फसल की क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में था, मिला था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी और अलग-अलग कितनी क्षतिपूर्ति की गयी ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

23—श्री राजकुमार राय—

[10वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

रसूलपुर इनामुद्दीपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी के कटाव को बोल्डर डालकर रोकने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

24—श्री राज कुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें तथा जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 10-2-1984 के साथ श्री महेश्वर नारायण सिंह, प्रधान, रसूलपुर का पत्र रसूलपुर इनामुद्दीपुर तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में हो रहे घाघरा नदी के कटाव को बोल्डर डालकर रोकने हेतु मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? बोल्डर डालने में कितना विलम्ब है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

25—श्री ऊदल—

[10 वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

श्री अवधेश कुमार सिंह वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, गोंडा के स्थायीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही

26—श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री अवधेश कुमार सिंह, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जो परिवहन निगम में वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद पर गोंडा में कार्यरत हैं उनको स्थायीकरण 34 साल सेवा में रहने के बावजूद भी अब तक नहीं किया गया है जब कि वह रिटायर होने वाले हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्री अवधेश कुमार सिंह को सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर वर्ष 1967 में स्थायी किया जा चुका है । कनिष्ठ केन्द्र प्रभारियों की वरिष्ठता सूची अन्तिम न हो पाने के कारण, श्री सिंह को कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद पर स्थायी नहीं किया जा सका है ।

जनपद कानपुर देहात में उद्योग लगाने वालों को सरकार द्वारा दी गयी सुविधाएं

27—श्री मोतीलाल वेहलवा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जनपद कानपुर देहात उद्योग शून्य जनपद माना गया है ? यदि हां, तो उद्योग शून्य जिला के अन्तर्गत उद्योग लगाने वालों को सरकार क्या-क्या सुविधाएं दे रही है ? क्या उद्योग लगाने हेतु गांव समाज की ऊसर बन्जर भूमि आवंटित करने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

28-29—श्री राजेन्द्र सिंह—

[10 वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—78-79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खन्ड कोट के अन्तर्गत नवाड़ी अल्प सिंचाई योजना का निर्माण

30—श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास खंड कोट के अन्तर्गत नवाड़ी अल्प सिंचाई योजना का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया था और कब तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ? इस योजना के निर्माण से ग्रामवासियों को अब तक क्या लाभ हुआ तथा इस योजना के निर्माण पर अब तक क्या व्यय हुआ है और योजना को पूर्ण करने के लिये कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता है तथा क्या सरकार द्वारा इस अतिरिक्त धनराशि को उपलब्ध करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय नलकूप संख्या 160 के निर्माण में काश्तकारों की अधिगृहीत की गयी भूमि तथा मुआवजा

31—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय नलकूप संख्या 160 (ग्राम हुसेनपुर) में नलकूप, पम्प हाउस तथा नालियां बनाने में जो भूमि काश्तकारों को अधिगृहीत की गई है उसका मुआवजा जोतदारों को अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका ।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होते ही मुआवजा दे दिया जायेगा ।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, डाली-गंज, लखनऊ के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग व अध्यापकों के वेतन पर व्यय

32—श्री कुबेर भन्डारी—

विधान सभा द्वितीय सत्र 1983 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या —143 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या उद्योग मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि राजकीय प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र डालीगंज, द्वारा प्रदत्त टेक्निकल सार्टिफिकेट इसलिये वैध नहीं है कि यह केन्द्र मान्यता प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो यहां पर शिशुक्षु कोर्स हेतु अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग आदि देने पर तथा अध्यापकों की तनख्वाह पर गत वर्ष कितने रुपए व्यय किये गये हैं ? संस्था के मान्यता प्राप्त न होने के कारण इन शिशुक्षकों को कोर्स कराने का औचित्य क्या है ? क्या मन्त्री जी तुरन्त इस राजकीय संस्था को मान्यता देंगे ? यदि नहीं, तो संस्था को तुरन्त बन्द कराके राजकीय धन का दुरुपयोग होने से बचायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के ट्रेनिंग आदि पर वर्ष 1982-83 में रु0 7,325 व अध्यापकों की तनख्वाह आदि पर 1,09,428 रु0 व्यय हुआ ।

प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के अन्तर्गत चल रहे प्रशिक्षण केन्द्रों का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के नवयुवकों को

विशेष रूप से दस्तकार परिवार के सदस्यों को प्राविधिक प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि करना एवं उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे विभिन्न कलाओं में निजी उद्योग स्थापित कर अपना जीविकोपार्जन कर सकें। यह ट्रेनिंग सरकारी सेवाओं अथवा किसी फैक्ट्री आदि में नौकरी के उद्देश्य से नहीं दी जाती है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों का स्तर एवं ध्येय पूर्णतया भिन्न है। इसके अन्तर्गत प्रमाण-पत्र इस आशय से दिये जाते हैं कि वे वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकें और ग्रामीण अंचल में अपना स्व रोजगार स्थापित कर सकें। अतः राजकीय प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, डालीगंज को बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है।

स्व0 श्री रमापति त्रिपाठी, सीनियर एकाउन्टेन्ट, राज्य परिवहन निगम, फैजाबाद की परिवारिक पेंशन एवं बकाया भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

33—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रमापति त्रिपाठी, सीनियर एकाउण्टेण्ट, राज्य परिवहन निगम फैजाबाद की मृत्यु 7-11-1982 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनका प्रावीडेन्ट फन्ड इन्श्योरेंश तथा बकाया भुगतान एवं फेमिली पेंशन का निपटारा कर दिया गया या नहीं ? इस सम्बन्ध में एक पत्र परिवहन मन्त्री को प्रश्नकर्ता ने 9 फरवरी, 1983 को दिया था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां, स्व0 श्री रमापति त्रिपाठी के प्राविडेन्ट फन्ड के समस्त प्रपत्र पूर्ण करा कर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 6 अप्रैल 1983 को अन्तिम निष्कासन हेतु प्रेषित किये गये थे। पारिवारिक पेंशन के समस्त प्रपत्र पूर्ण करा कर महालेखाकार (तृतीय) पेंशन आडिट विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 5 जनवरी 1984 को प्रेषित किये गये थे। प्राविडेन्ट फन्ड एवं पारिवारिक पेंशन के भुगतान पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। स्मृति पत्र भेजा गया।

सामूहिक बीमा की शुद्ध धनराशि रुपये 20,484.63 पैसे का भुगतान उक्त मृतक की विधवा को दिनांक 21-5-1983 को कर दिया गया है। बकाया वेतन आदि का भी भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 9-2-1983 प्राप्त हुआ था जिस पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद से आख्या प्राप्त कर उपरोक्त कार्यवाही की गयी।

अजईपुर माइनर, वाराणसी को समाप्त करने के आदेश

34—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अजईपुर माइनर, 38वां खंड बावतपुर राजवाहा, वाराणसी है, इसको कमान्ड से कटाने हेतु एस0 ई0, शारदा सहायक, इलाहाबाद ने मार्च, 1983 में ही अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक को भेज दी है ? क्या यह सही है कि प्रश्न कर्त्ता ने भी एक पत्र अप्रैल, 83 में मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक, उत्तर प्रदेश श्री शेर सिंह को कैथेडली माइनर रेलवे के पश्चिम एवं अजईपुर माइनर को समाप्त करने हेतु लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर इन माइनरों को निरस्त करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

दीनदासपुर माइनर की पटरी एवं खांई को ऊंचा कराने की मांग

35--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक केराकत, जौनपुर की नहर की माइनर दीनदासपुर की पटरी (सड़क) एवं खाई कम ऊंची होने से वाराणसी जिले के गांव चारों एवं हिरामनपुर में दोनों तरफ टूट कर सैकड़ों एकड़ फसल को डूबा देती है ? यदि हां, तो उक्त माइनर की पटरी एवं खाई को ऊंचा न करने का कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि 1982 व 83 में नहर टूटी थी और इस वक्त भी टूटी हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दीनदासपुर माइनर केराकत राजबहा के किमी0 29.500 के दाहिने तरफ से निकली है । नहर का सेक्शन अभी पूरा नहीं है तथा सर्विस रोड नीची है जिस कारण से स्थान-स्थान पर सीपेज होता है । वर्ष 1982-83 में नहर कभी टूटी नहीं थी, केवल कुछ स्थानों पर मामूली शोरी अवश्य हुई थी जिसे तत्काल ठीक करा दिया गया था, और कोई क्षति आदि नहीं हुई थी, यह माइनर 10·4 किमी0 लम्बी है तथा इस समय उक्त नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है तथा नहर कहीं पर टूटी नहीं है ।

वर्ष 1983-84 में धन की कमी के कारण किनारे मजबूत नहीं किये जा सके, इन्हें 1984-85 में मजबूत कर दिया जावेगा ।

वाराणसी जनपद के पिंडरा ब्लाक में कथित खराब नलकूप

36--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मानापुर, पिंडरा, पिंडराई, शाहपुर, तेलारी ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी महीनों से खराब है ? यदि हां, तो इन नलकूपों को ठीक न कराने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वाराणसी जनपद के पिंडरा ब्लाक में नलकूप मानापुर, पिंडरा, पिंडराई, शाहपुर तेलारी नाम का कोई नलकूप नहीं है ।

नलकूप गांडर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को चालू किये जाने की मांग

37--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप गांडर ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की बोरिंग हुए करीब दो वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, इसमें मोटर पम्प आदि लगाकर चालू न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप तृतीय, गांव गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा की नाली एवं हेड को पक्का किये जाने हेतु कार्यवाही

38--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप तृतीय गांव गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की नाली एवं हेड को अब तक पक्का बनाने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि अब तक एक मीटर भी नाली पक्की नहीं बनाई गयी है जबकि ट्यूबवेल को गड़े दो वर्ष एवं चालू हुये एक वर्ष हो गया है ? क्या सरकार इसकी नाली पक्की बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ब्लाक पिंडरा के नलकूप गढ़खड़ा 3 की पम्प हाउस व डिलेवरी टैंक व नाली पर हेड रेगुलर माह 11/1981 म ही पक्का बना दिया गया है।

इस कूप पर माह 1/1984 तक 0·5 कि0 मी0 पक्की नाली का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

मुसहर जाति की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाने हेतु जांच

39—श्री ऊदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसहरों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई जांच कराने का फैसला सन् 82 में किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

जांच से यह पता चला कि मुसहर जाति आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टि से अन्य विमुक्त जातियों की तुलना में बहुत ही पीछे हैं। अतः उन पर विशेष ध्यान देकर उनके उत्थान हेतु पांच जनपदों जिनमें इनका बाहुल्य पाया गया 6,00,000 रुपये प्रति वर्ष का सहायक अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है। ये जनपद सुल्तानपुर, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर तथा वाराणसी हैं। यह सहायक अनुदान पिछड़े हुए मुसहर परिवारों के उत्थान हेतु जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा मुसहर जाति के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु दो आश्रम पद्धति विद्यालय सुल्तानपुर एव वाराणसी में चलाये जा

ट्रक नं0 यू0 टी0 सी0 9963 पर शासकीय बकाया शुल्क की वसूली की कार्यवाही

40—श्री सन्त बख्श रावत—

प्रथम सत्र 1984 के पहले बुध के अतारांकित प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 12692 रुपये 90 पैसे की वसूली हेतु जो प्रमाण-पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया था, उसका परिणाम क्या रहा ? क्या विभाग ने इस संबंध में जिलाधिकारी, लखनऊ को कोई स्मरण पत्र भेजे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्नगत बकाया की वसूली अभी नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी लखनऊ से विभाग द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखा गया है तथा लिखित अनुस्मारक भी भेजा गया है।

जौनपुर की दिनदासपुर माइनर के सीपेज एवं ओवरफ्लो से कृषकों द्वारा फसलों को प्रतिकर देने की मांग तथा खाईं एवं पटरी को ऊंचा उठाने के मामले पर विचार

41—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक केराकत माइनर, जौनपुर की दिनदासपुर माइनर कई वर्षों से गांव हिरामनपुर एवं चारों वाराणसी में टूट जाती है ? क्या यह सही है कि यह नहर रबी की बोआई के बाद सन 1982 में एवं जनवरी, फरवरी, 1983 में भी टूट गयी थी, जिससे सैकड़ों एकड़ रबी की फसल नष्ट हो गयी ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की, रिपोर्ट क्या है ? क्या

किसानों को कोई मुआवजा भी दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। नहर भराव में होने के कारण इन ग्रामों के पास सीपेज तथा कहीं-कहीं ओवरफ्लो होता है।

जी नहीं। सीपेज एवं ओवरफ्लो के कारण फसल को कोई प्रतिकर देने लायक हानि नहीं हुई थी। इसकी जांच जिलेवार द्वारा कराई गयी थी। नहर के पानी से नुकसान न होने से कारण किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया।

42--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दिन दासपुर माइनर की खाई एवं मुख्य पटरी गांव बढ़ौना हिरामनपुर एवं चारों जिला वाराणसी में काफी नीचे है ? यदि हां, तो उसको ऊंचा उठाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। पटरी को ऊंचा उठाने का मामला विचाराधीन है।

शारदा सहायक खंड 36 के उप खंड 4 की नहर टूट जाने से ग्रामों को क्षति तथा सिंचाई कर में छूट

43--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड 36 के उपखंड 4 की नहर टूट जाने से गांव भौरा पूरनपुर, खरगोसीपुर, हसनपुर, सरायं, मकसूद पीपापुर, पदमपुर, जिला जौनपुर की हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी है ? क्या यह सही है कि गांव सरकी से गांव सेनापुर तक नहर का लेबिल नीचा है और पटरी ऊंची न होने के कारण ही हमेशा नहर टूटती है ? क्या इसकी जांच कराकर किसानों को मुआवजा दिया जायेगा और नहर ऊंची करायी जायेगी।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। नहर टूटी थी। किन्तु कोई क्षति नहीं हुई। पानी नाले से निकल गया। इस पानी से धान की रोपाई भी की गयी है। पेसारा राज-बाहा अधिकांशतः उसरीले भाग से गुजरता है। वर्षा से पटरी नीचे अवश्य हो गयी है। धन भाव के कारण ठीक नहीं हो पायी है। शीघ्र ठीक करा दी जायगी। प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि क्षति नहीं हुई।

44--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड 36 जौनपुर की नहर गांव बिशुनपुर, परइल, ब्राह्मणपुर, जमुआरतनपुर में टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या नहर की मरम्मत करायी गयी और किसानों को मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। अधिक मात्रा में पानी होने के कारण यह राजबहा 45-100 कि0 मी0 के पास दिनांक 24-7-1983 को बायीं ओर तथा दिनांक 28-8--1983 को दाहिनी ओर टूट गया था। खांदियों की मरम्मत यथासम्भव शीघ्रता से करा दी गयी थी। वस्तुतः इस स्थान का क्षेत्र नसेबी है तथा नहर टूटने से विशेषतः कोई क्षति नहीं हुई एवं पानी पास भी जमुआ नाला से निकल गया। मामूली क्षति 3-45 एकड़ में बोये गये गन्ने को हुई। इसकी सिंचाई कर में छूट दे दी गयी है और कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है।

शारदा सहायक की केराकत राजवाहा का पानी नाद नदी में गिराये जाने का कथित प्रस्ताव

45—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कोलअसला, तहसील व जिला वाराणसी में शारदा सहायक की नहर केराकत, जौनपुर का पानी नाला बनकर नाद में गिराया जा रहा है ?

जी नहीं ।

परगना कोल-असला तहसील व जिला वाराणसी में केराकत राजवाहा का पानी नाला बनाकर नाद नदी में न तो गिराया जा रहा है और न ही गिराने का प्रस्ताव है ।

ग्राम रसूलपुर वि० खं० शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता

46—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रसूलपुर, वि० खं० शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किन व्यक्तियों को कितनी सहायता अब तक और कब दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ग्राम रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जनपद सुल्तानपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक 22 अनुसूचित जाति के लोगों को चयनित किया गया । वर्ष 1982-83 तक चयनित अनुसूचित जाति के लोगों में से किसी ने भी ऋण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया । वर्ष 1983-84 में चयनित 4 अनुसूचित जाति के लोगों में से एक चयनित व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा 2 लोगों ने लिखित रूप से सूचित किया वे ऋण नहीं लेंगे । ऐसी स्थिति में केवल एक व्यक्ति को छोड़कर और किसी को लाभान्वित नहीं किया गया । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत उक्त विकास खण्ड के माध्यम से कोई कार्य सम्पादित नहीं कराया गया ।

लखीमपुर खीरी में जीविकोपार्जन हेतु हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गयी भूमि

47—श्री राम स्वरूप निम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 54-55 में लखीमपुर खीरी में विमुक्त जाति के परिवारों की भटपुरा कालोनी में 71 परिवार को 562 एकड़ कुसुमी कालोनी में, 31 परिवार को 262 एकड़, सुआभोज कालोनी में 40 परिवार को 280 एकड़ नकहा कालोनी में 50 परिवार को 341 एकड़ देवकली कालोनी, 60 परिवार 375 एकड़, तथा साहबगंज कालोनी में 150 परिवार 800 एकड़ जमीन हरिजन समाज कल्याण द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो जिन परिवारों को जमीन पर स्वामित्व है उन्हीं परिवारों के नाम खसरा खतौनी में कराकर सरकारी अनुदान एवं ऋणों की सुविधा दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1954-55 में लखीमपुर खीरी में विमुक्त जाति के परिवारों को भटपुरा कालोनी में 70 परिवार को 589.20 एकड़, कुसुमी कालोनी में 30 परिवार को 242.41 एकड़ सुआभोज कालोनी में 40 परिवार को 255 40 एकड़, नकहा कालोनी में 40 परिवार को 263.45 एकड़, देवकल कालोनी में 26 परिवार को 173.88 एकड़ तथा शाहबगंज कालोनी में 10 परिवारों को 50 एकड़, जमीन हरिजन एवं समाज

कल्याण विभाग द्वारा दी गई थी । यह जमीन उन्हें केवल जीविकोपार्जन के लिये दी गयी है । जमीन पर इन लोगों का स्वामित्व नहीं है । अतः इस भूमि पर उन्हें ऋण की सुविधा दिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई मजदूर संघ के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं द्वारा दिया गया मांग पत्र

48—श्री नन्द राम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 10 जनवरी, 1983 को सिंचाई मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश एवं सिंचाई वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य मंत्री एवं सिंचाई मंत्री के निवास पर सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन करके मांगों का ज्ञापन दिया गया ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मांगें क्या हैं तथा 28 जनवरी, 1983 तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कितने कर्मचारी वर्कचार्ज कार्य से पृथक् किये गये तथा पृथक् करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

10 जनवरी, 1983 को सिंचाई मजदूर संघ के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं का हस्ताक्षरित मांग पत्र मुख्य मंत्री जी के आवास पर प्राप्त हुआ था । मांग पत्र में निहित मांगों तथा उसके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न† है ।

प्रश्नगत अवधि में 2877 कर्मचारी सेवा से पृथक किये गये थे क्योंकि विभाग को उनकी आवश्यकता न थी ।

तहसील फरीदपुर (बरेली) में शाहजहांपुर नहर से ग्राम सेखापुर हेतु राजबाहा का कथित निर्माण

49—श्री नन्द राम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर (बरेली) में शाहजहांपुर नहर से ग्राम सेखापुर के लिए राजबाहा का निर्माण हो गया ? यदि नहीं, तो कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

चूंकि उपरोक्त क्षेत्र के लिए राजवाहे का निर्माण कराने की कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में बेतवा नहर से निकाली गयी बिलोहन माइनर तथा ग्रामों की सिंचाई

50—श्री धनीराम वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जालौन जनपद में बेतवा नहर से बिलोहन माइनर निकाली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस माइनर के आगे बिलोहन नाले पर पुलिया बनवाकर इसके ऊपर से पानी निकालकर पुरा और माटौली आदि ग्रामों की सिंचाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । बिलोहा माइनर निकाली गयी है ।

इस माइनर के बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि आगे की भूमि समतल नहीं है ।

जनपद जालौन के ब्लाक रामपुर के गांव पुरा और महरौली की भूमि की सिंचाई हेतु लिफ्ट सिंचाई योजना

51—श्री धनीराम वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के ब्लाक रामपुर के गांव पुरा और महरौली ग्रामों की भूमि की

†छापा नहीं गया ।

सिंचाई हेतु एक लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ की गई है जिसकी नालियां आदि बन कर तैयार हैं ? क्या यह योजना कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों की भूमि की सिंचाई होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अतिशीघ्र उक्त ग्रामों की भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, वर्ष 1968 में बैरा पम्प कैनाल प्रारम्भ की गई थी ।

ग्राम महटौली की भूमि की सिंचाई होती है परन्तु ग्राम पुरा की भूमि की सिंचाई नहीं हो पाती है क्योंकि पम्प नहर की छमता केवल 5 क्यूसेक है ।

ग्राम पुरा की भूमि की सिंचाई हेतु एक राजकीय नलकूप का छिद्रण किया जा चुका है ।

नलकूप पर गूलें बनायी जा चुकी हैं, विद्युतीकरण होने के पश्चात् नलकूप सिंचाईरत हो सकेगा । नलकूप के विद्युतीकरण के लिये राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मऊरानीपुर, झांसी में नलकूपों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

52--श्री भागीरथ--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता विधायक का दिनांक 17-9-1981 का पत्र जो मऊरानीपुर, झांसी में सूखे की स्थिति से निपटने के के लिए नलकूपों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कुल कितने नलकूप किन-किन स्थानों पर लगाये गये, कितने प्रस्तावित हैं ? तथा शासन का अभी तक कुल नलकूप लगाने पर कितना व्यय हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । झांसी जनपद के मऊरानीपुर क्षेत्र में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संस्थान द्वारा अन्वेषणात्मक छिद्र कराया गया था जिसके आधार पर समुचित निकास के नलकूप इस क्षेत्र में बनाया जाना सम्भव नहीं पाया गया अतः इस क्षेत्र में कोई राजकीय नलकूप नहीं लगाया जा सका है और न ही प्रस्तावित है । व्यय होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी में चार सिंचाई योजनाओं को प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में पत्र

53--श्री भागीरथ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता विधायक का दिनांक 23-11-82 का पत्र, जो मऊरानी क्षेत्र (जिला झांसी) में चार सिंचाई योजनाओं को आरम्भ कराने के सम्बन्ध में था, सिंचाई मंत्री व मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

तहसील मऊरानीपुर, जिला--झांसी में निम्नांकित चार बांध प्रस्तावित हैं :--

1--सिजार बांध

2--पथरई बांध

3--कुरार बांध

4--लखेरी बांध

उपरोक्त में से केवल पथरई बांध परियोजना एवं सिजार बांध परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत हो चुकी है । धनाभाव के कारण इस योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

जनपद झांसी में नलकूपों की बोरिंग हेतु रिंग मशीनों की व्यवस्था कराए जाने के सम्बन्ध में पत्र

54—श्री भागीरथ—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता विधायक का पत्र दिनांक 7 नवम्बर, 1981 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, जिसमें जनपद झांसी में नलकूपों की बोरिंग हेतु रिंग मशीनों की व्यवस्था कराए जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । मऊरानीपुर क्षेत्र के तीनों ब्लाकों में जनपद प्लान में जिला स्थल चयन समिति के द्वारा कोई स्थल निश्चित न किये जाने के कारण प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

55—श्री भागीरथी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र, आजमगढ़ में विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियां तथा हरिजन कोटा

56—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अत'0 प्र0 सं0 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 नियुक्तियों में कितने हरिजनों की नियुक्तियां की गई थीं ? क्या हरिजन नियुक्तियों के लिये सेवायोजन कार्यालय से कोई मांग की गई ? यदि नहीं, तो उचित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अधिकारियों द्वारा किन आधारों पर समाधान कर लिया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है

हरैया ब्लाक में छोटी सरयू तथा महुला गढ़वाल बांध के मध्य स्थित भू भाग की सिंचाई हेतु परियोजना का सर्वेक्षण कार्य

57—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 62 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? सर्वेक्षणोपरान्त इस योजना का अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत परियोजना का सर्वेक्षण कार्य जारी है आशा है कि अप्रैल, 1984 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा ।

सर्वेक्षण के उपरान्त इस योजना की फीजीबिल्टी रिपोर्ट पर शासन द्वारा विचार करके अन्तिम निर्णय लिया जायेगा । इस हेतु निश्चित समय बताया जाना सम्भव नहीं है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र, गोरखपुर में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां

58—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र, गोरखपुर में 1-1-82 से अब तक विभिन्न पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां हुईं ? उनमें से कितनी नियमित की गयी हैं तथा कितनी तदर्थ आधार पर की गयी हैं ? इन नियुक्तियों के लिये क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं ? क्या स्वतन्त्रता सेनानियों का आरक्षण इन नियुक्तियों में पूरा है ?

श्री गुलाब सेहरा—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र, गोरखपुर में 1-1-82 से अब तक कुल 174 नियुक्तियां की

गयीं। इनमें से 115 नियमित तथा 59 दैनिक वेतन भोगी के रूप में आवश्यकतानुसार की गयीं।

नियमित नियुक्तियां अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पश्चात् चयन समिति द्वारा बनायी गयी सूची से तथा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के होने के आधार पर की गयी। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का आरक्षण पूरा नहीं है।

श्री जी0 डी0 दुबे, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

59--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र के 1ले बुध0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 142 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच अधिकारी कौन और किस तिथि को नियुक्त किये गये? क्या इन्होंने शिकायतकर्ता से जांच कार्य हेतु सम्पर्क किया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुख्य अभियन्ता (गंडक) ने अपने पत्र दिनांक 23-7-83 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, गंडक, ड्रेनेज मंडल, गोरखपुर को प्रश्नगत मामले की जांच हेतु आदेश दिया था।

जी नहीं। शिकायतों की जांच अभिलेखों के आधार पर की गयी थी।

सर्वोदय विकास आश्रम, मौदहा, हमीरपुर संस्था की जांच व रिपोर्ट

60--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा 1984 के प्रथम सत्र के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के सम्बन्ध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच अधिकारी, कौन और किस तिथि को नियुक्त किये गये तथा उनकी जांच रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सर्वोदय विकास आश्रम, मौदहा, हमीरपुर संस्था की जांच निदेशालय लेखा अधिकारी श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव को दिनांक 15 मार्च, 1983 को नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसके अनुसार संस्था 31-5-80 तक चली।

जिला उद्योग केन्द्रों में कार्यरत प्रबन्धकों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का कोटा

61--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत जनपद के जिला उद्योग केन्द्रों में कितने प्रबन्धक हैं और उनमें कितने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं तथा शासनादेश के अनुसार उनका कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों और उसकी पूर्ति हेतु सरकार क्या कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिला उद्योग केन्द्रों में कुल 244 प्रबन्धक हैं। इनमें स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कोई नहीं है। शासनादेश के अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये कोई कोटा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के औद्योगीकरण हेतु योजनायें

62--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के औद्योगीकरण हेतु कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं? उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खंड जैतीपुर व तिलहर एवं खुदागंज में औद्योगिक प्रगति का विवरण

63--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के विकास खंड जैतीपुर व तिलहर एवं खुदागंज में विगत दो वर्षों में वार्षिक औद्योगिक प्रगति क्या रही है ? क्या यह सच है कि तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर उद्योग के स्थानान्तरण के फलस्वरूप औद्योगिक प्रगति में गिरावट आयी है ? यदि हां, तो क्या शासन किसी योग्य असिस्टेंट इंडस्ट्री आफिसर अथवा भू0पू0 अ0 इ0 आफिसर की पुनः नियुक्ति तिलहर में करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत औद्योगिक प्रगति का विवरण संलग्न है ।

संलग्न विवरण के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि औद्योगिक प्रगति में कुछ गिरावट तो आई है परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह गिरावट तत्कालीन सहायक प्रबन्धक के स्थानान्तरण के कारण ही है ।

जी हां। किसी योग्य सहायक प्रबन्धक को वहां तैनात करने के आदेश भेजे जा रहे हैं ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 130 पर ।)

गोंडा जिले में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यकाल में बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के पकड़े गये मामले

64--श्री भोला लाल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गोंडा जिले में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में उनके उ0 क्षेत्र में बिना टिकट यात्री ले जाने के कितने मामले पकड़े गये हैं और इन मामलों से सम्बन्धित कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध पृथक्-पृथक् क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

गोंडा जिले में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यकाल में बिना टिकट यात्री ले जाने के कुल 252 मामले पकड़े गये। 81 परिचालकों को निलम्बित किया गया तथा 10 परिचालकों को सेवा से पृथक् किया गया । 45 परिचालकों को मूल वेतन पर उतारते हुये अन्य दण्ड दिया गया । छः परिचालकों की वेतन वृद्धि रोकी गयी तथा 7 परिचालकों का सुचरित्र भत्ता आदि काटा गया । 24 परिचालक अभी भी निलम्बित हैं ।

सर्वश्री मु0 वैश्य, बी0 के0 सिंह, जे0 एल0 वर्मा, के0 के0 गुप्ता तथा टी0 डी0 पाण्डेय, यातायात निरीक्षकों को निलम्बित किया गया ।

सर्वश्री मु0 वैश्य तथा बी0 के0 सिंह यातायात निरीक्षक हाईकोर्ट, लखनऊ से निलम्बन आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने के उपरान्त कार्यरत हैं ।

सर्वश्री जे0 एल0 वर्मा, के0 के0 गुप्ता तथा टी0 डी0 पाण्डेय, यातायात निरीक्षक अब भी निलम्बित हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है ।

जनपद गाजीपुर के विकास खंडों में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के व्यय की जांच

65--श्री राम नारायण सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में बाल विकास परियोजना के

अन्तर्गत दिनांक 1-1-79 से 31-12-83 तक कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गयी थी तथा किन-किन विकास खन्डों में इस योजना पर कितना खर्च किन-किन मदों में किया गया है ? क्या यह सत्य है कि दी गयी धनराशि का उपयोग एवं उपभोग पात्र व्यक्तियों के हित में न करके सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा फर्जी बिल वाउचर बनाकर हड़प लिया गया है? क्या मंत्री जी कोई आडिट दल भेज कर इन आरोपों एवं तथ्यों की जांच करायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड रेवतीपुर में बाल विकास परियोजना वर्ष 1978-79 में शुरू की गयी थी। इस जनपद में तीन अतिरिक्त विकास खंडों के अधीन मनिहारी, बिरसों व सैदपुर में परियोजना वर्ष 1982-83 में शुरू की गयी। रेवतीपुर बाल विकास परियोजना को वर्ष 1978-79 से अब तक 51,02,706 रुपये की धनराशि आवंटित किया गया। मनिहारी, सैदपुर व बिरनों परियोजनाओं को वर्ष 1982-83 से अब तक क्रमशः 10,15,925, 10,52,390 तथा 10,56,250 रुपये धनराशि आवंटित किया गया। इन समस्त परियोजनाओं में अब तक कुल धनराशि 41,09,604·17 रु0 वेतन महंगाई भत्ते आदि पर एवं 23,90,137·80 रुपया पुष्टाहार पर व्यय हुआ। उपयोग एवं उपभोग के सम्बन्ध में शिकायतें आयी हैं जिसका परीक्षण विभागीय आडिटरों से कराने का निर्णय लिया गया है।

जनपद आजमगढ़ अहरौली से माहुल-फूलपुर होते हुए बस सेवा को पुनः चालू किये जाने की मांग

66--श्री अबुल कलाम--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ अहरौली से माहुल-फूलपुर होते हुए आजमगढ़ के लिए जो एक बस चलती थी उसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है और पुनः उक्त बस कब तक चलायी जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में खोले गये कल-कारखाने तथा विद्युत् उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही

67--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में सन् 80 से 83 के बीच में कितने नये कल कारखाने एक करोड़ से अधिक के खोले गये ? क्या सभी को विद्युत् उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ क्षेत्र के कार्यवाहक डिपो प्रबन्धक श्री टी0 एन0 सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच

68--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ क्षेत्र के कार्यवाहक डिपो प्रबन्धक (श्री टी0 एन0 सिंह) के भ्रष्टाचार, उत्पीड़न तथा मनमानी के विरुद्ध रोडवेज मजदूर सभा, आजमगढ़ द्वारा विगत 27 फरवरी, 1983 से प्रश्न भेजने की तिथि तक आमरण अनशन जारी है ? क्या यह भी जानकारी हुई है कि अनशनकारी श्री शफीक अहमद पर अनशन कैम्प में प्राणघातक हमला कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आजमगढ़ के थाना कोतवाली में दिनांक 1-3-83 को ही दर्ज हुई है ? यदि हां, तो इस पर श्री टी0 एन0 सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

आजमगढ़ क्षेत्र की कतिपय समस्य ओं को लेकर रोडवेज मजदूर सभा के प्रतिनिधियों द्वारा 27-2-83 को आमरण अनशन आरम्भ किया गया था। दिनांक 4-3-83 को उप प्रधान प्रबन्धक (पूर्वी जोन) से वार्ता के फलस्वरूप उक्त अनशन सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में समाप्त हो गया।

श्री शफीक अहमद, मजदूर पर प्राणघातक हमला कराये जाने तथा इस सम्बन्ध में थाना आजमगढ़ में दर्ज करायी गयी एफ0 आई0 आर0 की कोई सूचना विभाग को नहीं है और न ही पुलिस की ओर से ही इस आशय की कोई सूचना प्राप्त हुई।

अनशन की अवधि में पुलिस की उपस्थिति बराबर बनी रही। अतः श्री शफीक अहमद पर प्राणघातक हमले का प्रश्न नहीं उठता है और श्री टी0 एम0 सिंह ने इस आरोप का खंडन किया है।

उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में श्री सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में ग्राम गठमोहन तथा ऊंचाडीह सलेमपुर के निवासियों का जल निकास की व्यवस्था से सम्बन्धित पत्र

69—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में ग्राम गठमोहन तथा ग्राम ऊंचाडीह सलेमपुर के निवासियों का जल निकास की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 29-10-83 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुष्टाहार योजना तथा व्यय

70—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा विधान सभा क्षेत्र में पुष्टाहार योजना कब से लागू की गयी? वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में अब तक किन-किन ग्रामों को इस योजना में लिया गया तथा कितना-कितना धन व्यय हुआ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में सम्बन्धित पुष्टाहार योजना (पूरक पोषाहार) वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ हुई किन्तु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के कारण पोषाहार वितरण का कार्य जून, 1983 से प्रारम्भ हुआ।

इस विधान सभा क्षेत्र के 63 गांव इस योजना में आते हैं जिनकी सूची संलग्न है। रु0 1,59,372.35 व्यय हुआ। माह जनवरी-फरवरी 1984 से केयर द्वारा दलिया, सोयाबीन का तेल जो निःशुल्क प्राप्त हुआ है जिसे वितरित किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 131 पर।)

कानपुर जिले में दशमोत्तर छात्र-वृत्ति के अन्तर्गत सामान्य शैक्षिक सत्र से लम्बी अवधि के लिए भुगतान

71—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में 1980-81 तथा 1981-82 की अवधि में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के

अन्तर्गत 14 विद्यार्थियों को 45,000 रुपये का भुगतान सामान्य शैक्षिक सत्र से लम्बी अवधि के लिए किया गया है ? यदि हां, उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

कानपुर विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र अनियमित हो जाने के कारण परीक्षा विलम्ब से सम्पन्न हुई जिसके परिणाम-स्वरूप दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति की नियमावली के आधार पर प्रवेश की तिथि से परीक्षा की तिथि तक छात्रवृत्ति भुगतान करने के कारण सामान्य शैक्षिक सत्र से लम्बी अवधि का भुगतान किया गया ।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर, कानपुर जनपद में दशमोत्तर छात्रवृत्ति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पूर्ण हो जाने के बाद नवीनीकरण

72--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे, कि गोरखपुर-कानपुर जनपद में 36,000 रुपये की दशमोत्तर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विद्यार्थियों की पढ़ाई पूर्ण हो जाने के बाद 1980-81 तथा 1981-82 की अवधि में किया गया ? इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अन्तर्गत दी जाती हैं । इसके अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रवेश की तिथि से परीक्षा के माह तक देय होती है ।

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के सत्र अनियमित हो जाने के कारण अनुसूचित जातियों के छात्रों के हित में ही छात्रवृत्तियां बाद में स्वीकृत की गयीं ।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, नैनीताल में गबन की जांच

73--श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव-नारायण सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी कुछ दिनों पूर्व नैनीताल में जो अनुसूचित जाति एवं जन-जाति वित्त निगम में गबन हुआ था और एक लिपिक ने आत्महत्या कर ली, क्या इसकी सूचना सरकार को है ? अगर सूचना है, तो गबन कितना हुआ और क्या जिम्मेदार अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त निगम नामक कोई निगम नैनीताल में नहीं है । कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, नैनीताल में जनजातियों के अनुदान से सम्बन्धित 52,500 रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है और इसी निगम में नियत वेतन पर कार्यरत एक भूतपूर्व कर्मचारी श्री सतीश-चन्द्र पन्त द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना भी प्राप्त हुई है किन्तु इसका इस गबन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

इस सम्बन्ध में कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्राविधिक अधिकारी श्री एम० एन० शुक्ला, जो उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये थे तथा कुमाऊं

अनुसूचित जनजाति विकास निगम में प्रायोजना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, को उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया गया है और उनके विभाग द्वारा उन्हें निलम्बित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हरिजन समाज कल्याण विभाग के जनजाति निरीक्षक श्री सत्यवत सिंह राना को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद उनके विभाग द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

मामले की तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है तथा निगम द्वारा भी विभागीय जांच की जा रही है।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपके सतत् प्रयास करने के बाद भी बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक चीज इस सदन में बराबर देखने को मिलती है, आज भी उसे देखने का अवसर मिला कि गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही अक्सर देर से प्रारम्भ होती है। आज भी 6 मिनट देर से सदन की कार्यवाही, गणपूर्ति के अभाव में शुरू हो पायी।

श्री अध्यक्ष—

6 मिनट नहीं बल्कि 4 मिनट देर से।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ठीक है, 3 मिनट ही सही, मुझे ऐसा आभास हुआ था कि शायद 6 मिनट। तो आज भी सदन की कार्यवाही 3 मिनट देर से प्रारम्भ हुई हमारी संसदीय परम्परा के अनुसार गणपूर्ति कायम रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। प्रतिपक्ष के लिये यह बात सर्वदा महत्व की है। लेकिन सदन बैठने के पूर्व ही कोरम होता नहीं, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही देर से शुरू होती है। इस सम्बन्ध में व्यवस्था होती रही और सरकार को मौका मिलता रहा है, लेकिन परिणाम आज भी सामने आया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और साथ ही आपको सुझाव भी देता हूं कि यहां भोजन के अवकाश का समय होता नहीं है इसलिये उसमें यह व्यवस्था हो गई है कि भोजनावकाश में गणपूर्ति नहीं देखी जायेगी। इसी तरह से अब कोई व्यवस्था प्रश्नकाल के लिये भी करने की जरूरत है जिससे कि कोरम के अभाव में प्रश्नों का समय अनावश्यक रूप से व्यतीत न हो जाय और उसमें किसी तरह की कटौती न होने पावे तो जब प्रश्न पूछने वाला और उत्तर देने वाले मन्त्री उपस्थित हों तो कोरम के अभाव में कार्यवाही विलम्ब से न शुरू की जाये और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं और सत्ता दल की भर्त्सना करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपकी यह मन्शा है कि जब प्रश्न करने वाला और उत्तर देने वाला मौजूद हो तो इस सदन को चलने दिया जाये?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपने दूसरी बहुत एक्सट्रीम की बात कही, मैं तो व्यवस्था चाहता हूं कि आखिर कैसे काम चलेगा। प्रश्नों के माध्यम से जो अंकुश हमको सरकार पर रखने का अधिकार है उसको यह जान बूझकर कम कर रहे हैं और कोरम का अभाव पैदा कर रहे हैं, तो इससे हमारा नुकसान होगा। आप कोई व्यवस्था करें, नेताओं की बैठक बुला लें। आपने एक नहीं अनेक बार आदेश दिया है, लेकिन उन आदेशों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है, उनका कोई असर नहीं होता है, यह उनकी जिम्मेदारी है ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर बात कि सदन म कोरम नहीं रहता है इससे साफ जाहिर है कि जो शासक पार्टी है उसके मन्त्रिपरिषद् का सदस्यों का विश्वास प्राप्त नहीं है, इसीलिए उनके सदस्यों की रुचि नहीं है कि वह मन्त्रियों की मदद करें, हम केवल सन्तोष चाहे व्यक्त कर लें । बहुत से माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं, और जिनका प्रश्न रहता है, उस समय भी वह उपस्थित नहीं रहते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ इस तरह की कोई दंडात्मक कार्यवाही करें, जैसे अगर कोई सदस्य सदन में सुबह से शाम तक उपस्थित नहीं रहता है तो उसका भत्ता कट दिया जाता है, अगर इस प्रकार का कोई बात नहीं करेंगे तो जिस उद्देश्य के लिए जनता ने हमको यहां पर चुनकर भेजा है, उस उद्देश्य का निर्वहन नहीं होगा । कोरम के न रहने पर सदन की कार्यवाही न चलने दी जाये ।

मान्यवर, बीच में लन्च के लिए भोजनावकाश के समय कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । अगर आप इसी तरह से धीरे-धीरे ढील देते जायेंगे तो एक ऐसा समय आयेगा कि 11 बजे से 5 बजे तक सदन में कोरम ही नहीं रहेगा । तो मेरा विचार है कि किसी भी समय कोरम के अभाव में सदन को चलने की ढील नहीं दी जानी चाहिये । मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि कोरम के अभाव में सदन को चलाया जाये । आप इस पर कार्यवाही करें । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी, नेता विरोधी दल और दूसरे दलों के जो नेता हैं उनकी आप बैठक बुला लें और इस प्रश्न पर विचार कर लें लेकिन किसी भी हालत में चाहे प्रश्न प्रहर हो या शून्य प्रहर हो बिना कोरम के सदन की कार्यवाही न चलायी जाये । एक समय था कि जब सभी मन्त्री सदन में बैठते थे और सबसे बड़ी विडम्बना की बात तो यह है कि नेता सदन स्वयं इस सदन में नहीं उपस्थित होते हैं, नेता सदन के नाम पर जितना उपहास इस समय के नेता सदन ने किया है, उतना किसी दूसरे मुख्य मन्त्री ने नहीं किया है । अपने विभाग का बजट हो या गवर्नर के धन्यवाद के प्रस्ताव पर भाषण हो, तभी नेता सदन इस सदन में उपस्थित रहते हैं और उसके बाद निरन्तर अनुपस्थित ही रहते हैं और इस सदन की उपेक्षा करते हैं । इस पर आप विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—

कल नेताओं की बैठक बुलायी है उसमें इस प्रश्न को रखा जायेगा कि प्रश्नों के समय में कोरम के अभाव में देरी होती है, तो क्या किया जायेगा, इस पर विचार किया जायेगा, तब इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ, में व्याप्त अराजकता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

301 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इनमें से श्री श्याम लाल बाजपेयी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा श्री कुबेर भंडारी, श्री राम स्वरूप वर्मा श्री खैरुल बसर, श्री विजय सिंह राना तथा श्री मोती लाल देहलवी की सूचनाओं को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री श्यामलाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन एवं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय के मुख्यालय के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में व्याप्त गुण्डागर्दी, अराजकता, अनुशासनहीनता एवं असुरक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

खेलकूद निदेशालय के निदेशक सेवा-निवृत्त ब्रिगेडियर श्री बी0 पी0 भल्ला लकूद से अनिभज्ञ होने के कारण निदेशालय का कार्य उप निदेशक श्री क्षमन लाल शर्मा श्री बी0 एस0 चौहान तथा क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, उप क्रीड़ाधिकारी तथा गुण्डा-गर्दी के आचार्य श्री शशीपाल एवं क्रीड़ाधिकारी सुश्री गुन्ना गांगुली को सौप दिया है ।

21 जनवरी, 1984 को उप क्रीड़ाधिकारी श्री शशीपाल ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री चन्द्र प्रकाश को हाकियों और लाठियों से बाहरी गुन्डों से पिटवा कर लहूलुहान कर दिया था । तीन महीने बेचारा जान बचाये घूमता रहा ।

6 अप्रैल, 1984 को प्रातः 11-40 पर उपरोक्त वर्णित अधिकारियों ने बाहरी गुन्डों को बुलाकर लाठी, डन्डों और हाकियों से श्री मदनलाल गुप्त, लिपिक एवं महामंत्री कर्मचारी संघ को पिटवाया । श्री गुप्त को गम्भीर चोटें आई हैं । पुलिस और जिला प्रशासन गुन्डों के सामने कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है । सम्पूर्ण खेलकूद निदेशालय में तनाव व्याप्त है । कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है ।

आपसे निवेदन है कि सरकार को आदेश देकर गरीब और निरीह कर्मचारियों को सुरक्षा दिलाकर तानाशाह अधिकारियों को दंडित कराने की कृपा करें ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम पकड़ियार विशुनपुर, जिला गोरखपुर में लगी आग से क्षति तथा राहत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक गम्भीर एवं विशेष लोक महत्व के विषय को आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । गत 5 अप्रैल को थाना घुघली (गोरखपुर) के पकड़ियार बिशुनपुर गांव में भीषण आग लगी जिससे 87 मकान जल गये और एक दर्जन एकड़ गेहूं एवं गन्ना जल गया । जलने से तीन लोग भी मर गये और सात अस्पताल में भर्ती हैं । पत्रकार दल ने क्षति का अनुमान 25 लाख रुपया लगाया है । खेद है कि सरकार ने अभी तक 5700 रुपये ही वितरित किये । लोग कड़कड़ाती धूप में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए बाध्य हो गये हैं । पीड़ित लोगों में शासन की उपेक्षापूर्ण नीति के विरुद्ध व्यापक असन्तोष है ।

अतः सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने, विशेष सहायता तत्काल देने तथा मृतकों के परिवारों को अधिकतम सहायता देने की मांग करता हूं ।

देवरिया जनपद के गांवों में आग का प्रकोप तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, जनपद देवरिया में दिनांक 5 अप्रैल से लगातार भयंकर आग का प्रकोप गांवों में हो रहा है तथा हजारों घर जल कर राख हो गये हैं जिसमें खपरैल व पक्के मकान भी सम्मिलित हैं । उक्त घरों के जलने में मनुष्यों के अलावा जानवर आदि भी बुरी तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से जल कर मर चुके हैं। यह काण्ड बराबर 5 अप्रैल से और अब तक जारी है। इस अग्निकांड से जनपद देवरिया पूरा त्रस्त है।

अतः इस माननीय सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर मैं यह निवेदन करूंगा कि शासन उन गरीब लोगों की हर तरह से सहायता करें जिससे वे अपना मकान ऐसी कड़कती हुई धूप से बचने के लिए तत्काल बना सकें तथा जिन लोगों के घर जलकर राख हो गये हैं उन्हें सरकारी देय वगैरह माफ किया जाय तथा इन्हें तत्काल आर्थिक सहायता देकर राहत कार्य किया जाय।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज जिला फर्रुखाबाद के डा0 बी0 जी0 तिवारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं निम्नलिखित तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के प्रभारी चिकित्साधिकारी डाक्टर बी0 जी0 तिवारी सन् 1981 से वहां पर कार्यरत हैं। उन्होंने अभी हाल में श्री आर0 पी0 श्रीवास्तव, यू0 डी0 सी0 जो अभी हाल में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थानान्तरित किये गये थे, को हिसाब-किताब का फिजिकल चार्ज देने से इन्कार कर दिया है जिसकी बाबत उक्त श्रीवास्तव ने 6 मार्च, 1984 के पत्र द्वारा सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण लखनऊ को सूचित किया है कि श्री तिवारी स्वयं हिसाब-किताब लिखते हैं क्योंकि उन्होंने लाखों रुपये का गबन किया है। जैसे तीन साल से डी0 डी0 टी0 छिड़काव न कराकर उसका भुगतान ले लेगा, साठ दाइयों का फर्जी प्रशिक्षण दिखाकर भत्ता निकाल लेना, आकस्मिक व्यय का हजारों रुपया वाउचरों पर भुगतान करा लेना आदि। डाक्टर तिवारी के उक्त गबन की पोल खुलने के कारण इलाके की जनता में रोष और क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः मैं नियम 301 के अन्तर्गत माननीय स्वास्थ्य मंत्री से श्री श्रीवास्तव द्वारा सचिव को लिखे गये पत्र में वर्णित आरोपों की जांच उक्त डाक्टर का घर के जिले से स्थानान्तरण करके किसी वरिष्ठ एकाउन्ट अफसर (लेखाधिकारी) से अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा जनपद के कतिपय ग्रामों में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, आगरा जनपद के ग्राम अकोला, नरीपुरा और बरौली अहीर की टंकियां यथेष्ट मात्रा में विद्युत् आपूर्ति न होने के कारण पूरी तरह नहीं भर पाते। फलतः इन गांवों की जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। जनता, पानी के अभाव में त्राहि-त्राहि कर रही है। विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था प्रारम्भ से ही ऐसी रही है। अतः यहां आवश्यकता है कि इन टंकियों के ट्यूबवेलों पर आयल इंजन अथवा जनरेटर लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। साथ ही यह आवश्यक है कि इन टंकियों के दूसरे ट्यूबवेलों को शीघ्र चालू कराया जाय।

मैं आपके माध्यम से सदन और शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की इस त्वरित समस्या की ओर आकर्षित करते हुए सूचित करना चाहता हूं कि यदि समस्या का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो क्षेत्रीय जनता में विद्रोह की लहर दौड़ जायेगी और उसका संपूर्ण दायित्व शासन पर होगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकाशिनी देवी निवासिनी ककुरी जिला कानपुर की दहेज के कारण कथित हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, 17 मार्च, 1984 को दहेज की हविश में सुसराल वालों ने प्रकाशिनी देवी की हत्या की और पुलिस से सांठ-गांठ कर आत्महत्या दिखाने का षडयंत्र किया। मृतक गांव बकोठी थाना बिल्हौर कानपुर निवासी राम सेवक कटियार की बहन है, जो कानपुर के शिवराजपुर थानान्तर्गत गांव कुकुरी में रवीशचन्द्र कटियार को ब्याही थी। ससुराल वाले फरार होने के पश्चात् पुलिस से सौदा पटाकर प्रकट हुए। ससुराल वालों ने मायके में तमाम दिन मृत्यु सूचना नहीं दी और रात 8 बजे शिवराजपुर के पुलिस कर्मी से मृतक द्वारा फांसी लगाये जाने की सूचना भिजवाई। हत्या किये जाने के आत्मविश्वास पर मायके वाले थाना शिवराजपुर पहुंचे। थानाध्यक्ष ने हत्या रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी तो वे घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने उन्हें लाश तक नहीं दिखायी।

विवाह अवसर पर दहेज में मांगी गयी सोने की जंजीर देने के आश्वासन की विफलता के आक्रोशवश मृतक का उत्पीड़न जारी था, जिसे मृतक मायके आने पर बताती रही। अन्ततः जंजीर देकर ही विदा करने के संकल्प पर मृतक मायके में रोकी गयी, किन्तु पति के विश्वास दिलाने पर 17 फरवरी, 1984 को विदा कर दी गयी थी। तथ्यों-साक्ष्यों व पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या प्रमाणित है, किन्तु पुलिस मौन है। सी0 आई0 डी0 जांच अपेक्षित है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रामपुर में गैर कानूनी बसों के चलने से राजस्व की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, रामपुर शहर में गैरकानूनी बसों के चलने से लाखों रुपये यातायात का घाटा हो रहा है। इस सम्बन्ध में पिछले सत्र तथा पिछले चार सालों से इस मामले को उठा रहा हूं कि प्रतिदिन किले के दरवाजे से दो बसें देहली के लिए एक बस रोडवेज से तथा चार बसें रेलवे स्टेशन से बिलासपुर तथा रुद्रपुर के लिए जाती हैं। यह बसें एक अवांछनीय स्मगलर द्वारा चलाई जा रही हैं जिसकी दस कुंतल चरस दो साल पूर्व दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ी गयी थी परन्तु सबूत न मिलने पर बच रहा। इस व्यक्ति का कहना है कि उसने जिलाधिकारी से लेकर मुख्य मंत्री तक अपनी पहुंच बना रखी है और यह सच भी लगता है क्योंकि पिछले चार सालों से बराबर मांग करते रहने पर भी शासन एवं प्रशासन एक बस भी न रोक सका।

मेरी मंत्री महोदय से गुजारिश है कि किसी भी दिन सुबह पांच बजे बिना बताये छापा मार कर किले के दरवाजे रेलवे स्टेशन और सरकारी बस अड्डे से इन बसों को पकड़ कर सजा दें तथा सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो करोड़ों रुपये का धन कमा कर सरकार का नुकसान कर रहा है, को सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार करें।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मुझे आज औचित्य की 7 सूचनाएं प्राप्त हुई। मैंने अपने कक्ष में जो हमारे नियम हैं और जो हमारे यहां परम्परायें हैं उनके तहत देखा जहां तक माननीय रियासत हुसैन की सूचना का सम्बन्ध है-राजभाषा (संशोधन) अधिनियम के संबंध

में उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति, दिनांक 7 अप्रैल, 1984 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इस प्रश्न को सदन में उठाया था और तब मैंने कहा था कि चूंकि उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति मुझे प्राप्त नहीं हुई है . . .

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा राज भाषा से सम्बन्ध नहीं है उसका तो निर्णय आपके अधीन है लेकिन मैं उसके अलावा और आर्डिनेन्सेज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अभी निर्णय की प्रतिलिपि नहीं मिली है, इसलिये जो आप कह रहे हैं, उसको बाद में सुनूंगा ।

जहां तक श्री विजय सिंह राना का सवाल है तो वर्तमान सत्र के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के सन्दर्भ में ऊर्जा मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर से सम्बन्धित यह मामला आश्वासन पूर्ति न करने से सम्बन्धित प्रतीत होता है, अतः मैं इसे आश्वासन समिति को सुपुर्द करता हूं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह के प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री विशेष रूप से इसको देख । यह मामला औचित्य के प्रश्न, नियम 300, की परिधि में नहीं आता है । फिर भी इसके बारे में मैंने आपको निर्देश दिया था । चूंकि मेरे कक्ष में श्री रुद्र प्रताप सिंह ने बताया था कि लोगों को वहां की पुलिस ने मारा-पीटा, जिसको यहां कहा तो वहां के सरकारी अधिकारी चाहते थे कि जो कुछ माननीय सदस्य ने विधान सभा में कहा है उसमें पहले लिखकर दे दें कि हमें कुछ नहीं कहना है, कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दें । इसलिये माननीय सदस्य ने जो लिखकर दिया उसको मैंने देखा है, इसलिये इसमें आप विशेष व्यवस्था करायें और वहां के डी0 एम0, एस0 पी0 और वहां के डी0 आई0 जी0 को बुलायें । उसके बाद श्री रुद्र प्रताप सिंह को अपने कक्ष में बुलाकर मालूम करें कि क्या कारण हैं । यदि सदन में इस तरह के मामले आते हैं, उस बात को लेकर किसी व्यक्ति को पीटा जाता है, कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दें, अपनी बात को वापस ले लें, यह बातें इस सदन के लिये बहुत गलत बात और गलत परम्परा हैं । इसलिये मन्त्री जी आप इन तीनों अधिकारियों और श्री रुद्र प्रताप सिंह को बुलाकर संतुष्ट करें कि किस को क्या गलती है और भविष्य में इस तरह की बात नहीं होना चाहिये ।

जहां तक श्री रेवती रमण सिंह का प्रश्न है कि किसी सरकारी भवन को 8 मन्जिल ऊंचाई तक तामीर करने के सम्बन्ध में है, तो यह मामला औचित्य के प्रश्न की परिधि में नहीं आता है । फिर भी मैं इसकी प्रति माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री को उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं । आखिरकार यह 8 मन्जिल भवन क्यों बनाये जा रहे हैं जबकि नियमों में नहीं है, इसलिये इसको देखकर माननीय सदस्य को इसके बारे में वस्तुस्थिति से अवगत करायें ।

जहां तक श्री कन्हैया लाल का प्रश्न आई0 आर0 डी0 ए0 की बैठक, दिनांक 7 अप्रैल, 1984 और 17 अप्रैल, 1984 को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में है, तो इनकी सूचना को मैं मुख्य सचिव को इस निदेश के साथ भेज रहा हूं कि वे इसकी जांच कर मुझे सूचित करें कि दिनांक 17 अप्रैल, 1984 को यह बैठक क्यों बुलाई गयी है । उसको कैंसिल किया जाये और भविष्य में नया सरकुलर भेजा जाये कि सदन चल रहा हो तो इस तरह की बैठक बुलाना उचित नहीं है ।

जहां तक श्री [illegible] सिंह का बुलन्दशहर में आई0 पी0 एस0 अधिकारी तथा पुलिस [illegible] के विरुद्ध के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न है, तो इसमें दिनांक 13 मार्च, 1984 को मद संख्या 12 के अन्तर्गत माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा था कि इस मामले में आयुक्त से जांच करायी जायेगी

माननीय सदस्य की सूचना की प्रति माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को भेजकर उनसे जानकारी प्राप्त की जायेगी कि उसमें कार्यवाही हुई और जांच आरम्भ हुई है कि नहीं ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, कमिश्नर ने जांच से मना कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, जब मैंने आपकी सूचना के बारे में बता दिया है तो आप क्यों खड़े हैं ? आप बैठ जायं ।

यह बड़ी दुखदायी बात है, जब अध्यक्ष खड़े हुए हैं, क्या उसके बाद भी सीनाजोरी की जाएगी । यह गलत बात है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सरदार सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री माननीय नरेन्द्र सिंह भंडारी और किरनपाल सिंह ने जो दिया है वह अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के सम्बन्ध में है, जिसमें अध्यापक पद का लाभ का पद घोषित किया गया है । इसी तरह की

(व्यवधान)

सूचना नियम 56 में माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा तथा लल्लू सिंह चौहान जी ने दी है । मैं इसमें एक-दो आदमियों के लिए प्रयत्न करूंगा, सबके लिए सम्भव नहीं है, ताकि इसमें सही निर्णय हम ले सकें । इसलिए मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुलाता हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं अध्यापक हूं, मुझे इसमें बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद में यह सब देखूंगा ।

विधान परिषद् की सदस्यता हेतु चुनाव लड़ने वाले अध्यापकों के पद को लाभ का पद निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस समय उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के द्विवार्षिक चुनाव—अध्यापकों या जो अन्य स्थान रिक्त हैं, उनके बारे में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है । यह चुनाव, चुनाव आयोग द्वारा होता है । अभी लखनऊ अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो नामांकन हुए थे, उनके सम्बन्ध में चुनाव अधिकारी, लखनऊ के जिलाधिकारी, श्री आर० एन० त्रिवेदी ने ऐसा फैसला लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व है । उन्होंने यह फैसला लिया है, उन्होंने अध्यापक का पद लाभ का पद घोषित करते हुए—जितने भी अध्यापक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कालेजों के हैं, विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित महाविद्यालयों के हैं और जो तन्खाह पाते थे, उनके नाम खारिज कर दिये हैं । चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, उसके अन्तर्गत वह जब प्रारम्भ हो जाएगी, तो जब तक उसका अन्त नहीं होगा, बीच में उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी ।

अब एक दूसरा विषय इसमें है, जो हमारी विधान सभा से सम्बन्धित है । यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 का सहारा लेकर दिया गया है । इस अनुच्छेद के 1 (क) में दिया हुआ है :—"191 (1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(ग) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान मन्डल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।" इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई विधान सभा का, संसद का, लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य ऐसा है जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में लाभ का पद धारण किये हो, यह उसकी डिस-क्वालीफिकेशन या अयोग्यता होगी। इसके तहत श्री त्रिवेदी ने 191 का हवाला देते हुए उनको निकाल दिया, लेकिन इसमें यह दिया हुआ है कि राज्य विधान मन्डल लाभ के पद से अपवाद भी घोषित कर सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि सरकार से पैसा लेने के बाद भी लाभ का पद नहीं माना जाता है और अध्यापक पद को भी अबतक लाभ का पद नहीं माना जाता था, क्योंकि सरकार का अपना निर्णय था। अब जो फैसला हुआ है वह गलत हुआ है या सही हुआ है, मैं उसके अन्दर नहीं जाना चाहता हूं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया गया है। रोशन लाल वाले केस में जो था, उसमें और इन अध्यापकों के मामले में भेद है। वह पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी थे, एक सरकारी संस्था के कर्मचारी थे। लेकिन यह अध्यापक एक स्वतन्त्र संस्था के तहत काम करते हैं। इनके छुट्टी व अनुशासन आदि का मामला पूरी तरह से प्रबन्धक के हाथ में है, केवल उनके वेतन वितरण की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। इसमें साफ भेद है। उसके बाद भी उन्होंने फैसला कर दिया है। अब सरकार के सामने यह मामला जाता है, सरकार की नीति इस बारे में क्या होगी 191 (क) के अनुसार क्या वह कोई विधेयक लाकर या नया नोटिफि-केशन करके यह जो लाभ का पद घोषित किया गया है, अध्यापकों को एग्जेप्ट करेंगे? यह मान्यवर, शासन की नीति से सम्बन्धित है। आज हमारे पूरे हिन्दुस्तान में चाहे ग्राम प्रधान हों, ब्लाक प्रमुख हों, जिला परिषद् के सदस्य हों, विधान सभा के सदस्य हों, विधान परिषद् के सदस्य हों, संसद सदस्य हों, उन सभी में अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संविधान के अन्तर्गत जहां-जहां बाइकेमरल लेजिस्लेचर हैं, वहां विधान परिषद् हैं और उनमें अध्यापकों का प्रतिनिधित्व रखा गया है। आजादी की लड़ाई के पहले भी विधान परिषद् थी और इनका प्रतिनिधित्व था। जो हमारा उत्तर उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवेन्शन अफ डिस्क्वालिफि-केशन ऐक्ट, 1971 है उसमें भी व्यवस्था की गयी है इनके लिये तथा जो हमारा इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट है उसके नियम 99 में विधान मन्डल के या संसद के सदस्यों के लिये स्पेशल लीव का भी प्राविधान किया गया है। यदि वह डिस्क्वालीफाइड हैं तो चुनने के बाद स्पेशल लीव का प्राविधान क्यों किया गया है। यह मान्यवर, नीति सम्बन्धी प्रश्न है क्योंकि अध्यापकों का प्रतिनिधित्व संविधान द्वारा तय किया गया है। जो यह निर्णय किया गया है इससे तो कोई भी अध्यापक विधान मन्डल का सदस्य नहीं रह पायेगा। इससे आज सम्पूर्ण प्रदेश में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी है। सरकार की क्या नीति है वह बतायें और उसे स्पष्ट करें। उसके बाद हम बतायेंगे कि उसमें क्या होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

अनुच्छेद 324 में जो निर्वाचन से सम्बन्धित मामला है, उसकी तरफ भी तो आपका ध्यान गया होगा?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

गया है मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तथा यह जो निर्णय हुआ है दोनों में फर्क है। इस फैसले से जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है

और सरकार से वक्तव्य की मांग की है।

श्री फखरे आलम—

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और इसमें कोई फर्क नहीं है।

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैंने मान्यवर, नियम 56 में यह दिया था। हम लोगों के कत्ले आम की घोषणा कर दी गयी है। इस फैसले के अनुसार हम लोग यहां नहीं रह पायेंगे, इसलिये मेरी अर्जी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में उसको नहीं लिया है, वह इसी में आ गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह जो फैसला हुआ है इसमें एक आधार यह माना गया है। कि इसको लाभ का पद माना गया है। हमारे लोगों का भुगतान ट्रेजरी से होता है। मैं निर्णय के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी बात ही केवल आपसे कहूंगा। टीचर्स का वेतन भी ट्रेजरी से होता है, मगर उस वेतन भुगतान की प्रक्रिया स्कूल का मैनेजर पूरी करता है और वह यह एसरटेन करता है कि हमको वेतन समय से मिलता है या नहीं। अनुच्छेद 191 के अन्तर्गत हम नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के लिये हुआ है, हम लोगों के लिये नहीं है। हम बेसिक शिक्षा के अधिकारी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया यह बतायें, मान लीजिये जब चुनाव होता है और किसी का नामिनेशन पेपर खारिज हो जाता है तो उसके लिये क्या सदन में चर्चा होती है?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस फैसले को मान लिया गया तो वह तमाम माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं वह इससे प्रभावित होंगे। मैं शिक्षा संहिता की ओर भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो अध्यापक विधान परिषद् या विधान सभा में चुन लिये जाते हैं उनको विशेष अवकाश दिया जायेगा। यह सुविधा हमको मिली हुई है। तो इस निर्णय के तहत वह सुविधा भी समाप्त हो जायेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है और जो नामिनेशन रिजेक्ट हुआ वह बेसिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत कार्यरत अध्यापकों पर लागू होता है जो सरकारी कर्मचारी हैं। एम0 डी0 आई0 वगैरह जो हैं वह उनके अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमारे जो हाई स्कूल, डिग्री कालेज, यूनीवर्सिटी में काम करने वाले लोग हैं उनका नियंत्रण सरकार नहीं करती है। हमारी सेवा शर्तें कमेटी आफ मैनेजमेंट से गवर्न होती हैं। हमारी सेवा शर्तों से सरकार का कोई मतलब नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे इस प्रश्न पर आप निर्णय देने की कृपा करें।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बिंदु उठाये उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। सिर्फ वह बिन्दु जो सदन के कार्य संचालन से संबंधित है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही बात है कि किसी चुनाव अधिकारी द्वारा किसी का नामांकन वैध या अवैध कर दिया जाय तो उससे इस सदन का कोई संबंध नहीं है और वह नियम 300 के अंतर्गत उसकी परिधि में नहीं आता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर, 1983 में फैसला दिया है उसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षक लाभ का पद धारक घोषित किये जाते हैं और एक रिट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

याचिका खारिज की गयी और यहां एक माननीय सदस्य को बैठने के लिये बहाल किया गया उसको आधार मानकर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जहां कहीं सभापति के पद पर बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत अध्यापक थे, उनके खिलाफ याचिकायें दायर की गयीं और अधिकांश जगहों पर से हटा दिये गये ।

हमारा कार्य संचालन इससे कैसे प्रभावित होगा उस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । श्री त्रिवेदी ने जो चुनाव अधिकारी, लखनऊ थे उन्होंने एक फैसला देकर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसकी तरफ से पूरे प्रदेश और विधायिका का ध्यान आकर्षित किया है । विधान मंडल श्रीमन्, विधान परिषद् और विधान सभा को मिलकर बनता है और कोई भी कानून हमारे संविधान के मुताबिक, दोनों सदनों से पास होता है । उसके बाद उस पर महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वह विधि का रूप धारण करता है । संविधान के अनुसार विधान परिषद् का जो संगठन है उसकी एक प्रक्रिया है । उसमें धारा 171, जो धारा हमारे संविधान की है उसके 'ग' की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । (ग) यथा शक्ति ग्यारहवां भाग, ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनने वाले निर्वाचन मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में जो संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निहित की जाय पढ़ाने के काम में कम से कम 3 वर्ष से लगे हों । यानी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों से नीचे 3 वर्ष तक जिनका अध्यापन कार्य हो, केवल माध्यमिक स्तर के नहीं बल्कि नीचे प्राइमरी के हो सकते हैं, जूनियर हाई स्कूल के हो सकते हैं ।

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की भांति जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को अभी उत्तर प्रदेश में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है जो संविधान की धाराओं के विपरीत है । संविधान की धाराओं में यह कहीं नहीं लिखा है कि केवल माध्यमिक शिक्षा में जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव है, केवल वही चुनाव लड़ सकते हैं । विधान परिषद् का जो गठन है उसके ग्यारहवें हिस्से में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत काम करने वाले अध्यापक भी हैं और हमारे विधान के पास कराने में उनका भी सहयोग रहता है । अब मान्यवर, जो अर्हता है, इसके बारे में ज्ञापन देने का जो प्राविधान है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 (1) में लिखा हुआ है--यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान मन्डल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगी । (2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा । यानी ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होगी, तो राज्यपाल महोदय के पास ज्ञापन जायेगा और राज्यपाल महोदय यह निश्चय करेंगे कि वह व्यक्ति अयोग्य है कि योग्य । इस सदन में बैठे हुए ऐसे माननीय सदस्य, जिनकी योग्यता इस सदन का सदस्य या विधान परिषद् का सदस्य रहने के योग्य नहीं हैं, उसके द्वारा पारित किया हुआ नियम क्या इस सम्पूर्ण प्रदेश में विधि सम्मत माने जायेंगे ? इसलिए यह हमारे सदन की कार्य-प्रणाली को भी प्रभावित करता है ।

कौन व्यक्ति योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन लाभ के पद पर है, कौन नहीं है, कौन सी कोटि राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में गिनी जायं या नहीं, इसको निश्चय करने का विधान मंडल को अधिकार है । लेकिन जहां तक विधान परिषद् का प्रश्न है, जो माध्यमिक शिक्षा

स्तर पर कार्य करने वाले अध्यापक हैं, उनका दायरा सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में रखते हुए और उन्होंने जो 2-3 तर्क दिये वह संगत तर्क है यह कि अध्यापकों का जो अभी फैसला किया है, उस फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि जो प्रबन्ध समितियां हैं, उनका और अध्यापकों का रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं रहेगा। अध्यापकों का जो निलम्बन और नियुक्ति, अनुशासनिक कार्यवाही आदि हैं, वह ऐक्ट के मुताबिक अब प्रबन्ध समिति के पास यह अधिकार नहीं रहा, सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन के पास वह अधिकार चला गया है। इसलिए नियुक्ति ही नहीं, बल्कि अनुशासन संबंधी मामला भी शासन के पास आ गया है। इसलिए यह लागू नहीं होता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् में काम करने वाले कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं नहीं, लाभ का पद लेते हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि इस लोकतन्त्र में रहने के लिए सभी राज्य कर्मचारियों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया जाय, तो मैं ऐसा समझता हूं कि पार्टी के अनुशासन को तोड़ कर मैं इसका समर्थन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक के लिए लाइये, दूसरे के लिये न लाइये, मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। इस लिए मैं इस पर आपकी दो बिन्दुओं पर व्यवस्था चाहता हूं। (1) सदन में बैठे हुए जो शिक्षा से सम्बन्धित अध्यापक हैं, क्या वह इस सम्मानित सदन के विधिवत सदस्य हैं? (2) उनके द्वारा पारित कोई भी कानून वैधानिक है या नहीं? इन दो बिन्दुओं पर आप निर्णय दे दें।

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया है, उसकी मंशा निर्वाचन अधिकारी के जजमेन्ट की आलोचना करना नहीं है, उससे जितना असर हम लोगों पर पड़ता है और इस सम्मानित सदन पर पड़ता है वही मेरी मंशा है। इस सदन के अनेकानेक सदस्यों को मैं जानता हूं जोकि शिक्षक हैं और एडेड स्कूलों में काम करते हैं। मैं स्वयं भी उसी वर्ग से आता हूं, जो क्षेत्र समितियों में प्रमुख चुने गये, ग्राम प्रधान हैं सभापति हैं, नगरपालिका और महापालिका के अध्यक्ष हैं, देश और प्रदेश की विभिन्न प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक जो संस्थायें हैं, वास्तव में टीचर्स का प्रतिनिधित्व सभी जगहों पर चला आया संविधान ने इसे विधि सम्मत माना है। सन् 50 में जब से संविधान लागू हुआ एडेड स्कूल के टीचर्स सभी जगहों पर चुनाव लड़ते रहे हैं।

जहां तक बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का सवाल है, जब वह जिला परिषद् और नगरपालिका के अन्तर्गत काम करते थे तब भी वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। किन्ही परिस्थितियों में अध्यक्ष की इजाजत से चुनाव लड़ सकते थे, उनकी स्थिति भिन्न थी। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर श्री आर० एन० त्रिवेदी ने जो निर्णय दिया है, उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वही जजमेन्ट कोट कर दिया जो बेसिक शिक्षा परिषद् के सम्बन्ध में है। बेसिक शिक्षा परिषद् और सहायता प्राप्त विद्यालयों में जमीन आसमान का अन्तर है। बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालय शत प्रतिशत सरकारी अनुदान से चलते हैं और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत कम पैसा सरकार से लेते हैं, जहां पर छात्रों की संख्या ज्यादा है, आमदनी ज्यादा है, कम ग्रान्ट है। आज से कुछ वर्ष पूर्व सन् 71 जब सैलरी डिसर्सेमेन्ट ऐक्ट लागू नहीं था तो ग्रान्ट ट्रान्सफर होती थी विद्यालय के प्रबन्धक के एकाउन्ट में। उसके बाद कुछ फर्क हो गया, जो रुपया संस्था का है वह एकाउन्ट में जाता है, जो ग्रान्ट मिलती है वह जाती है। लेकिन उसमें और इसमें कोई अन्तर नहीं हुआ है सरकारी ट्रेजरी से पैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं मिलता है, ग्रान्ट विद्यालय के एकाउन्ट में जाती है और विद्यालय की जो इनकम है, वह जाती है। इंस्पेक्टर स्कूल और मैनेजमेन्ट सैलरी डिस्पबर्स कर देते हैं। यह सही है कि सरकार ने गारन्टी लिया है। इससे राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है, प्रदेश और देश में यह चर्चा का विषय बन गया है। इसमें सरकार का स्पष्ट मत हो जाना चाहिए कि शिक्षकों के बारे में क्या रखा है। नहीं तो अम्मार रिजवी साहब को, पंचानन राय को हटना पड़ेगा, रामसिंह को हटना पड़ेगा। न जाने इनकी क्या स्थिति होती है।

श्री अध्यक्ष—

जो बातें माननीय सदस्यों ने कह दिया है, उसको दोहरायें नहीं, नहीं तो मैं बैठा दूंगा।

*श्री सरदार सिंह—

9 तारीख को श्री आर० एन० त्रिवेदी ने जजमेन्ट दिया है, जिससे अध्यापकों को चुनाव से वंचित कर दिया पूरे प्रदेश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। दोनों सदनों में अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में अध्यापक हैं। इस निर्णय के अनुसार सब की सदस्यता असंवैधानिक हो जाती है। जब हम सदन में पहली बार आये थे तो आपने संविधान की शपथ दिलायी थी, संविधान के तहत कार्य करने की। जब तक किसी उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक यह लागू रहेगा। शिक्षा मन्त्री राम सिंह, श्री पी० के० शर्मा को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए, अम्मार साहब को इस्तीफा देना चाहिए। इसमें आप सरकार का स्पष्ट वक्तव्य दिलायें।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

सुप्रीम कोर्ट ने मान्यवर, जो हमारे देश का सबसे सर्वोच्च कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बिहारी लाल दोहरे बनाम रोशन लाल दोहरे में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ फैसला दिया है कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज जो ग्रान्ट प्राप्त कालेज हैं, उनके अध्यापक आफिस आफ प्राफिट होल्ड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कहा था कि सरकार द्वारा इनको पेन्शन मिलती है ग्रेच्यूटी मिलती है। फेमिली पेन्शन मिलती है और ग्रुप इन्श्योरेन्स इनको होता है। मान्यवर, जो वेतन इनको मिलता है वह ट्रेजरी द्वारा मिलता है। मान्यवर, आफिसेज आफ प्राफिट 196 में कहा गया है। इसमें दो चीजों का होना आवश्यक है उसका आफिस होना चाहिए इट शूड कैरी रिकार्ड सम रेमुनिटेशनन उसे आफिसेज होने की वजह से उनको कुछ मिलना चाहिए तो इसमें मान्यता प्राप्त जो अध्यापक है उसमें ग्रेच्युटी से लेकर पेन्शन से लेकर, हाउस रेन्ट से लेकर सब प्राप्त हो रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 निर्णय दिए हैं कि वह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहां विधान सभा के कितने ही सदस्य अध्यापक हैं और कितने ही इसमें हमारे मन्त्री राम सिंह जी आदि हैं। तो यहां इनकी पोजोशन 191 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 क्लाज–1 के जरिये यह है कि खाली चुनाव के लिये जो अयोग्यता के लिए नहीं हैं लेकिन यदि अयोग्यता रहती है तो वह यह है कि यदि वह पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो वह सदस्य विधान सभा का सदस्य नहीं रह सकता है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप हमारे कुन्बे की तादाद को कम करना चाहते हैं?

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में जो विधान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मन्डल या मन्त्रिमन्डल के सदस्य हैं तो यह इन पदों पर नहीं रह सकते हैं।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, बड़े गम्भीर विषय के ऊपर माननीय सदस्यों ने औचित्य के प्रश्न के रूप में आपका ध्यान आकर्षित किया। मान्यवर, 9 तारीख को लखनऊ के चुनाव अधिकारी ने शिक्षक क्षेत्र से सात शिक्षकों के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरा था और हाई कोर्ट का फैसला दूसरा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया था। लेकिन मान्यवर, मुर्तजा अली खां और श्री वेंकट रमन ने यह कहा था कि जजमेन्ट के बाद आफिसेज आफ प्राफिट कौन हैं यह प्रत्येक चार्ज में प्रत्येक मामले में अलग-अलग है। कोई भी एक तरीके से नहीं कह सकता है तो प्रत्येक मामले में आफिसेज आफ प्राफिट में कौन सा पद आता है उनके लिए अलग-अलग जजमेन्ट आते हैं। चाहे इन्श्योरेन्स में काम करता हो चाहे कहीं और काम करता हो हर एक केस में जमेन्ट अलग होता है कि अमुक फैसला इन-इन आधारों पर आफिस आफ प्राफिट होल्ड करने की वजह से दिया है। साथ ही साथ यह भी कहा कि यह फैसला पूर्ण नहीं है।

मान्यवर, जिलाधिकारी ने, चुनाव अधिकारी ने यह फैसला इस आधार पर दिया है कि क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक आफिस आफ प्राफिट होल्ड करते हैं, इसलिये चुनाव में भाग नहीं ले सकते। लेकिन, मान्यवर इसके लिये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जरूरत है। चुनाव आयोग के फैसले की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी होगी। इसमें पहले भी कहा गया है कि उक्त एक मामले को दूसरे की मिसाल नहीं बना सकते। लेकिन यह भी सही है कि आज एक बोर्ड बना माध्यमिक शिक्षकों के उनके सेलेक्शन के लिये, उन अध्यापकों की तमाम शर्तें सरकारी कर्मचारियों जैसी हैं, चाहे वेतन का मामला हो या और कोई, उनकी तमाम शर्तें सरकारी कर्मचारियों जैसी ही हैं। लेकिन उसमें मैनेजमेंट का भी दखल है, अतः इस मामले में फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट की राय आनी चाहिये। जैसे संविधान के अधिनियम 191 ई में दिया है कि केन्द्र सरकार या स्टेट सरकार किसी पद को आफिस आफ प्राफिट घोषित कर सकती है। लेकिन स्टेट सरकार किसी आफिस को एग्जम्प्ट कर सकती है। इसी तरह से इनको एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 के पदों पर चुनाव लड़ने के लिये माध्यमिक शिक्षा के पद को एग्जम्प्ट करना चाहिये और यह कहना चाहिये कि वे भी चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं वर्ना तब तक समस्त प्रकरण धुंधला नजर आयेगा।

*श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहुत गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया। इस वक्त हम लोग इस स्थिति में हैं, इस हालात में हैं, इस डगर में हैं कि आज यह सवाल पैदा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश असेम्बली लेजिस्लेचर में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं, जो इसके मेम्बर नहीं हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आर्टिकल 193 की ओर दिलाना चाहता हूं, आप कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 193 की ओर मुलाहिजा कर लीजिये। इसके बाद जो लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, यहां के मेम्बर नहीं हैं, उनसे 500 रुपया रोजना पेनाल्टी वसूल करें। आप उनके लिये 500 रुपये की पेनाल्टी का फैसला करें। आपको तीन बातों पर फैसला देना है। जो लोग सरकार पर डिवेंड करते हैं क्या वे हकदार हैं उत्तर प्रदेश एसेम्बली में बैठने के। यह सवाल नहीं है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का क्या फैसला है। यह आपके अधिकारों का सवाल है, आपके अख्तियारात का सवाल है। आपको फैसला करना है। यह बात तय हो गयी है कि जिन लोगों को डिपेंड करना है गवर्नमेंट के ऊपर वह इस लेजिस्लेचर के मेम्बर नहीं रह सकते, तो किस हैसियत से ये यहां पर बैठे हैं। इस पर फैसला लेने की आवश्यकता है। इसका सवाल नहीं है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग यहां पर बैठे हैं आप को बात का फैसला करना है, कि ये लोग मेम्बर हैं या नहीं। इस सम्बन्ध में आप कन्स्टीट्यूशन के आर्टिकिल 191, 192 और 193 को देख लें। इनके अतिरिक्त मान्यवर, यू0 पी0 बेसिक एजूकेशन ऐक्ट (यू0पी0 ऐक्ट-34-आफ 1972), पेमेंट आफ सेलेरीज ऐक्ट, 1971 (यू0 पी0 ऐक्ट-24 आफ 1971 तथा इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 (जैसा कि बाद में संशोधित किये गये) की ओर भी मुलाहिजा फरमाएं और इनको देखकर फैसला दें कि ये जो लोग हाउस में बैठे हैं, ये किस हैसियत से बैठे हैं। इनको निकाला जाय और इनको कोई भी सेलेरी या एलाउन्स न दिया जाय।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात ही शार्ट सवाल है। और मेरे विचार से यह सवाल इस आदरणीय सदन की परिधि के अन्दर नहीं आता है और इसका हमको जूरिसडिक्शन हासिल नहीं है। पहली बात तो इस विधान सभा को यह अधिकार हासिल नहीं है कि किसी सदस्य को यह कह दे कि वह डिस-क्वालिफाइड है। मेरे विचार से यह मामला तभी उठाया जा सकता है, जब यह सबसीक्वेन्ट टु इलेक्शन हो। जब कोई चुनकर आ गया है और उसके बाद वह आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है तो उस वक्त यह मामला यहां पर उठाया जा सकता है, उससे पहले यदि कोई आफिस होल्ड करता हो और बाद में वह चुन लिया गया हो तो उसके बाद इस मामले को पिटीशन के माध्यम से उठाया जा सकता है। यहां कोई व्यक्ति चुना जाता है और उसके पश्चात् वह आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है, तो इस मामले को उठाकर उसे गवर्नर महोदय को रेफर कर दिया जाता और वह इलेक्शन कमीशन से इस पर उसकी राय ले लेते और इस पर वह अपना फैसला दे देते। यहां पर जितने मेम्बर चुनकर आये हैं और जो डिस-क्वालिफाइ हैं, इस मामले को यहां पर नहीं उठाया जा सकता है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि अन्ततोगत्वा, इस मामले पर हमारी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना निर्णय देना है, और उन्हीं को यह मामला तय करना है। जहां तक अनुच्छेद 171, 191 और 192 की बात है, इनमें आपस में काफी मत-भेद है। क्या हायर सेकेन्डरी के टीचर्स भी डिसक्वालिफाइ हो जायेंगे, जो यहां पर चुनकर आये हैं और आफिस आफ प्राफिट होल्ड कर रहे हैं, यह मान लिया जाय कि 1983 और 1984 में जो रूलिंग दी गयी है, उनमें कमजोरी आ गयी है, इसके बावजूद भी वह इस सदन में रह सकते हैं या नहीं, इन सारी चीजों को अदालत द्वारा तय किया जाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आफिस आफ प्राफिट कोई नया मामला नहीं है। इंगलैंड में भी यदि कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड करता है तो वह सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और यही बात यहां पर भी रखी गयी है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह मामले को तय करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बिलकुल बाहर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । माननीय श्री मोहन सिंह जी ने यहां पर कहा कि जो टीचर्स हैं यहां वे सभी डिसक्वेलिफाइ हैं । इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि जिस दिन ला डिक्लेयर होता है, वह ला हमेशा आगे चलता है, पीछे नहीं । मैं तो सिर्फ एक एकेडेमिक डिसकशन रख रहा हूं ।

दूसरी बात मान्यवर, माननीय श्री मोहन सिंह जी ने कम्पीटेन्सी की बात कही । इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को ही अपना निर्णय देना है । माननीय श्री त्रिवेदी, कलेक्टर जी ने जो अपना निर्णय दिया है, वह फाइनल नहीं है और उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं है । जिनके विरुद्ध यह फैसला हुआ है, वे लोग अपील कर सकते हैं । सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और जो हमारा कोर्ट है वहां अपील कर सकते हैं । मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी मेम्बर को डिसक्वेलिफाई डिक्लेयर कर दें ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में जो यह सारी चर्चा हुई और जो यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, मेरे विचार से तो इसे पहले आना ही नहीं चाहिए था । कुछ बातें कही गयी, उसके जवाब में मैं कुछ आपसे निवेदन करना आवश्यक समझता हूं । तो यह कि जो निर्णय लिया है, उसके बारे में फैसला चुनाव आयोग करेगा या नहीं करेगा । दूसरा, यह कि जो सदस्य डिसक्वेलिफाइ हैं, और अब जो क्वालिफाई करते हैं, इसके लिए संविधान की धारा 192 मौजूद है और उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, इन्हों का जो क्वेश्चन है कि यह बैठ सकते हैं या नहीं तो मान्यवर, यह जवाब कैसे दे रहे हैं? इसका तो किसी और से जवाब दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो संविधान की धारा 192 है, वह माननीय ख्वाजा हलीम के लिये, यह खुद वकील हैं, 192 का वह अवलोकन करें, उसके बाद बहुत कुछ इनका मार्गदर्शन हो जायेगा और जो यहां पर कानून के विशेषज्ञ हैं, जो एक प्रक्रिया है, उसको भी देखने का कष्ट करें । जो भी हुआ है, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, उस पर टीका टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है । चुनाव आयोग उस पर फैसला करेगा । जो आधार मान्यवर, कहा गया, बेसिक शिक्षा परिषद् का माना गया है, जहां तक बेसिक शिक्षा परिषद् का ताल्लुक है, वह संविधान की धारा 45 से गवर्न होता है । जो फैसला श्री रोशन लाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, आर्टिकल 45 जो है, वह उसी से संदर्भित है । मान्यवर, पूरे परिषद् का, जो उसका कार्य भार है, वह मान्यवर, शासन का है, तनख्वाह से लेकर हर चीज तक है, लेकिन जहां तक माध्यमिक शिक्षा परिषद् का सवाल है, उसके ऊपर यह बात बिल्कुल साफ है कि पूरा कार्यभार शासन का नहीं है । बराबर इसकी मांग आती रही है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय, शिक्षा का सरकारीकरण किया जाय, शिक्षा को अपनी परिधि में लिया जाय, सरकार शिक्षा को ले ले ।

अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो चुका होता, अगर सरकारीकरण शिक्षा का हो चुका होता, अगर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो चुका होता, तो मान्यवर, यह नहीं आना चाहिये था।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ माननीय मोहन सिंह जी ने कुछ समझौतों के बारे में हवाला दिया। मैं उस फैसले के बारे में तो कोई टीका-टिप्पणी नहीं करूंगा, जो हो चुका है। लेकिन, जहां तक उस फैसले का, जो शिक्षकों के बीच और सरकार के बीच में हुआ है, उसको भी साफ करना कर्तव्य समझता हूं। इसके अन्दर उन्होंने एक बात कही थी कि नौकर और मालिक का रिश्ता जो है, वह उसमें समाप्त हो गया है। नौकर और मालिक का जो रिश्ता है, वह तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सामन्तशाही की देन है। मान्यवर, आज भी इम्पलाइज कहा जाता है, कर्मचारी कहे जाते हैं, यह नहीं कहा जाता है। वह इसलिए, कर्मचारी और इम्पलाइज का शब्द इसलिए आया, ताकि उनकी रेसपेक्ट दी जा सके। जहां तक, वहां की नियुक्ति का सवाल है, नियुक्ति में सीधे नियंत्रण जो है, वह सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया है। सरकार का जो काम है, वह यह है कि जो उपयुक्त व्यक्ति हैं, उनका चयन कर, वहां की प्रबन्ध कमेटी के पास, उनको भेज देना है। हां, इस बात को भी देखना है कि जिस व्यक्ति को चयनित किया गया है, उसका वहां एपाइंटमेंट हो जाय। क्योंकि सरकार का यह कर्तव्य है कि जहां पर अन्याय हो रहा है, जिस विभाग में अन्याय हो रहा है, प्रदेश के जिस हिस्से में अन्याय हो रहा है, वहां पर न्याय दिलाया जाय। यह वहां पर सेलेक्शन कमेटी में व्यवस्था की गई है।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, जहां तक तनख्वाह देने का सवाल है, यह प्रावधान किया गया, अगर कई लोग यह चाहें कि तनख्वाह न दी जाय किसी को, मान्यवर, अगर कालेज के कुछ लोग चाहें कि कुछ अध्यापकों को तनख्वाह न दी जाय, तो अगर उसमें तनख्वाह न दें, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सके। जो यह अधिकार लोगों को फैक्ट्री ऐक्ट में और लेबर लाज में दिया गया है, इसी तरह का बराबर अधिकार दिया गया है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि अगर उनको काम करने का मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, तो उसके अन्दर हस्तक्षेप करें। यह कहना कि इन दो क्लाजेज, इन अमेंडमेंट्स और समझौते के मद्दों के बाद, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो गया या सरकारीकरण शिक्षा का हो गया, पूरा नियंत्रण सरकार का हो गया या माध्यमिक शिक्षक का, सरकार ने पूरी तरह से, उसका उत्तरदायित्व ले लिया, तो यह बात न तो सत्य है और न वास्तविकता के करीब है, यह किसी तरह से सही नहीं है। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि जो शिक्षा है, वह सही तरीके से चले, शिक्षकों का शोषण न हो, न छात्रों का शोषण हो और न जो यह नान-टीचिंग इम्पलाइज हैं, उनका शोषण हो। किसी का शोषण न हो, इस बात को जरूर सुनिश्चित कर रहे हैं।

जिस समय परीक्षाओं की बात आयी थी, माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों से मैंने कहा था कि छात्रों के भविष्य का जहां तक सम्बन्ध है, कोई समझौता नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय के इम्तहानों की बात आई थी, मैंने कहा था कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। सरकार की नीति समान है, उसमें न "एम्बीगुइटी" है और न शक की गुंजायश है। जो भी निर्णय होगा, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि जो सदन की परम्परा रही है तथा कांस्टीट्यूशन के अन्दर जो अधिकार है और जो यहां से समय-समय पर रूलिंग दी गई हैं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रूलिंग दी गई है कि जो विष

सदन की अधिकार परिधि के बाहर के हों, जो चुनाव आयोग से सम्बन्धित हों या चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाय, उससे सम्बन्धित हों, उस पर कोई टीका-टिप्पणी न करें । जहां तक सरकार की सहानुभूति का सम्बन्ध है, हम सहानुभूति रखते हैं जैसे कि अध्यापक हों या इम्पलाइज हों, उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और अन्य माननीय सदस्यों को सुना, मैंने माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी को भी सुना, जिसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 151, 171, 191, 192 और 193 का भी हवाला दिया गया । अनुच्छेद 324 की तरफ मैंने माननीय गुप्ता जी का ध्यान आकर्षित किया था कि पढ़ लें । संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित है । प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न, सदन के कार्य के विन्यास के सम्बन्ध में होना चाहिये और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिये जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । उपरोक्त नियम के खंड (6) में सरकार से जानकारी मांगने के लिए या स्थिति स्पष्ट करने के लिए औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । यदि किसी रिटर्निंग आफिसर के निर्णय से किसी माननीय सदस्य की सदस्यता प्रभावित होती है तो माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वे संविधान के अनुच्छेद 192 के अधीन श्री राज्यपाल से अनुरोध करें । अध्यक्ष पीठ से दिये गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (1969-1978) के पृष्ठ 44 पर यह निर्णय दिया जा चुका है कि निर्वाचन आयोग से सम्बन्धित मामले में निर्णय करना अध्यक्ष तथा विधान सभा के अधिकार में नहीं है, लेकिन जहां तक माननीय मोहन सिंह जी ने जो कुछ कहा है जब तक श्री राज्यपाल अथवा न्यायालय द्वारा सदस्यों के बारे में निर्णय नहीं हो जाता तब तक सभी सदस्य कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सदन में बैठ सकते हैं और उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती । उनको वोटिंग का भी अधिकार है । इसलिए, जो माननीय सदस्यों ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसमें कोई जान नहीं है और मैं उसका अस्वीकार करता हूं ।

एक ही अध्यादेश को बार-बार सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन—

जब अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गये थे, मैंने उस समय आपका ध्यान आकर्षित किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कुछ अध्यादेश बार-बार रखे जाने पर "डिसप्लेजर" प्रकट किया था, लिहाजा उत्तर प्रदेश की सरकार को भी चौथी और पांचवीं बार रखना उचित नहीं है । 13 फरवरी को यह सदन बैठा । उस समय 9 अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गये, जिसमें से एक राजभाषा वाला था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस पर निर्णय विचाराधीन है, लेकिन उसके अलावा जो आठ अध्यादेश रखे गये, वह आठ अध्यादेश हैं, उनमें से पांच दुबारा 26 मार्च, को सदन के पटल पर रखे गये ।

अब प्रश्न यह उठता है श्रीमन्, जिसमें पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 193 और 123 में जब साफतौर पर यह लिखा हुआ है कि "अगर सदन उस वक्त के सिवा जब पार्लियामेंट के दोनों इवानों का इजलास जारी हो, मुतमईन हो जाये कि ऐसे हालात मौजूद हैं, जिनकी बिना पर उसके लिए फौरी कार्यवाही करना जरूरी है, तो वह ऐसे आर्डिनेंस जारी कर सकेगा जो उसे उस हालत के लिहाज से जरूरी मालूम हों ।" तो मान्यवर, इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्पष्ट है कि अगर गवर्नर सैटिस्फाइड हो जाये कि कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से अध्यादेश जारी करना जरूरी है और उस वक्त दोनों सदन चल रहे हों और इसी तरह के लफ्ज 213 अनुच्छेद में लिखे गये हैं कि ऐसे हालात मौजूद हैं, जिनकी बिना पर इसके लिए फौजी कार्यवाही करना जरूरी है, तो वह ऐसे अर्डिनेन्स जारी कर सकेगा। इस तरह से यह चीज दो बार कही गई है कि अगर ऐसे सरकमस्टांसेज हैं, जिससे आर्डिनेन्स रखने की जरूरत महसूस हो, तो वह रक्खे जायें तो यहां पर कौन से ऐसे हालात थे, जो आप 6 हफ्ते के बाद फिर यह आर्डिनेन्स ले आए जबकि असेम्बली चल रही है, तो चाहे हालात हों या न हों आपने लिख दिया और गवर्नर उससे सैटिस्फाइड हो गये क्योंकि उनको हालात तो देखने नहीं होते, इसको देखना तो शासन को है।

इसी सिलसिले में 1954 में स्पीकर मिस्टर मावलांकर ने एक बात कही है जो अक्तूबर-दिसम्बर, 1980 जरनल आफ कांस्टिट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंट्री स्टडीज के वाल्यूम 16 नं0 के पृष्ठ 399 में दिया है, जिसको मैं हिन्दी में बाद में कह दूंगा "एज अरलि एज इन 1954, मि0 स्पीकर मावलांकर, हाउएवर, आब्जर्व दैट सैटिस्फैक्शन आफ दि प्रेसिडेन्ट कुड बी क्रिटिसाइज्ड इन दि लोक सभा, एज हि वाज ओनलि कान्सटीट्यूशनल हेड एण्ड हिज सैटिसफैक्शन रीयली मीन्ट सैटिसफैक्शन आफ गवर्नमेंट।" यह मिस्टर मावलांकर के 1954 में पार्लियामेंट्री आब्जर्वेशन्स हैं। मैं इसका पहले अनुवाद कर दूं कि 1954 की शुरू में अध्यक्ष श्री मावलांकर ने यह व्यवस्था की प्रेसीडेंट के मुतमईन होने पर इस प्रकार के अर्डिनेंस पर विचार किया जा सकता है और हेड आईनी गवर्नमेंट है। श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन जनरल जब 4-4 और 5-5 मर्तबा इस प्रकार के आर्डिनेन्स आप ले आए, जिस पर अपनी व्यवस्था कोर्ट ने दे दी जिस पर आप भी अपना जजमेंट देंगे। तो इन्होंने किसी आर्गूमेन्ट का उल्लेख नहीं किया है जो आर्डिनेंस इन्होंने 13 फरवरी को रखे। 6 हफ्ते का मौका मिलने के बाद उनका इनएक्टमेन्ट नहीं हो पाया। उसके बाद दोबारा अध्यादेश की शक्ल में उसे ले आये। तो मैं चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था जैसे रिजर्व है, राजभाषा के सम्बन्ध में, वही व्यवस्था आप इनके सम्बन्ध में भी दें, यही मेरा कहना है।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष जी, जिस रोज अध्यादेश रखने की बात पर विचार हुआ था, वह शायद 22 मार्च की बात है, उस समय भी यह तमाम सारी बातें आयी थीं। इसमें जो गवर्नर के सैटिफैक्शन की बात कही है, इसके बारे में भी बात हुई थी। आप फैसला देंगे तो मेरा अनुरोध है कि आप उस दिन की कार्यवाही को भी निकलवा लें जिसमें गवर्नर के सैटिसफैक्शन की बात है और जैसा कि अभी एक जजमेन्ट का हवाला दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर का सैटिसफैक्शन, प्रेसीडेन्ट का सैटिसफैक्शन ही सरकार का सन्तोष है क्योंकि एक वह हेड होता है, सिम्बल होता है, सरकार जो राय देती है, वही उसकी राय है। जो पापुलर गवर्नमेन्ट है उसी की राय राष्ट्रपति की राय है। लेकिन जहां तक सैटिसफैक्शन का सम्बन्ध है, इसके लिये कोर्ट के कई निर्णय हुए हैं, 6 या 7 निर्णय सुप्रीम कोर्ट के और मुख्तलिफ हाई कोर्ट के भी निर्णय हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सैटिसफैक्शन को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से अपनी बात को सदन में रख रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां वे कोर्ट के फैसलों का हवाला दे रहे हैं वहीं अभी हाल ही में जो राजभाषा के सम्बन्ध में फैसला हुआ है, उसको भी मद्देनजर रख कर बोलें ।

श्री अम्मार रिजवी--

गवर्नर और प्रेसीडेन्ट का सैटिसफैक्शन इकजिस्ट करता है, जरूरी नहीं है कि सब बातों का जवाब दें । मैंने "जवाब दें" शब्द का प्रयोग किया है । जो मौजूदा निर्णय हुआ है, इससे पहले भी बहुत निर्णय हुए । मैं चाहूंगा कि जो आप अपनी रूलिंग दें तो इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के जो निर्णय हो चुके हैं, जहां पर गवर्नर के सैटिसफैक्शन की पूरी व्याख्या है, उसे देख लें, उसे देखने के बाद स्पष्ट हो जायेगा । ऐसे तो सैटिसफैक्शन की व्याख्या करना शुरू कर दें तो यहां का कार्य संचालन नहीं हो सकेगा । कोई भी परिस्थिति ऐसी आ सकती है जिसमें अध्यादेश लाना जरूरी हो जाय उसके लिये एक ही शर्त है दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं होना चाहिये । यह अध्यादेश केवल इस तरह ही लाया गया है । आप स्वयं देख लेंगे कि पूरी पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्री में उसका जो इतिहास रहा है कि समय-समय पर इस तरह के आर्डिनेन्सेज ईश्यू किये गये हैं । किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज अनकान्स्टीट्यूशनल या असंवैधानिक नहीं हुई है । इसलिए मैं कहूंगा कि आप इन फैसलों पर नजर रख कर ही अपनी रूलिंग दें ।

श्री अध्यक्ष --

मैंने माननीय रियासत हुसैन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने इस प्रकार का 7-4-84 को प्रश्न उठाया था मैंने कहा था कि अभी जजमेन्ट की प्रतिलिपि मुझे नहीं प्राप्त हुई है, प्रतिलिपि को देखने के बाद ही उस पर निर्णय हो सकेगा । इसलिये उस पर निर्णय सुरक्षित है । माननीय रियासत हुसैन ने जो प्रश्न उठाया है, इस पर भी मैं बाद को निर्णय दूंगा, इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में मैं अस्वीकार करता हूं ।

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984

सचिव, विधान सभा--

मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने 28 फरवरी, 1984 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 मार्च, 1984 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 1984 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1984 का उत्तर प्रदेश का छठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का सप्तम प्रतिवेदन†

*श्री हुकुम सिंह--

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखाकार की रिपोर्ट 1980-81 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं । इस प्रतिवेदन में वित्त (बिक्रीकर), आबकारी, परिवहन, वित्त (स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन), वन, राजस्व विभागों से सम्बन्धित प्रस्तरों की समीक्षा की गयी है । समिति को ज्ञात हुआ है कि कतिपय विभागों मुख्यतः वित्त (बिक्रीकर) तथा आबकारी विभागों में आन्तरिक लेखा

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

परीक्षा के सुदृढ़ करने की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि आडिट आपत्तियों के आधार पर ज्यादातर मामलों में वसूली की जाती है साथ ही आबकारी तथा वन विभागों से सम्बन्धित ठेकों को देने से पूर्व ठेकेदारों से सम्पन्नता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ सम्भ्रान्त व्यक्तियों की जमानत भी प्राप्त करना समिति आवश्यक समझती है। समिति की जानकारी में यह आया है कि वित्त (बिक्रीकर), आबकारी, राजस्व तथा विद्युत् विभागों से सम्बन्धित बकाया धनराशि वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है किन्तु उनकी वसूली की प्रगति अत्यन्त धीमी है। समिति आशा करती है कि सम्बन्धित विभागों द्वारा बकाया धनराशि की वसूली तत्परता से की जाये।

मैं महालेखाकार (तृतीय) उत्तर प्रदेश का आभारी हूं कि जिन्होंने समिति के कार्य में सहयोग किया अन्त में, मैं सचिव विधान सभा तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समिति के कार्य में और इस प्रतिवेदन के बनाने में कठिन परिश्रम किया।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसी तरह की और भी 79-80 की भी रिपोर्ट हैं, इन पर डिसकशन नहीं होता है। इन पर डिसकशन कराने से सरकार भागती है, मैं चाहता हूं कि सारे प्रतिवेदनों पर अगर चर्चा न हो तो कम से कम पी० ए० सी० के प्रतिवेदन पर चर्चा और बहस हो।

श्री अध्यक्ष--

16 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, उसमें इसको रख लिया जायेगा।

शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विधान सभा के वर्ष 1983 के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 100 का उत्तर जानबूझकर गलत दिया गया है और सदन को गुमराह किया गया है। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण प्राप्त किया और माननीय सदस्य से भी विचार विमर्श किया। विचारोपरान्त मैं इस मत का हूं कि सदन को जानबूझ कर गुमराह करने के उद्देश्य से कोई त्रुटिपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त शासन की ओर से जो पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1984 को प्राप्त हुआ है उससे यह स्पष्ट होता है कि श्रीकृष्ण हाई स्कूल, होता, पोस्ट अंकुल, जिला देवरिया को हाई स्कूल वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत अनुदान की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः इस मामले में किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, गन्ना विकास मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 29 फरवरी, 1984 को श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, माननीय मंत्री, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास के विरुद्ध सदन के अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है। सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 17 फरवरी, 1984 को निर्धारित

तारांकित प्रश्न संख्या (नत्थी-ग) के उत्तर में जान बूझकर गलत बयानी की गयी है और तथ्यों को छिपाकर सदन को गुमराह किया गया है। उक्त प्रश्नोत्तर धुघली शुगर मिल के शासकीय आवास द्वारा की गयी नियुक्तियों से सम्बन्धित था और शासन द्वारा यह उत्तर दिया गया था कि उक्त मिल में 78 व्यक्ति नियुक्त किए गए थे जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे तथा यह नियुक्ति सहकार के द्वारा की गयी थी। माननीय सदस्य के कथनानुसार उपरोक्त उत्तर गलत है और इस सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से दिया गया है। माननीय सदस्य ने अपने कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उपलब्ध अभिलेखों को देखने से ज्ञात होता है कि उपरोक्त प्रश्न जब सदन में लिया गया उस वक्त माननीय ओझा उपस्थित नहीं थे। अनुपस्थित होने के कारण माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सके जिससे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि वास्तविक तथ्य क्या थे। माननीय सदस्य यदि उपस्थित होते तो वे अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, नियम 49 के अधीन चर्चा की मांग कर सकते थे, जो उनका अधिकार है अथवा उसे प्रश्न समिति को भेजने का भी अनुरोध कर सकते थे। माननीय सदस्य ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अतिरिक्त इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया है कि माननीय मन्त्री द्वारा दिया गया उत्तर जानबूझकर त्रुटिपूर्ण दिया गया है।

इन परिस्थितियों में विशेषाधिकार की अवहेलना की इस सूचना पर किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती और मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन की 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय किरन पाल सिंह की लखनऊ के लोक दल के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में तथा श्री जसवन्त सिंह विष्ट की, अल्मोड़ा एवं नैनीताल में नशाबन्दी के लिए प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को कैदी बनाये जाने के सम्बन्ध में दी हैं। इनको मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट करने तथा जांच के लिए भेज दिया है। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री रियासत हुसैन व श्री अकबर हुसैन, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मोहन सिंह की सूचनाओं को मैंने सुनने के लिए स्वीकार किया है। जहां तक श्री सरदार सिंह की सूचना का सम्बन्ध है कि प्रदेश में चेचक के प्रकोप से उत्पन्न भयावह स्थिति हो गयी है, इसके बारे में मैं नियम 51 में विचार कर रहा हूं। शेष सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, लखनऊ शहर के अन्दर लाठी चार्ज हुआ है ..

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

अल्मोड़ा में नशाबन्दी के लिए सरकार तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा। आप बैठिये। मैंने राजेन्द्र अग्निहोत्री को बुलाया है। इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए।

नोट--[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष से आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको चेतावनी दिये देता हूं कि भविष्य में आप इस प्रकार की बात नहीं करेंगे और बिना आज्ञा के नहीं बोलेंगे (श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के बोलते रहने पर)। इनका माइक बन्द कर दिया जाय। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हू आपको बोलने की।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

तीन तारीख को मैं जिलाधिकारी के पास गया था...

श्री अध्यक्ष--

आपको यहां पर चार साल हो गये हैं। नियमों का पालन करें।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। बिष्ट जी, आप बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

हम अपनी बात किससे कहें।

श्री अध्यक्ष--

एक साल के बाद चुनाव आ रहा है। मैदान में कहिए। बैठिये।

(श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का माइक बन्द कर दिया गया।)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

नशीली चीजों को पिलाकर पहाड़ों को बरबाद किया जा रहा है। यहां से सरकार ने आदेश कर दिया है कि जो गिरफ्तार हैं, उनको रिहा कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप बिष्ट जी, बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

हम यह बात किससे कहें। 3 तारीख को यहां से आदेश गये, लेकिन जिलाधिकारी उन्हें रिहा नहीं कर रहे हैं, वह कहते हैं सरकार का कोई आदेश नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष--

बिष्ट जी, कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

बिष्ट जी कृपया अपने स्थान पर बैठिये। आप क्रेक नहीं हैं, अपने स्थान पर बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

8 तारीख को मैंने अल्मोड़ा से टेलीफोन किया माननीय योगेन्द्र नारायण जी को और मुख्य मन्त्री जी को लेकिन वह नहीं मिले। 9 तारीख को मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जिलाधिकारी से कह दें कि यह आदेश हो समझें, आदेश पहुचने में समय लगेगा लोगों को रिहा कर दें।

श्री अध्यक्ष--

आप ऐसा कीजिये कि 4 बजे आप और संसदीय कार्य मन्त्री जी मेरे कक्ष में आ जाय वहां पर सुना जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मैं यहां पर चाहता हूं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर माननीय बिष्ट जी सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार ने दो बार आदेश दिये वहां शराब बन्द करने के लिए, लेकिन जिलाधिकारी ने कार्यवाही नहीं की।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं भी यही कह रहा हूं कि दो बार निर्देश दिये गये क्यों उनका पालन नहीं हो रहा है ?

(व्यवधान)

ऐसा कोई काम न करें जिससे साबित हो कि सदन में कोई सदस्य फ्रेंक हैं । माननीय संसदीय कार्य मन्त्री आपका उत्तर दे रहे हैं, उनको सुन लें ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय जसवन्त सिंह विष्ट जी को खांसी भी आ रही है और कष्ट भी हुआ है । उन्होंने कहा दो आदेश सरकार ने दिये उनका पालन क्यों नहीं हुआ । मैं आज ही इस बात को देख रहा हूं । सदन के उठने तक सूचित करूंगा कि क्या स्थिति है । माननीय सदस्य को तकलीफ है तभी इस तरह की बात कर रहे हैं । वह कह रहे हैं कि मुफ्त मिल रही है इस पर वह ज्यादा चर्चा न करें वर्ना बहुत से लोग पहाड़ों की तरफ रवाना हो जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आज सदन के उठने तक माननीय संसदीय कार्य मन्त्री इसके बारे में बतायेंगे । आप बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

हम जनता के प्रतिनिधि हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय विष्ट जी, आप कृपया बैठें, माननीय विष्ट जी अपने स्थान पर बैठें ।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय विष्ट जी आप अपने स्थान पर बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, आप बैठ जाय तो मैं अपनी बात कह सकूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं दुबारा कह रहा हूं विष्ट जी, आप अपने स्थान पर बैठें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय विष्ट जी बैठें अथवा सदन छोड़ें । यह गलत है । आपको दुबारा भी चुनकर आना है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप बैठ जांय । सदन उठने से पहले इसकी सूचना मन्त्री जी देंगे । आप अपने स्थान पर बैठ जाय ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, इसी सप्ताह बुन्देलखंड में एक ऐसी घटना हुई जो हमारे इस पिछड़े क्षेत्र के लिए बड़ी दुखदाई घटना है । बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि पान का वहां अच्छा उत्पादन होता है । हमीरपुर और ललितपुर में जो पान है वह निर्यात किया जाता है और संसार में इन दोनों क्षेत्रों के पान की बड़ी प्रसिद्धि है । मान्यवर, पिछले सप्ताह महोबा में जहां पान का बहुत उत्पादन होता है, वहां भयंकर आग लग गयी जिससे पान उत्पादन का

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नुकसान हो गया। हमीरपुर में दमकल विभाग को सूचना होने के बावजूद भी 4-5 घंटे बाद दमकल पहुंचा। इसलिए उस भयंकर आग को वह बुझाने में असफल रहे। सरकार को सूचना हम लोगों द्वारा और कई तरीके से यह पहुंचायी गयी कि बुन्देलखंड के अंदर जो पान की खेती होती है, उसमें विशेष कीड़ा लग जाने से सम्पूर्ण क्षेत्र की पान की खेती का नुकसान हो गया है इसके बावजूद भी शासन की ओर से कोई भी उपाय नहीं किया गया जिसका नतीजा है कि वहां की अमूल्य धरोहर नष्ट होकर समाप्त हो गया है। हजारों परिवार और हजारों मजदूर जो इस धंधे से रोटी-रोजी चलाते थे, वह आज रोटी के लिए मजबूर हैं। इसलिए इन दोनों समस्याओं की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वहां के उत्पादकों के लिए सहायता के सम्बन्ध में और दूसरे मजदूरों की रोटी-रोजी के लिए कुछ व्यवस्था करने के सम्बन्ध में, चूंकि यह महत्व पूर्ण मुद्दा है, इसलिए इसमें मैं सदन में चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

सहकारिता और खाद्य मंत्री जी आप यहां बैठे रहेंगे।

*श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह काम रोको प्रस्ताव कि प्रदेश में गेहूं की बिक्री के लिये क्रय सेन्टरों का न खोला जाना, रखकर चर्चा की मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80 फीसदी खेती पर लोग निर्भर करते हैं। खेतों में प्रमुख उत्तर प्रदेश में रबी की फसल है और उसमें विशेषकर गेहूं की फसल है। पूरे प्रदेश में गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो गयी है और गेहूं बाजार में आना प्रारंभ हो गया है। लेकिन इस बेहया सरकार ने इस साल केवल एक रुपया बढ़ाकर 152 रुपये प्रति क्विंटल देने का फैसला किया किन्तु इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी सरकारी क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं किसान का गेहूं इस समय बाजार में 120 और 125 तथा उससे भी कम में बिक रहा है। किसानों के खलिहान पर इस समय पूंजीपति और सरकारी मशीनरी दोनों मिलकर डाका डाल रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि किसान की फसल पर होने वाली यह डकैती तुरन्त रोकी जाए, दो तरह से किसानों की फसल पर डाका डाला जा रहा है, एक तरफ तो उसको कम मूल्य दिया जा रहा है और दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स पर रोक लगाकर। सरकार ने आदेश दे दिया है कि फ्लोर मिल वाले बाजार से गेहूं नहीं खरीदेंगे और किसान का गेहूं खरीदने की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। इस तरह किसान का गेहूं मुस्तकिल नीचे गिरता जा रहा है। छोटा किसान आज अपना लगान देने के लिए, सिंचाई का देने के लिए, खाद का पैसा देने के लिए, अपने गेहूं को सस्ते दाम पर बेचने के लिए विवश है। इसके अलावा आजकल गर्मियों में गरीब लोग अपने बच्चों का शादी ब्याह करते हैं, वह उसमें अपनी फसल को बेचकर ही पैसा जुटाते हैं और उन्हें सस्ते पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है।

अतः सरकार इस बात पर सदन की कार्यवाही रोककर पूरे प्रदेश स्तर पर इस पर चर्चा चलाने के लिए तैयार हो, श्रीमन्, इस प्रकार के आप सरकार को आदेश दें। यह बड़ा विषय है। उत्तर प्रदेश किसान कामगार संघ ने अपने सम्मेलन में प्रस्ताव करके टेलीफोन पर और व्यक्तिगत रूप से हमको इसकी सूचना दी है। किसान तबाह हो रहा है। आज ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही रोक कर किसान के हित में यह चर्चा चलाई जाय। किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को मदद देने के लिए सरकार को तुरन्त आदेशित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें, हो गया ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्रय सेन्टर्स खोलकर किसान का गेहूं खरीदने की सारी व्यवस्था अविलम्ब की जाए...

श्री अध्यक्ष--

यह क्या करें, इनके पास बोरों का इन्तजाम नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा--

तो इस पर आप कार्य रोक कर चर्चा करा दें ।

श्री रियासत हुसैन--

कृषि मंत्री जी अभी थोड़ी देर में कहेंगे कि हमने बम्पर क्राप प्रदेश में की है और साथ में वह यह भी कहेंगे कि उसके गेहूं का मूल्य बढ़ाकर 152 से 153 रुपया उन्होंने कर दिया है, जैसा उन्होंने पिछले दिन भी सदन में कहा था । बदकिस्मती से बाजार में गेहूं आना शुरू हो गया है, उसको विवश होकर सस्ते मूल्य पर बेचना पड़ रहा है । सरकार का सबसे बड़ा खरीदार फेडरेशन होगा, उसके पास अभी कहीं कोई खरीद करने का प्रबन्ध नहीं है । यह खाद्य मंत्री का काम है कि वह बोरों आदि का प्रबन्ध करवायें, अभी तक कहीं भी बोरों आदि का प्रबन्ध नहीं है । जबकि पहली अप्रैल से आपकी परचेजिंग शुरू हो जानी थी । इसका नतीजा यह हो रहा है कि एक तरफ किसान 130, 125 रुपया क्वींटल में किसान गेहूं बेचने के लिए विवश है और दूसरी तरफ हरियाणा में गेहूं 160 में है । जिससे उत्तर प्रदेश से जमकर व्यापार करके गेहूं हरियाणा को स्मगलिंग हो रहा है । पुलिस के रोक-थाम करने का काम भी शुरू हो गया है । इसलिए आप इन चीजों को देखते हुए अपनी घोषणा के सन्दर्भ में आज सदन में यह बताएं कि कौन सी तारीख तक पूरे प्रदेश में आपकी विभिन्न एजेंसियों द्वारा गेहूं खरीद का काम विधिवत् आरम्भ हो जाएगा । इसलिए नियम 56 में यह विषय मैंने आपको दिया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो प्रादेशिक सहकारी संघ है, उसमें इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि वहां पर भारी पैमाने पर लूट हो रही है । अभी मैं एक उदाहरण उन्नाव डिपो का देकर अपनी बात यहां शुरू करना चाहता हूं । उन्नाव डिपो ही प्रदेश में लेवी चीनी व्यापार का एकाधिकार केन्द्र है जहां से सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं को चीनी का वितरण होता है । उन्नाव डिपो की एक घटना प्रकाश में यह आयी है कि वहां पर चीनी के बोरों को जब तोला गया तो उनमें एक-एक किलो चीनी कम पायी गयी । वहां पर 72 हजार बोरे चीनी थी और इस हिसाब से साढ़े तीन लाख रुपये की चोरी केवल उन्नाव डिपो से ही हुई । इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है ।

एक और भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । केन्द्रीय सरकार ने यह व्यवस्था की है कि चीनी को सहकारी गोदामों तक ले जाने में जो मार्ग व्यय होगा उसको केन्द्रीय सरकार वहन करेगी । इन लोगों ने क्या किया ? फर्जी लम्बे-लम्बे मार्ग से उसको ले जाना दिखा कर, जब कि निकटतम स्थान उपलब्ध थे, केन्द्रीय सरकार से मार्ग व्यय दिये जाने की मांग की । केन्द्रीय सरकार ने उसे रीइम्बर्स करने से मना कर दिया है और इस तरह से इनका 2 करोड़ रुपया बाकी है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यही नहीं मान्यवर, लेवी की चीनी में सीलन दिखाकर, उसको अपने निहित स्वार्थी लोगों के हाथों में बेचने का भी मामला प्रकाश में आया है और इस तरह से काफी भ्रष्टाचार हुआ है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार से पैसा न मिलने, जनता के पैसे की लूट करने तथा अन्य भ्रष्टाचार के जो मामले प्रकाश में आये हैं, जिसमें उन्नाव डिपो की घटना स्पष्ट है और सुनिश्चित है, इन सब पर मैं चाहूंगा कि आप सदन में चर्चा कराने की अनुमति देने की कृपा करें।

*श्री मोहन सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही चिन्ता की बात है कि हमारे प्रदेश की सीमाओं की हिफाजत यह सरकार नहीं कर पा रही है और जो हमारे प्रदेश की सीमाओं से लगे हुये अन्य प्रदेश हैं, जो पड़ोसी प्रदेश हैं, वह हमारे यहां आकर, हमारे किसानों की फसल आदि की लूट करते रहते हैं, जो हमारी सम्पत्ति है, उसकी लूट करते हैं और तरह-तरह से सीमाओं पर बसे किसानों को परेशान करते हैं। अभी तक बिहार प्रदेश से मिलने वाली सीमाओं पर परेशानी का मसला उठा करता था, अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं का भी विवाद उठ खड़ा हुआ है और उसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। हमारे प्रदेश से जमुना नदी होकर निकलती है और आंवलो में बालू निकालने का काम होता है। वहां पर जो भी बालू निकलती है वह सारी सम्पत्ति उत्तर प्रदेश की है और वह इसी प्रदेश की मानी जाती रही है। वहां पर दिल्ली सरकार ने अपना एक दिल्ली औद्योगिक विकास निगम भी स्थापित किया है और हमारा जो उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम है वह इसकी व्यवस्था करता है। वहां से 6/7 सौ ट्रक बालू रोज प्रदेश के बाहर जाती है। इधर उत्तर प्रदेश की सीमा पर कई ट्रक बालू जब प्रदेश के बाहर जा रही थी तो दिल्ली के पुलिस ने उसको रोक दिया और अवरोध पैदा किया। इसके कारण गाजियाबाद या उसके आस-पास के जिलों में जो औद्योगिक विकास के कार्य चल रहे थे उनकी गति धीमी पड़ गयी।

दिल्ली की पुलिस बराबर अवरोध उत्पन्न कर रही है और हमारी सरकार चुप बैठी हुई है। जब भी हमारे पड़ोसी प्रदेश हमारे यहां हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, हमारी सरकार चुप बैठी रहती है, उसका हल नहीं करती। हमारी सम्पत्ति को दूसरे सूबे के लोग आकर लूट ले जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ है, किसी प्रकार हमारी सम्पत्ति की रक्षा की जाये, आदि बातों पर चर्चा कराने की अनुमति देने की कृपा करें।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो माननीय मोहन सिंह जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है तो अगर उसको गौर से देखा जाय तो अगर यह होता कि जो बालू है, उस पर दिल्ली की सरकार कब्जा करना चाहती है या दिल्ली सरकार ने कब्जा कर लिया है, तो कार्य-स्थगन में जरूर विचार हो सकता था। लेकिन उन्होंने जो बिन्दु उठाया है कि बालू जो यहां से निकल कर दिल्ली जाती थी उसको रोक दिया गया है। तो कोई भी राज्य हो या यूनियन टेरेटरी हो उसको इस बात का अधिकार है कि वह किन चीजों को अपने यहां आने दे या किन्हीं चीजों को न आने दे। हम यहां से गेहूं बाहर जाने पर मना कर देते हैं। तो यह उनका अधिकार है, अगर किसी वजह से यहां की बालू दिल्ली में नहीं ले जाने दे रहे हैं तो यह उत्तर प्रदेश के अधिकारों के अतिक्रमण जैसा कोई चीज नहीं है। यह एक प्रशासनिक मामला है। किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वजह से ऐसा किया गया होगा, हो सकता है कि क्वालिटी खराब हो। तो हम फोर्स नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश की बालू दिल्ली में जरूर जायगी या राजस्थान में उत्तर प्रदेश की मोरंग जरूर जायेगी। हम किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में ओखला के नजदीक, जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सीमा में बहती है, उसकी बालू दिल्ली का जो औद्योगिक विकास निगम है उसके संरक्षण में वहां के व्यापारी और ठेकेदार उठाकर ले जाना चाहते हैं। इसमें विवाद है। बालू यहां जाय या वहां जाय, इस पर दिल्ली के औद्योगिक विकास निगम का अधिकार है या उत्तर प्रदेश के खनिज विकास निगम का अधिकार है, विवाद इस बात का है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस बिन्दु को दिखलवा लिया जायगा और वहां के अधिकारियों से बात करके इस पर कोई निर्णय लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपने खाद्य मंत्री जी को बुलाया था।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह सत्य नहीं है। बहुत पहले मीटिंग हो गयी थी। हर जगह केन्द्र स्थापित हो गये हैं। आपका यह कहना है कि खरीद नहीं हो रही है तो इसका कारण यह है कि अभी सब जगह फसलों की कटाई पूरी नहीं हुई है।

श्री विजय सिंह राना—

आप बिलकुल गलत कह रहे हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये।

स्वामी प्रसाद सिंह—

मेरा कहना है कि कटाई सब जगह खत्म नहीं हुई है। खरीद केन्द्र हर जगह स्थापित हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपका ध्यान यह जो उन्नाव के प्रादेशिक सहकारी संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपये की क्षति होने के बारे में है, उसके बारे में बता दें।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बलवा पाठक)—

मान्यवर, इस पर तुरन्त जांच बैठा दी गयी है। जांच के बाद बताया जायगा।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह जो उन्नाव में पहले के सम्बन्ध में है तो इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक जो यहां के थे उन्होंने सामान्य प्रबन्धक (कोआपरेटिव), उनको आदेश दिया है कि इसकी जांच करके शीघ्र रिपोर्ट शासन को भिजवा दें ताकि अगर किसी की गलती है या जिन अधिकारियों की वजह से नुकसान हुआ है उनको दंडित किया जा सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा कि मैंने जो कहा वह सत्य नहीं है। मैं सत्य और असत्य को यहां कसौटी पर रखना चाहता हूं। अगर हमारी बात सत्य नहीं है तो माननीय मंत्री जी इतना बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में खरीद के लिए कितने बोरे उनके पास आ गये हैं। इसी से साबित हो जायगा कि खरीद चालू है या नहीं।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन् मैंने सदन में यह कहा था कि अभी कटाई नहीं हुई, हमारे केन्द्र सब जगह स्थापित हो गये हैं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये । वह क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, उसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं । उसका निर्णय मैं दूंगा । आप लोग बैठिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा—

यह तो गलत है, कह रहे हैं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको सुन रहा हूं, निर्णय मैं बाद में दूंगा । झा जी आप बैठिये ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, यह मैंने सदन को बताया कि हमारे जितने क्रय-केन्द्र हैं, जितने हमारे निगम हैं, सब जगह खरीद शुरू है ।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, यह झूठ है ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये । वह क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री हर गोविन्द वर्मा—

अगर किसानों की हत्या होती है, तो यह नहीं सुना जायगा ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

झूठ बोलने का अधिकार मात्र इनको है, हम लोग सत्य बोलते हैं, तो झूठ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये । इस पर निर्णय मैं दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि सब केन्द्र चल रहे हैं, इनकी सूचना जो है, उसको हम काट नहीं रहे हैं, क्योंकि मान्यवर, यह बिलकुल गलत बयानी दी गयी है । मैं इनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं । मेरे सीतापुर में जो भरेखापुर में केन्द्र स्थापित होना था, वह अभी केन्द्र स्थापित नहीं हुआ है । सीतापुर नगर में भरेखापुर और सीतापुर पड़ाव दो केन्द्र हैं, मैं वहां कल गया था, मेरी पार्टी की मीटिंग थी, इन दोनों केन्द्रों की निजी जानकारी देते हुए मैं माननीय मंत्री जी के विरुद्ध आरोप लगाता हूं कि जानबूझकर इन्होंने गलत बयानी किया है । इसलिए मैं इनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं । अगर मान्यवर, सदन के अन्दर कोई घटना घटी है, तो हमारे नियमों की व्यवस्था है कि उसको आप विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट नहीं करेंगे, बल्कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की जानकारी बता दें, इससे साफ हो जायगा कि माननीय मंत्री जी ने जानबूझकर किसानों के, कमजोर वर्ग के मामले में गलत बयानी किया है । इसलिए इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने के बजाय, इस

सदन को न्यायालय के रूप में परिवर्तित करके आप निर्णय देने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा व्यवस्था चाहता हूं कि सदन उठने से पहले-पहले माननीय मंत्री जी को एफ० सी० आई०, आर० एफ० सी०, स्टेट कारपोरेशन, एग्रो और जो सहकारिता मंत्री जी की सबसे बड़ी एजेंसी प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन है, इन पांचों एजेंसियों द्वारा परचेज हो रही है, माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि हमारी परचेज शुरू हो गयी है, शाम तक तो इनके द्वारा उत्तर देना मुश्किल है, शाम तक यह उत्तर दे दें कि कौन-कौन सी एजेंसी के द्वारा कितनी-कितनी परचेजिंग शुरू हुई है ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रशाद ओझा--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गेहूं की कटाई अभी शुरू हुई है, खरीद शुरू नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

कितने केन्द्र स्थापित हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री ने बयान दिया कि परचेजिंग शुरू हो गयी है। मेरी निजी जानकारी है और मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि अभी परचेजिंग शुरू नहीं हुई है। आपने आवेश या गुस्से में कह दिया कि वह क्या कहते हैं इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है, यह आप जानें। लेकिन इस सदन की जिम्मेदारी है किसी मंत्री को गलत बयानी की इजाजत नहीं दी जायेगी। आपने जो कह दिया कि वह क्या कहते हैं, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, सदन और प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि किसी को भी गलत बयानी की इजाजत नहीं दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना है। माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय हरगोविन्द वर्मा, रियासत हुसैन, अकबर हुसैन की सूचना के विषय की 45 मिनट की चर्चा के लिए जो 17-4-84 को सदन होगी, स्वीकार करता हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मोहन सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं। और बाकी जितनी कार्य स्थगन की जितनी भी सूचनायें हैं, सबको अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

लाठी चार्ज हुआ।

(व्यवधान)

श्री राम धनी--

जनपद गाजीपुर में एक-दो घंटे बिजली मिल रही है। सैदपुर, देवकली और सादतपुर में 10 दिन से बिजली नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आपकी सूचना शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज रहा हूं।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-9 कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) तथा अनुदान संख्या 10---कृषि विभाग (कृषि)

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)---

मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9---कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,48,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10---कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,70,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अध्यक्षता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन के हुए ।)

मान्यवर, सम्मानित सदस्य सभी जानते हैं कि हमारी प्रदेश ही नहीं पूरा देश कृषि प्रधान है और कृषि पर ही यहां की एकोनामी आधारित है । जब तक प्रदेश और देश के किसानों की पैदावार नहीं बढ़ाई जायेगी या उसके आय में वृद्धि नहीं की जायेगी तब तक देश और प्रदेश सम्पन्न नहीं कहा जा सकता है । मान्यवर, हमारा प्रयास है, प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के निर्देशन में कि प्रदेश के किसानों की पैदावार बढ़े ।

मैंने इस सम्बन्ध में जो अपने प्रयास किए हैं उससे अवगत कराने का प्रयास करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक सुनें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(शोर)

आप सभी बैठ जाएं । जब आपका नम्बर आए तब जो कुछ कहना हो कहें ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, सबसे पहले तो यह आवश्यकता है कि शासन और प्रशासन के दिल और दिमाग में यह भावना उत्पन्न की जाए कि हमें प्रदेश के किसान की पैदावार को बढ़ाना है और इसके लिए हमारा यह सबसे पहला कर्तव्य है कि सबसे पहले टास्क फोर्स बनाकर कृषि के उत्पादन और कृषि के जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रदेश में, उनकी मानीटरिंग और उनकी देखभाल की जाए । मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में सेक्रेटेरिएट लेवेल के लोग खासतौर से सेक्रेट्री लेवेल के अधिकारी जिलों-जिलों में जाकर उसकी देखरेख कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि कृषि उत्पादन के लिए जो हमारी आवश्यकता है चाहे वह बीज हों । चाहे वह कृषि यन्त्र हों, वह हमारे कृषकों को समय के अन्दर उपलब्ध हो जाएं इसके लिए हमारे उच्च अधिकारी तक वहां गए हैं ।

मान्यवर, माननीय सदस्यों को खुशी होगी इस बात को जानकर कि पिछले वर्ष में इस प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ा । कृषकों के सहयोग से, अपने अधिकारियों के सहयोग से कृषि का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्पादन बढ़ा है। मान्यवर, इस वर्ष हम और इससे आगे काफी बढ़े हैं। पिछले वर्ष हमने बीज का वितरण अपने प्रदेश में 3.43 लाख कुन्टल आवंटित किया था। इस बार हमने 4.78 लाख कुन्टल, बीज का वितरण प्रदेश में लिया। जिसमें गेहूं का वितरण 3,25,221 कुन्टल है। इसी प्रकार हमारी जो रबी की फसल है उसका आवंटन हमने किया था। प्रमाणित बीज हमने अपने कृषकों तक पहुंचाया।

मान्यवर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नेशनल एग्रो एस0 एफ0 सी0 आई0 आदि से बीज काश्तकारों के यहां खराब पहुंचा। मान्यवर, देखा जाए तो 7,820 कुन्टल के लगभग इस प्रकार के सीड की शिकायत है जो पूरे सीड का 2.4 बैठता है। वैसे मात्रा के लिहाज से कोई विशेष बात नहीं। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि यह क्यों गया इसमें कौन दोषी है। चाहे हमारे नेशनल एग्रो का हो चाहे और कोई हो हमने इस बात के आदेश दिए हैं कि वह वापस ले लें। हमने एक दाना भी नहीं बोने दिया है। जैसी हमें सूचना मिली हमने वितरण रोक भी दिया। जितने काश्तकारों की शिकायतें पहुंची। उनको कम्पेन्सियेट किया गया, चाहे बीज दिये गये और चाहे पैसा वापस किया गया। लेकिन फिर भी मैंने कृषि मन्त्री होने के नाते यह मुनासिब समझा कि इस बात को देखें कि बीज खराब क्यों पहुंचा। जब कि तराई बीज निगम हमारा, कृषि डिपार्टमेन्ट हमारा, बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं हमारी, तो कौन कसूरवार है। मैंने इसके लिये जांच के आदेश दे दिये हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि इस प्रामाणिक बीज की जितनी हमारे प्रदेश की आवश्यकता है, अगर हम उस जरूरत को पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक हम प्रदेश में किसानों की पैदावार का ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। मेरे सम्मानित सदस्य जानते हैं कि प्रदेश में गेहूं का उत्पादन लगभग 185 लाख हेक्टेयर में होता है, जिसके लिये साढ़े 8 लाख टन सीड की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी तक जो प्रमाणित बीज हम अपने काश्तकारों को पहुंचा पाए हैं वह 300 कुछ है। बहरहाल यह जरूरत से बहुत कम है। लिहाजा हमने पहले भी इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों का आवाहन किया था कि सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान में पास किया गया है, वहां से अपने-अपने जिले के लिये विधायन सयन्त्र मन्जूर कराने का प्रयास करें इस सिलसिले में पिछले वर्ष के टी0 डी0 सी0 के सभी सन्यन्त्र शामिल करके हमारी विधायन क्षमता 11 लाख टन हो पायी है, जो जरूरत से बहुत कम है, लिहाजा मैं सम्मानित सदस्यों से आवाहन करना चाहता हूं कि कृपया प्रदेश के कृषकों के हित में अपने-अपने जिलों में ये विधायन संयन्त्र स्वीकृत कराने का प्रयास करें।

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से हमने फर्टिलाइजर की सुनिश्चित सप्लाई करके इस प्रदेश के कृषकों की पैदावार को बढ़ाने का प्रयास किया है। शायद हमारे सम्मानित सदस्य जानते हों कि पूरे भारतवर्ष में यह शिकायत रही कि उनके यहां फर्टिलाइजर बहुत कम है और वास्तव में फर्टिलाइजर की कमी देश में थी और केन्द्रीय सरकार ने यह इरादा कर लिया था और यह आदेश करीब-करीब दे दिया था कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो फर्टिलाइजर है, उसको विभिन्न प्रदेशों में बांट दिया जाय, लेकिन प्रदेश की सरकार ने तुरन्त प्रयास किया और प्रदेश के कृषकों के हित में इस फर्टिलाइजर को यहीं रखकर कृषकों में उसका वितरण किया गया जिससे हम लाभान्वित हुए और पैदावार बढ़ी।

मान्यवर, इस फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार 1982-83 में यह शिकायत थी कि खाद का पैसा काफी

बढ़ाया गया और वास्तव म बढ़ाया गया। 1980-81 से 1981-82 में कुछ पसा बढ़ा था, लेकिन अभी पिछले वर्ष में हमारी केन्द्रीय सरकार ने साढ़े 7 प्रतिशत को छूट देकर कृषकों का हित किया है। इसी के साथ-साथ हमारा जो पुल का फर्टिलाइजर था, हमने कोशिश की इस बात की कि उसके ऊपर भी कृषकों को छूट मिले और 10 प्रतिशत छूट कृषकों को दिलायी गयी। मान्यवर, इसी के साथ-साथ हमारे प्रदेश के किसानों, लघु कृषकों या जो सीमान्त कृषक हैं, उनके लिये भी सुविधायें दिलायी और बहुत से जिलों में 25 प्रतिशत और सवा 33 प्रतिशत छूट दी गयी खाद की कीमतों पर। वह भी किसानों को दिया गया और उनको इससे लाभान्वित किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आमतौर से यह शिकायत आती है कि खाद में बहुत एडलट्रेशन है और यह बात सही भी है। एडलट्रेशन काफी था और अब भी कुछ है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष अपना पूरा प्रयास करके, छापे मार करके, दोषी लोगों को दण्डित किया और उनके लाइसेन्स निरस्त किए। इस प्रकार इसमें भारी प्रगति की है और एडलट्रेशन को रोका गया है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जो हमने कार्य किया है, उनको आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस आदरणीय सदन में मैं 1982-83 और 1983-84 के आंकड़े इस आदरणीय सदन के सम्मुख रखूंगा। 1982-83 में डाले गये छापे 4037 और 1983-84 में 6320, गृहित नमूनों की संख्या 1982-83 में 3085 और 1983-84 मे 5002, विश्लेषित नमूनों की संख्या 1982-83 में 4460 और 1983-84 में 3605 और अवमानक पाये गये नमूने 1982-83 में 647 और 1983-84 में 488। इस प्रकार मान्यवर, आप देखेंगे कि अवमानक में गिरावट आई है। सके साथ ही 1982-83 में पकड़े गये बोरों की संख्या 15088 और 1983-84 में 17757, निरस्त किये गये लाइसेन्स 1982-83 में 330 और 1983-84 में 279 हैं, निलम्बित किये गय लाइसेन्स 1982-83 में 190 और 1983-84 में 162 हैं, विक्रेता जिन्हें चेतावनी दी गयी 1982-83 में उनकी संख्या 350 है और 1983-84 में 306 हैं, पुलिस को सौंपे गये मामले 1982-83 में 170 और 1983-84 में 197, व्यापारी जो जेल भेजे गये 1982-83 में उनकी संख्या 80 है और 1983-94 में 95 है और दुकानें जो सील की गयी 1982-83 में उनकी संख्या 116 है और 1983-84 में 124 हैं।

मान्यवर, यह सब देखने की बात है। 1977-78 में अवमानक का प्रतिशत 31 प्रतिशत था, 1978-79 में 38 प्रतिशत था, 1979-80 में 25 प्रतिशत था, 1980-81 में 25 प्रतिशत था, 1981-82 में 21 प्रतिशत था, 1982-83 में 14 प्रतिशत था और 1983-84 में अवमानक का प्रतिशत 10 परसेन्ट रह गया है। जब कि पूरे भारतवर्ष में अवमानक का एवरेज 18 परसेन्ट आता है, परन्तु आपके उत्तर प्रदेश का अवमानक सिर्फ 10 प्रतिशत है। विश्लेषण के उपरान्त पाये गये अवमानक उर्वरक के बारे में मैं कुछ आंकड़े और प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुल उर्वरक वितरित किया गया 1680000 मीट्रिक टन। इसमें केवल 1183 मीट्रिक टन सब-स्टैंडर्ड पाया गया, जो कुल उपयोग का 0·07 प्रतिशत है, जिसकी आच्छादन क्षमता केवल 4929 हेक्टेयर रकबे में हो सकती थी। यह भी मान लिया जाय कि यह बिक गया था, जैसा कि सम्मानित सदस्य कहेंगे, तो भी इसका केवल 0·01 परसेन्ट मिश्रण आता है। तो इस तरह से हमने भारी कंट्रोल किया है और प्रयास किया है कि प्रदेश में यह जो एडलट्रेशन की शिकायत है, वह खत्म हो जाय। खत्म तो अभी तक पूरी तरह से नहीं कर पाये हैं, इसके लिये कुछ दोष फर्टिलाइजर एक्ट

का भी है। सेन्ट्रल फर्टिलाइजर जो ऐक्ट है, उसमें कुछ दोष है, जिनकी वजह से अभी तक कोई अभियुक्त सजा नहीं पाया है। हमने केन्द्र सरकार का इस तरफ ध्यान ही आकृष्ट नहीं किया, बल्कि यह इन्सीस्ट किया है, जोर दिया है कि इसमें चेंज आना चाहिये, एमेंडमेंट तरमीम होना चाहिये और वह तरमीम उसके सम्बन्ध में कर रहे हैं।

मान्यवर, हमने इसी तरह से शुद्ध खाद का पिछले वर्ष के लगभग 14 लाख मीट्रिक टन के स्थान पर इस बार 17 लाख मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया। इसी के साथ-साथ मान्यवर, जो बीमारियां हमारी फसलों पर भारी बढ़ रही हैं और खासतौर से गेहुंआ है, जिसको हमारी तरफ मंडूसी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको फेलरिस माइनर कहते हैं, वह गेहूं की शकल की होती है, पहचान उसकी शुरू में आती नहीं है, बाद में वह घेर लेती है फसल को और पैदावार को गिरा देती है, उसकी बाबत आइस्टो-प्रोट्यूरान का प्रयोग किया गया। पिछले वर्ष केवल 10 टन कृषकों तक उसकी दवायें पहुंचायी गयी, इस बार 104.5 टन की तकसीम हुई है। इसमें कुछ शिकायतें हमारे पास आयीं हमारे सम्मानित मित्रों की, कि साहब इसका कोई लाभ नहीं है, इसने तो हमारी फसल को खत्म कर दिया। यह सही बात है, बहुत सी जगहों से इसकी शिकायत आ सकती है, इसके प्रयोग से शिकायत आयी। लेकिन, दवा बहुत कामयाब है और पूरे प्रदेश में इसकी कामयाबी को सुनवायी आयी है। इसके साथ ही साथ धान की बाबत मंचोटी किस्म की दवा है, उसका प्रयोग पिछले वर्ष में 1.6 टन था केवल, इस बार उसका प्रयोग 11 टन किया गया।

इसके साथ ही साथ और दूसरे जो रसायन हैं, यह भी हमने काश्तकारों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसे मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कितना भारी लाभ हमारे किसानों को इससे हुआ है। मान्यवर, सम्मानित सदस्य जानते हैं कि इस बार मिनिकिट्स को तकसीम करके, एक विशेष वातावरण, कृषकों का, कृषि उत्पादन के लिए बनाया गया। जगह-जगह पर मिनिकिट्स तकसीम किये गये। बहुत सी जगहों के इसकी बाबत शिकायत भी आयी, इसकी बाबत कहना चाहूंगा कि जहां-जहां से शिकायतें आयीं, उसकी बाबत जांच करायी गयी। जांच करायी और जांच कराने के बाद दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं और उनको सजा भी दिया।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश का किसान बेचारा गरीब है, वह कृषि निवेश को खरीदने में असमर्थ रहता है। लिहाजा हमने कृषि प्रसार पखवारे मनवाकर कृषकों को, अपने कोआपरेटिव बैंक के जरिये से और अपने नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम से, भारी मात्रा में पूरे प्रदेश में इस बार लोन दिलाया और जिससे हमारे कृषकों को अपनी पैदावार बढ़ाने में भारी मदद मिलेगी।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ हमने यह भी किया, लैंड टू लैंड उसको कहा जाता है, जो हमारी लेबोरेट्री है, और हमारे साइंटिस्ट हैं, वह निकलें और किसानों तक हमारे पहुंचे।

प्रदेश में हमारे पास वर्कर्स की भारी कमी है, फिर भी अपने प्रदेश के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए हमने लक्ष्य प्राप्ति की पूर्ण कोशिश की। जगह-जगह पर कृषि गोष्ठियां और कृषि मेले लगाकर दूर संचार केन्द्र द्वारा, रेडियो द्वारा, जो कृषि की तकनीकी जानकारी हो सकती है या जो प्रचलित है, उसको किसानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश की पैदावार बढ़ी। वर्ष 1982-83 से अब तक जो भी लक्ष्य रखे थे, लक्ष्य से ज्यादा पैदावार रही। गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष में, सम्मानित सदस्य जानते हैं, रिकार्ड उत्पादन हुआ। इस वर्ष उससे भी अधिक उत्पादन होगा। पिछले वर्ष 264 लाख मीट्रिक टन उत्पादन था, इस बार 1983-84 में 274 लाख मी० टन

का लक्ष्य रखा था, जिसमें से खरीफ की फसल में हमने 98 लाख मी0 टन लिया, अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये 176 लाख मी0 टन उत्पादन रह जाता है। इस बार 85 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है, उससे आशा है कि 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निश्चित रूप से बढ़ेगा। इस लक्ष्य को हम गेहूं के उत्पादन से पूरा कर सकेंगे ऐसी आशा है, अगर कुछ कमी रहती है तो शेष फसलें हैं, वह अपना लक्ष्य पार कर लेंगी।

हमारे सम्मानित सदस्य शिकायत कर सकते हैं कि पिछले खरीफ में दलहन की पैदावार गिरी है, यह सही बात है, 1982-83 के मुकाबले में पैदावार गिरी है, लेकिन उसको कम्पन्सेट किया है और पिछले वर्ष से अधिक हम दाल-दलहन की पैदावार को गिरने नहीं देंगे बल्कि उससे कुछ न कुछ ऊपर ही रहेंगी। हम तिलहनी फसलों में भी आगे बढ़े सूचित करना चाहूंगा कि लगभग 1·50 लाख हेक्टेयर रकबा तिलहनी फसलों से गिरा और गेहूं में हम आगे बढ़ गये। इस 1·50 लाख हेक्टेयर के रकबे के गिर जाने के बाद भी पैदावार नहीं बढ़ी। एक किसान होने के नाते में समझता हूं कि प्रति हेक्टेयर पैदावार किसान की बढ़ रही है और वह तरक्की कर रहा है। प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ी है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, और पिछले वर्ष में उससे पहले के वर्षों की तुलना में।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अगले वर्ष से भी ज्यादा लक्ष्य मुकर्रर किये हैं और इस बार हमारा यह इरादा है कि जितनी बीज की आवश्यकता है, उसका पूरा 10 प्रतिशत रिप्लेसमेंन्ट करने के लिये पूरा प्रयास करेंगे। बहरहाल, हमें आशा है कि सम्मानित सदस्यों के सहयोग से, प्रदेश के किसानों के सहयोग से हम उसको प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। इसके साथ-साथ कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमने कृषि का उत्पादन बढ़ाया है, मक्का, ज्वार के सम्बन्ध में हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है। मान्यवर, आलू के संबंध में और उसकी पैदावार के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस प्रकार से हमारे प्रदेश में आलू का उत्पादन भी बढ़ा है। इसलिए अगर यह कहा जाये कि इस बार हमारे प्रदेश में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है तो कुछ गलत न होगा। मार्च, 28 से 8 अप्रैल तक करीब 25 लाख मैट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि आलू के उत्पादकों को कुछ मंदी का भी सामना करना पड़ा है। 28 मार्च से 8 अप्रैल तक जो आलू मार्केट में आया, जिसमें 70 हजार टन से लेकर 1 लाख टन तक अनुमानित है मंदी का सामना करने का फिर और जो भी सरकार की ओर से प्रबंध किये गये, उनमें कमी नहीं हुई।

(शोर के बीच झूठ के नारे)

और यह मंदी विशेषकर इटावा एटा और मैनपुरी के बाजारों में व अन्य स्थानों पर भी रही। फिर हमने पी0 सी0 एफ0 को मार्केट में भेजा और इसके तीन केन्द्र फर्रुखाबाद में भी खुलवाये गये। इसके बाद फिर आलू के भाव में कुछ फर्क नजर आया। साथ ही मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह भी कहना चाहूंगा कि पी0 सी0 एफ0 द्वारा 50 रु0 के रेट पर काश्तकारों से जो आलू खरीदे गये, यदि उस पर 11 रु0 प्रति क्विंटल तक किसानों को हानि रही तो उसका पचास परसेंट केन्द्र सरकार और 50 परसेंट प्रदेश सरकार प्राइज वहन करेगी।

इसलिए मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि यह मंदी हमारे किसानों को 28 मार्च से 8 अप्रैल तक ही देखनी पड़ी और इसकी वजह भी यही है कि जिन काश्तकारों ने अपना आलू खेतों में पड़ा रहने दिया 15 से 25 मार्च के दर्मियान भी। जबकि सभी काश्तकारों को इतना तो मालूम ही है अगर 25 मार्च तक आलू खेतों में पड़ा

रहेगा तो अवश्य खराब हो जायेगा क्योंकि इस समय तक तापक्रम कुछ गर्मी का बढ़ जाता है, जिससे आलू की मारकेट वेल्यू भी काम हो जाती है। वैसे कुछ स्थानों पर आज भी इसके भाव बढ़े हुए हैं आसाम में 140 का भाव है, जो काश्तकार चाहें, वह जा कर 140 प्रति क्विंटल का भाव प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमने गाड़ी की व्यवस्था कर दी है। लेकिन कोई वहां पर जाने को तैयार नहीं है, लेकिन व्यवस्था हमारी तरफ से मौजूद है। वहां जाना लोग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आलू ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आलू ज्यादातर इधर उधर जा नहीं सका, जिसकी वजह से बाजार में मंदी का सामना करना पड़ा। अब यदि इसके बाद भी माननीय सदस्य कुछ कहें और शिकायत करें तो वह कर सकते हैं। जहां तक मेरे कार्य की बात है। इस संबंध में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता आप स्वयं देखेंगे कि इस ओर प्रदेश सरकार की ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखी गयी अगर कोई कसर इस ओर प्रदेश सरकार की ओर से बाकी रहती तो अवश्य प्रदेश सरकार इसके लिए हुशियार थी, लेकिन ऐसा यहां पर किया नहीं है। मान्यवर, किसान होने के नाते मुझको भी थोड़ा बहुत अनुभव है।

श्री विजय सिंह राना—

क्या सबूत है आपके किसान होने का ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, इस पर मुझे एक किस्सा याद आया है, इजाजत हो तो सुना दूं कि एक जगह कुछ रुनझुन हो रही थी कि बेचारा उसकी भाषा को नहीं समझ पाया, केवल ऐसे ही गर्दन हिला रहा था, उसी तरह की बात अभी राना जी ने की है।

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों से एक और निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से एग्रो के सम्बन्ध में। हमेशा एग्रो से संबंधित परियोजना लास में चली है परन्तु पिछले एक वर्ष का रिकार्ड है जिसको देखने से पता चलता है कि गत वर्ष इसने 35 लाख रु0 का लाभ दिया है। मैं इसे बहुत ज्यादा नहीं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी कारगुजारी मैंने कर दी है लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि अब यह आगे की तरफ बढ़ा है। इसमें जो लास होता था, वह समाप्त हो कर अब प्रोफिट की तरफ चल रहा है।

इसी तरह से कृषि उत्पादन के संबंध में सदस्यों को चिन्ता अवश्य रहती है और रहनी भी चाहिये। मुझे भी इसकी चिन्ता रहती है। लेकिन प्रदेशीय सरकार अपने स्तर से कृषि की मार्केटिंग के लिये जो व्यवस्था उसने बनाई है या बना रही है उसको कुछ लोग ही क्रिटीसाईज कर सकते हैं। माननीय सदस्यों ने जैसा कहा, सही है कि पिछले दिनों में भाव जरूर गिरे हैं। मान्यवर, मैं दुर्भाग्य ही इस बात को कहूंगा कि ये अब भी किसानों का ही नाम लेते हैं कि किसानों के घर में गेहूं पड़ा है और 130 रु0 में बिक रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि कौन किसान है जो अपने घर में गेहूं, डाले बैठा है ? वह किसान नहीं है बल्कि वह व्यापारी हैं। व्यापारी ही हानि और लाभ देखते हैं काश्तकार को कोई नुकसान नहीं है। उसका गेहूं उस समय खरीदा गया 150 रु0 के रेट पर आज भी केन्द्रीय सरकार ने जो भाव निश्चित किये है उसी भाव पर अब भी 152 रु0 के हिसाब से खरीदा जायेगा। हां, यह थोड़ी सम्भावना जरूर थी और थोड़ा चिन्ता का विषय भी था कि जूट फैक्ट्रीज में हड़ताल होने के कारण बोरियों के संकट की सम्भावना जरूर थी लेकिन अब हड़ताल समाप्त हो गयी है तो अब बोरियों की वजह से प्रदेश के कृषकों का माल सड़क पर नहीं रहेगा। परचेज लक्ष्य का 50 प्रतिशत बोरा उसके पास मौजू

है, अब इसके चिन्ता की आवश्यकता नहीं है ।

मान्यवर, प्रदेश के जिम्मेदार लोगों को जो प्रदेश में ऊसर की समस्या है इससे उनको बहुत चिन्ता है । इसके लिये प्रयास किया जा रहा है । प्रदेश में ऊसर सुधार की योजना जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करके यहां के ऊसर को समाप्त किया जायेगा ।

श्री अकबाल हुसैन--

इसके साथ ही जहां-कर्जा रिवाइन हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

जब आप बोलियेगा तब ये सब कहियेगा, अभी बीच में न बोलिये ।

श्री यशपाल सिंह--

चाहे ऊसर हो चाहे रिवाइन हो, जहां भी यह होगा, उसका सुधार किया जायेगा । मान लीजिए आपका रायबरेली हो, आपका उन्नाव हो, चाहे आपका लखनऊ हो, जो भी इस तरह के जिले हैं 6 जिले खासतौर से एक विशेष योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं और मान्यवर, इनके ऊसर को जरूर खत्म किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राना--

उधर का बन्जर ठीक करके तब इधर का ऊसर ठीक करें ।

श्री यशपाल सिंह--

हमारे कृषि फार्म, प्रदेश के जितने भी एग्रीकल्चरल फार्म हैं, पिछले सालों में उनकी बड़ी बदनामी हुई है, वह इस बात की हुई कि वह लास पर चल रहे हैं । मान्यवर, इस वर्ष 47 कृषि फार्म जिनकी बैलेन्स शीट हमारे सामने आयी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वह 47 फार्म 2 लाख रुपये के लाभ में हैं । मान्यवर, मैं इसी से सन्तुष्ट नहीं हूं । मैं राना जी की खेती को देखूंगा । अधिष्ठाता महोदय, राना जी दावत दे रहे हैं, मैं हुकुम सिंह जी की खेती को जानता हूं । आगरे जाऊंगा तो जरूर देखूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मोहन सिंह जी की खेती की ओर आप ध्यान कर लें ।

श्री यशपाल सिंह--

वहां भी जाऊंगा । मान्यवर, अब मैंने कुछ विचार कृषि उत्पादन के बारे में यहां पर रखे हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य कटु से कटु और कड़ी से कड़ी आलोचना करें ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मंडी समितियों के बारे में भी बता दें ।

श्री यशपाल सिंह--

लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे रचनात्मक सुझाव दें, ताकि मैं भी उनसे कुछ सीख सकूं और सुधार ला सकूं माननीय सदस्य अकबाल हुसैन जी ने मन्डी समितियों के बारे में पूछा उसके बारे में बताना चाहता हूं कि उनके बारे में ध्यान दिया गया है । मन्डी समितियों का निर्माण जितना हो चुका है उसमें केवल 8 मंडियों का बाकी है, बाकी सभी का व्यापार शिफ्ट हो गया है । इसके अलावा अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी उसमें आयी है । मान्यवर, मन्डी शुल्क की घोषणा हुई और वह मंडियों से वसूल किया जा रहा है, वह धन वहीं पर केवल खर्च किया जायेगा, इतना कह कर मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने रचनात्मक सुझाव दें और हमें लाभान्वित करें ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान सं० 9, कृषि विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री मोहन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या 10-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि विभाग की एक खास खूबी है कि किसान अपनी जांगर, अपनी पूंजी और अनुकूल मौसम के सहारे अच्छा उत्पादन करके दिखावे तो इसका सारा श्रेय कृषि विभाग और माननीय मंत्री जी अपने लिए ले लेते हैं। लेकिन जब कभी भी किसान के ऊपर संकट की स्थिति आवे, अधिक उत्पादन हो जाय, व्यापार लुटने लगे, वस्तुओं के दाम गिरने लगे, खादों में मिलावट होने लगे, कीट-नाशक दवाओं का बाजार में उपयोग न होने से उसके दाम बढ़ने लगे, शीतगृहों की समस्या से आलू की फसल सड़ने लगे तो उस समय कृषि विभाग असहाय स्थिति में आ जाता है और किसानों को वांछित इमदाद कृषि विभाग नहीं दे पाता।

मंत्री जी ने बड़े अहंकारी और महत्वाकांक्षी आंकड़े अपने बजट भाषण में प्रस्तुत किये हैं। मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो पिछले साल हमने गेहूं का उत्पादन किया वह अपने आप में एक रिकार्ड है। पूरे प्रदेश में गेहूं का जो उत्पादन हुआ उसमें 45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। इसमें कुल उत्तर प्रदेश का हिस्सा 25 लाख मीट्रिक टन था, यह उनका दावा है। इसको मैं चुनौती देना चाहता हूं। 1981-82 के मुकाबले में 1982-83 में जो खाद्यान्न उपलब्ध हुआ उसमें मान्यवर, सरकार की ओर से कहा जाता है कि 263 लाख मीट्रिक टन कुल उत्पादन हुआ खाद्यान्न का यानी 1981-82 के मुकाबले में 1982-83 में 20 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। सम्पूर्ण जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ वह 20 लाख मीट्रिक टन हुआ। इसके अगर अलग-अलग आंकड़े देखे जायं तो 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं में, तीन लाख मीट्रिक टन चने में, दो लाख मीट्रिक टन मटर में, कुछ हजार मीट्रिक टन जौ में वृद्धि हुई है। इस तरह से 30/32 लाख मीट्रिक टन कुल आपने दिखाया है और इस तरह से औसतन 20 लाख टन आपका आया। जहां तक 25 लाख मीट्रिक टन इजाफे का प्रश्न है उसको भी मैं चुनौती देना चाहता हूं।

केन्द्रीय सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन अधिक उत्पादन होगा, इस पर खरीद करने के लिए अपना मानक तय किया कि इस पर आपकी सरकार को खरीदना चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको 20 लाख मीट्रिक टन कर दिया और घटा दिया। आपने बताया कि 25 लाख मीट्रिक टन अधिक उत्पादन हुआ लेकिन जब आप खरीदते हैं तो जो लक्ष्य निर्धारित था वह भी पूरा नहीं हुआ और 6 लाख मीट्रिक टन कम खरीदा और 14 लाख मीट्रिक टन विभिन्न स्रोतों से इनकी सरकार खरीद कर पायी। दूसरी बात यह है कि गेहूं उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उसके बाद जब सूबे के बाहर गेहूं नहीं जा सकता था तब आपने अपने सरकारी केन्द्रों से जो खरीद करनी चाहिये थी वह नहीं की और 6/7 लाख मीट्रिक टन कम हुआ और केन्द्रीय सरकार आपके भाव के मुताबिक 25 लाख टन कह रही थी उसके बाद भी 20 लाख टन भी नहीं हुआ। तो इस हिसाब से सारा गेहूं बाजार में आना चाहिये था और बाजार में भी गेहूं की कीमत कम होनी चाहिये थी। पिछले साल के बाजार भाव बताते हैं कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में गेहूं के भाव ढाई सौ रुपये से लेकर तीन सौ रुपये तक दिसम्बर, जनवरी और फरवरी तक थे।

में इस बात पर भी आपको चुनौती देना चाहता हूं। 25 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं में इजाफा हुआ और जो ये आंकड़ दिये हैं यह बिलकुल झूठे और फर्जी हैं और केन्द्रीय सरकार को झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके बेवकूफ बनाने की कोशिश की गयी। इससे हम कोई निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। जहां तक प्रति हेक्टेयर कीमत का प्रश्न है फर्टिलाइजर का, उसके बारे में इनका दावा है कि 18 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर आपने दिया कि रबी की फसल इससे अच्छी होगी। मान्यवर, मेरे पास जानकारी है 31 जनवरी, 1983 तक उत्तर प्रदेश के सारे स्रोतों से जो सम्पूर्ण भंडारण, अपने प्रदेश में था वह 11 लाख मीट्रिक टन था। सम्पूर्ण स्रोत से भंडारन आपने 11 लाख मीट्रिक टन बता दिया।

इसी तरह 18 लाख मी0 टन खाद आपने किसे वितरित की इसके बारे में माननीय मंत्री जी और उनका विभाग कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं। इसलिए खाद्य के वितरण सम्बन्धी आपके आंकड़े हैं वे झूठे हैं और केन्द्र सरकार को बेवकूफ बना कर जो आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम है जिसमें दो सूत्र यह भी आते हैं उसमें अपनी पीठ को ठुकवाने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा जो आपके विभाग के उत्पादन और वितरण सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं उनका सही ढंग से रखरखाव होना चाहिये, ठीक से उनको तैयार किया जाना चाहिये जिससे हमें मालूम हो सके कि हम कहां हैं, हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है ताकि हम सही आंकलन तैयार कर सकें।

जहां तक दूसरा प्रश्न है कि गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन फी हेक्टेयर अन्य प्रदेशों के मुकाबले जिस तेजी से बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ रहा है। एक कुंतल प्रति हेक्टेयर बढ़ जाय यह कोई बात नहीं है इतनी विशेष छूट देने के बावजूद सिंचाई की सुविधा के बावजूद मौसम के अनुकूल होने के बावजूद एक क्विंटल बढ़ जाय तो कोई बात नहीं हुई इसे मैं उचित नहीं समझता हूं। पंजाब जिसके बारे में चर्चा थी कि वहां धान नहीं होता है आज फी हेक्टेयर चावल हमारे प्रदेश के मुकबले ढाई गुना ज्यादा है, गेहूं की उपज में पंजाब और हरियाणा हमारे मुकाबले में डेढ़ गुना ज्यादा है। यह जो प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ी है इसके पीछे उन्नतिशील बीजों का बहुत बड़ा योगदान है, अच्छी खाद और किसान का जो श्रम है उसका बहुत बड़ा योगदान है।

हमारे प्रदेश में एक हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों की संख्या पूरे प्रदेश में 70 प्रतिशत के आसपास है। अगर 61 और 71 की जनगणना के आंकड़े निकाले जायं तो 10 फीसदी किसान जो 2 हेक्टेयर से नीचे का है वह इन विगत 10 वर्षों में भूमिहीन हो गया है। वह आर्थिक कारणों से मजबूर होकर जो छोटी जोत वाले हैं इस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे अन्य धंधों में अपने प्रदेश या प्रदेश से बाहर चला गया है। तो वह भूमिहीन की कोटि में आ गया है। केवल एक वर्ग जिसे बृहद् जोत में लेते हैं जिसकी संख्या 0.45 प्रतिशत है उसने अपने प्रतिशत से थोड़ा बहुत इजाफा किया है उसकी सरकार कोई मदद नहीं करती है। हमें एक काम करना चाहिये जिसका आपने दावा किया कि इतनी खाद हमने लघु और सीमांत कृषकों को बांटी है, उनको तिलहन और दलहन के साथ-साथ इतनी खाद बांटी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अधिकारियों की सांठगांठ से लघु और सीमांत को इसका बहुत थोड़ा अंश मिला है।

मेरा सुझाव है इस तरह की सहूलियतें जो आपने 7, 8 करोड़ की दी हैं उनको उपलब्ध नहीं हुआ, जो आपने उसको मदद देने की कोशिश की थी वह उन तक नहीं पहुंची है। तो इस तरह से इमदाद देने से अच्छा है कि जो उसकी उत्पादित वस्तु है, किसान को उसकी वस्तु का समर्थित मूल्य सरकार की ओर से बढ़ा कर दिया

जाय। हमारे प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उपज घट रही है इससे लघु और छोटे किसानों की कमर टूट रही है और जो उसके उत्पादित पदार्थ हैं, उसका उसे समर्थन मूल्य मिलना चाहिये। इस तरह शासन को उसकी मदद करनी चाहिये। आपको याद होगा पिछले साल जब इसी सदन में एक प्रश्न किया गया था कि 1981-82 में इस प्रदेश में गेहूं की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है तो सरकार ने कहा था कि 133.30 पैसा है जो सरकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने विभिन्न स्रोतों से पता लगाकर बताया था। अभी जो केन्द्र सरकार ने क्रय मूल्य तय किया तो प्रदेश सरकार ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमीशन को ज्ञापन दिया था उसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के आंकड़े सरकार ने तैयार करवाये थे, उसके हिसाब से उपज प्रति क्विंटल 154 रुपये किसान की लागत आती है और मंत्री जी किसान से 152 रुपये में गेहूं क्रय करेंगे। इनका विभाग स्वीकार करता है कि रबी का दायरा बढ़ा है और उसमें गेहूं का दायरा बढ़ा है, तो जब बाजार में जिसके दाम बढ़ जाते हैं किसान की प्रवृत्ति उस तरफ बढ़ती है, लेकिन जब सरप्लस स्टाक हो जाता है तो बाजार में उसकी कीमत गिरने लगती है, तो उस समय कृषि विभाग को इसमें आना चाहिये, लेकिन सरकार इसमें विफल हो जाती है। गेहूं के मामले में यही हुआ। और इस वर्ष आलू की फसल आई तो मंत्री जी ने कहा कि 60 लाख मैट्रिक टन आलू इस वर्ष हो जायेगा। तो जब आपको पता था कि आलू की उपज अच्छी होगी तो आपको यह सोचना था कि व्यापारियों से किस तरह इसमें निपटेंगे। हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि आलू किसान जानबूझकर कि अच्छे दाम मिलेंगे इसलिये अप्रैल में निकालेंगे तो ऐसी बात नहीं है। इस साल मान्यवर, आलू की फसल देर से बोई गयी है।

श्री यशपाल सिंह--

नेता विरोधी दल से बात करके इसमें आप बता दें।

श्री मोहन सिंह--

नेता विरोधी दल जब कृषि मंत्री थे, तो अच्छा काम किया था और विपणन की अच्छी व्यवस्था किया था। तो उनसे नहीं मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आलू की फसल अक्तूबर में बारिश होने के बाद दुबारा किसानों को बोना पड़ा था जिससे आलू फसल देर में आयी। मान्यवर, 400 बैगन फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी ने नार्दन इस्टर्न रेलवे से एलाट कराये जो बाहर जाना चाहिये लेकिन उनका आवंटन नहीं हुआ, रेलवे मंत्रालय से। मान्यवर, इसमें रेलवे मंत्रालय और व्यापारियों से मिली भगत के कारण, उनकी साजिश के कारण जो आलू सर्दी के मौसम में बाहर जाना चाहिये था जिसको भेजने की जिम्मेदारी सरकार की थी इसमें पूर्वानुमान होने के बावजूद, पूर्व प्रयास जो होना चाहिये था, वह उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। नतीजा हुआ कि आलू सड़ने से कैसे बचाया जाय, इसलिये किसान के सामने उसको निकालने की चिन्ता हुई। इसलिये अफसोस है कि आप इसकी उचित व्यवस्था नहीं करा पाये हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने स्वयं कहा कि एक लाख मैट्रिक टन आलू सड़ गया।

मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार रहते हुए, आप अपने को कृषक परिवार का कहते हैं, इसलिये आपके मंत्री रहते एक आलू भी सड़ जाय तो यह आपके लिये कलंक की बात है और आपको त्याग पत्र दे देना चाहिये और कहा कि एक लाख मैट्रिक टन आलू सड़ गया तो क्या खास बात हो गयी। तो आपके लिये खास बात नहीं लेकिन जिसकी जिन्दगी और जिसका सारा परिवार आलू पर निर्भर करता है उसकी तो कमर टूट गयी तो उसके ऊपर असर इसका हुआ। जब हल्ला मचा तो लिखा पढ़ी इनका विभाग ने कार्यवाही शुरू किया और कहा कि नैफेड से 50 रुपये प्रति क्विंटल खरीद करेंगे।

मान्यवर, 70 रुपये प्रति क्विंटल का भाव जनवरी में आलू का था जिसको आपने कहा, यही फरवरी में भाव था और मार्च के पहले सप्ताह में 70 रुपये का भाव था, तो आपके हिसाब से शीतगृहों में भी आलू रखा गया है और जब आप खरीद रहे हैं तो 50 रुपये देने का क्या औचित्य है, कम से कम 100 रुपये क्विंटल से खरीद आलू की सरकार को अपनी एजेंसी से करना चाहिये, यदि आलू किसान के हितों में दिलचस्पी रखना चाहते हैं तो यह भाव आप तय करें। लेकिन यह सरकार तो स्वयं लूट करती है और व्यापारियों के बहाने से उसको छिपाने का प्रयास करती है।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

दूसरी दिक्कत यह है कि प्रदेश सरकार का जो विभाग है शोध कार्य हेतु, वह भी अपने में विफल रहा है। उन उन्नतिशील और प्रगतिशील बीजों के विषय में जिस मात्रा में खोज करनी चाहिए थी, वह उसने नहीं की है। किसान जिसकी ओर सबसे अधिक भागता है और जिन चीजों का सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है, सरकार को नगदी खेती की ओर किसानों को प्रवृत्त करना चाहिए था। उस ओर आपके विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जहां तक दलहन और तिलहन तथा जूट और तम्बाकू की खेती का सम्बन्ध है, उस ओर भी कोई आपकी प्रगति नहीं है। जो अरहर की प्रचलित टाइप है वही आज भी अनेक वर्षों से चली आ रही है, उसमें इधर कई सालों से, कोई नई शोध नहीं हुई है।

अभी आपने कह दिया कि हमने कानपुर विश्वविद्यालय को लिखा है, उनसे निवेदन किया है कि कपास की अल्प समय में होने वाली खेती के बारे में वह त्वरित गति से शोध करें। यह अब आपने निवेदन किया है, जबकि आपके जिले में कपास की खेती कम होने के कारण एक सूती मिल ही बन्द करने की घोषणा इस सरकार को करनी पड़ी है। तम्बाकू के बारे में आपका कहना है कि तम्बाकू से हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और हमने 32–33 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा इससे अर्जित भी की है। जब इसका इतना महत्व है तो फिर प्रश्न यह है कि इसकी खेती के फैलाव व प्रसार के लिए आपके विभाग ने अपेक्षित प्रयास क्या किया है। मंत्री जी इस बात का भी अन्त में अपने भाषण में अवश्य उत्तर दे दें। आज जूट की खेती में कमी के कारण पश्चिमी बंगाल की मिलें बन्द हैं, जिसके चलते बोरों की भारी कमी हो गई है। अभी आपने कह दिया कि बोरों की कमी है, फिर कह दिया कि जितने बोरे चाहिए, उसके 50 फीसदी हमारे पास हैं।

आप हमारे यहां जूट का उत्पादन बढ़ाकर प्रदेश में बोरों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में प्रदेश सरकार ने तथा तमाम विश्वविद्यालयों ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। इसलिए मैं इनकी सराहना करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं। 41–42 शोध केन्द्रों के रहते कहीं 1–2 लाख की वृद्धि हो जाए और मंत्री जी इस पर खुश हो जायें, परन्तु मैं इसके लिए 86 करोड़, 83 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार नहीं हूं। यदि यह शोध कार्य इनसे नहीं कराया गया तो इन विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेन्टर्स की उपयोगिता हमारे प्रदेश की आम जनता के लिए कुछ नहीं रही है।

एक आपका एग्रो निगम है, जिसकी सराहना अभी कृषि मंत्री जी ने की है और उन्होंने कहा है कि इस साल हमको इससे कुछ आमदनी होगी। उसकी बैलेंस शीट पर आमदनी हो गयी। 1974–75 के पहले जब तक वह व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य करता रहा—ट्रैक्टर्स के खरीद–फरोख्त का काम करता रहा, उसमें थोड़ा–बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन उसके बाद से उसको बराबर घाटा होता

रहा है और अब तक 13 करोड़ का उत्तर प्रदेश एग्रो निगम घाटा दे चुका है। इस बार कहीं से कुछ मुनाफा हो गया तो मंत्री जी ने उसकी सराहना कर दी। मैं समझता हूं कि खाद के दाम में केन्द्र सरकार ने जो थोड़ी कमी की उससे आपको जो आमदनी उससे हुई, उसको आप एक वर्ष की आमदनी में दिखा दें तो वह हो सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश की कमेटी उसमें छानबीन अवश्य करेगी। लेकिन उसमें आज आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज एग्रो निगम की क्या आवश्यकता है? आज उसकी उपयोगिता पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जब पहले हमारे किसान खाद के उपयोग से परिचित नहीं थे, यांत्रिक खेती से वह परिचित नहीं थे, तो उनको खाद के इस्तेमाल की उपयोगिता व यांत्रिक खेती की उपयोगिता से परिचित कराने के लिए इस निगम की स्थापना की गयी थी। जिससे हम मशीनीकृत खेती के प्रति किसानों में अभिरुचि पैदा कर सकें और हमारे काश्तकार फर्टीलाइजर का अधिकाधिक प्रयोग कर सकें। मैं ऐसा समझता हूं कि अब एग्रो की उपयोगिता बहुत कम रह गयी है, इसलिए आप उसे बन्द कर दें तो प्रदेश के हित में होगा। जो हमारे प्रदेश के संसाधनों के साथ खिलवाड़ करता हो, उनका दुरुपयोग करता हो, उसको तत्काल बन्द देना चाहिए।

आपका जो ऊसर भूमि सुधार निगम है, पिछले वर्ष की उपलब्धि का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था, उसका एक चौथाई लक्ष्य ही इस निगम के के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस वर्ष आप उसको जितना पैसा दे रहे हैं और जो लक्ष्य की प्राप्ति उससे हो रही है, उसको देखते हुये इस निगम से कोई लाभ दिखलायी नहीं दे रहा है और इस निगम ने आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक अपनी कोई योजना ही प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए यह इस लायक है ही नहीं कि इसको एक भी पैसा दिया जाये। यह ऊसर सुधार निगम 9 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बना पायेगा, इसमें संदेह है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि सेवा के जो अधीनस्थ सेवा कर्मचारी हैं वे कई दिनों से लगातार अनशन पर हैं और वे विधान सभा के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मृत्यु की स्थिति आ गयी है। उनकी पुरानी मुख्य मांग यह है कि इनके विभाग को तकनीकी विभाग घोषित किया जाये, एक मांग यह है कि जिनकी प्रोन्नति हो गयी है उनका नियमितीकरण किया जाये। आखिर इन मांगों को मानने में सरकार को क्या आपत्ति है? अपने ही कर्मचारियों की जायज मांगों को यदि सरकार नहीं मानेगी और उनको भूखे मरने के लिए मजबूर करेगी, तो यह सरकार अपनी उस पलटन से प्रदेश के कृषकों की जो सेवा कराना चाहती है, वह सम्भव नहीं होगा। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार को अविलम्ब अपने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए और उनकी उचित मांगों को मानकर उनका अनशन समाप्त कराना चाहिये।

प्रदेश में जो खाद वितरण होता है उसमें मिलावट होने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने यह कह कर समझा दिया कि मिलावट की शिकायतें पिछले साल के मुकाबले में कम आयी हैं। इससे मान्यवर, काम चलने वाला नहीं है। आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा और इस चीज को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। आप यह कहते हैं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का जो फर्टीलाइजर ऐक्ट है वह आपको कार्यवाही करने में रुकावट डालता है। अगर ऐसा है तो आपका भी तो कृषि ऐक्ट है, "रासुका" है। आप क्यों नहीं "रासुका" के अन्तर्गत कार्यवाही करते? आप ऐसे लोगों को "रासुका" में क्यों

बन्द नहीं करते ? आखिर सरकार ने ही यह घोषणा की थी कि खाद्य में मिक्सचर करने वाले उद्योगों को निजी क्षेत्र म लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा, लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि हर छोटे-बड़े जिले में मिक्सचर बनाने का कारखाना खुल गया है। उनका सब स्टैन्डर्ड माल बराबर बाजार में बिक रहा है और कृषक उनका इस्तेमाल कर अपनी खेती को बरबाद कर रहा है। टाटा की रेलीज इंडिया कम्पनी को बिड़ला ने खरीद लिया, उसके माल का सर्वेक्षण हुआ, प्रयोगशाला में उसके सैम्पिल्स का परीक्षण हुआ और माल सब-स्टैन्डर्ड पाया गया, लेकिन आपके कृषि विभाग ने आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार अन्य कई फैक्टरीज हैं जिनका माल सब-स्टैन्डर्ड पाया गया, मगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कृषि विभाग जब तक इस ओर सख्ती से कार्यवाही नहीं करेगा कृषकों का भला होने वाला नहीं है।

कृषकों का यदि आप कुछ भला चाहते हैं तो उनको सब्सीडी देने की जो वर्तमान प्रथा है उसमें भी परिवर्तन करना होगा। आपको इस बात का प्रयास करना होगा कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य भी मिले। बुन्देलखंड में तम्बाकू और कपास की खेती के लिए आप सब्सीडी देते हैं, तो उनको समर्थन मूल्य भी मिले यह प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो उनका ध्यान दूसरी ओर भी डाइवर्ट होगा और वह ऐसी नगद फसलों की ओर आकर्षित होंगे जिनसे उनकी माली हालत में इजाफा होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि कृषि विभाग इस तरह से किसानों की ज्यादा अच्छी इमदाद कर सकेगा। इन शब्दों के साथ पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को इस बहस में भाग लेने का अवसर मिलेगा, इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया। प्रारम्भ में ही मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले 4 सालों में कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में आशा से अधिक विकास हुआ है और इस विकास के लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। मैं एक ऐसे जिले से आता हूं जो इस प्रदेश और देश में आलू उत्पादन में अपना एक विशेष स्थान रखता है। माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, मैं उनसे बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आलू के सम्बन्ध में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है तो अधिकारियों ने आपको सही स्थिति से अवगत नहीं कराया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रदेश ने आलू के उत्पादन में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 60 लाख मी0 टन के करीब प्रदेश में आलू पैदा हुआ है। इसमें से केवल फर्रुखाबाद जिले में 12 लाख मी0 टन आलू का अनुमानित उत्पादन हुआ।

लेकिन एक बात मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि फर्रुखाबाद जिले की आलू उत्पादन करने वाले किसान हैं उनकी दयनीय स्थिति और उनकी पीड़ा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह शासन किसानों का हितैषी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्च के दूसरे हफ्ते तक आलू उत्पादकों को फर्रुखाबाद में अच्छा मूल्य मिला। लेकिन उसके बाद अचानक आलू के भाव में इतनी गिरावट आयी कि अब कौड़ी के मूल्य पर कोई आलू खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह हो सकता है कि किसानों ने आलू देर में खोदा हो ताकि उसको अच्छा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मूल्य मिले। लेकिन आज शीतगृह के मालिक, व्यापारी और रेलवे अधिकारी एक षड़यंत्र करके आलू किसान को त्रस्त करके आलू के भाव गिरा सकते हैं, तो अगर किसान की यह आकांक्षा रही कि बाद में आलू खोदने से अच्छा भाव मिलेगा तो उसमें क्या पाप हुआ। स्थिति यह थी आलू देर में बोया गया और आलू अब बाजार में आ रहा है। ठीक ऐसे मौके पर आलू के व्यापारी, शीतगृह के मालिक और रेलवे अधिकारियों ने सांठगांठ करके वैगनों की उपलब्धि को एकदम से बन्द कर दिया है और फर्रुखाबाद में आलू के भाव की स्थिति यह है कि वहां 20 रुपये, 30 रुपये पर आलू के खरीदार मिल नहीं रहे हैं।

आलू सड़ रहा है और मान्यवर, अब यह स्थिति है कि आलू को कोई कौड़ी के मूल्य में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पी0 सी0 एफ0 का आदेश दे दिये गये हैं कि आलू की खरीद फर्रुखाबाद में आरम्भ कर दी गयी है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मानीटरिंग करायें कि पिछले 15 दिन के अन्दर पी0 सी0 एफ0 ने कितनी आलू की खरीद फर्रुखाबाद में की। माननीय मंत्री जी आंकड़े दिये कि 70,000 टन से 1 लाख टन के बीच आलू की मन्दी का शिकार होना पड़ा। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 700 शीतगृह हैं, जिसकी क्षमता 21.5 लाख टन आलू के भंडारण की है। फर्रुखाबाद जनपद अकेले में 80 शीतगृह हैं, जिनकी क्षमता 4.5 लाख टन आलू भंडारण की है और मेरी निश्चित जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद के शीतगृह में अब भी 25 प्रतिशत भंडारण की जगह खाली है। शीतगृहों की इस खाली भंडारण क्षमता में यदि आलू रखे जाने की व्यवस्था करें, तो किसान अब भी बच सकता है। जब 70,000 टन और एक लाख टन के बीच की स्थिति फर्रुखाबाद जनपद की है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या एक लाख टन भंडारण के लिए आलू की मांग मध्य प्रदेश की नहीं थी और नहीं है? क्या आसाम को एक लाख टन से अधिक आलू के भंडारण के लिए आज भी आवश्यकता नहीं है? तो समस्या कहां रहेगी?

मान्यवर, अगर प्रशासनिक अधिकारी आज भी पूरी चेष्टा के साथ और पूरी सख्ती के साथ लगें, तो आलू किसानों को आज भी बचाया जा सकता है। मान्यवर, अकेले बीज के लिए इस प्रदेश को 10 लाख टन आलू की आवश्यकता होगी और खाली फर्रुखाबाद जनपद को 1.50 लाख टन आलू के बीज की आवश्यकता होगी। तो मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि 50 रुपया न्यूनतम खरीद मूल्य आलू का सरकार ने जो निर्धारित किया, अगर आज भी 50 रुपया पर फर्रुखाबाद में आलू की खरीद शुरू कर दी जाय, तो आज भी किसानों को बचाया जा सकता है। किसान का आलू अब तो लागत मूल्य पर भी नहीं निकल रहा है।

मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद में कहीं पर भी चले जाइये, हर शीतगृह के बाहर हजारों बोरा किसानों का आलू सड़ रहा है। रोम जल रहा है और नीरो सितार बजा रहा है। वहां का किसान त्रस्त और तबाह हो रहा है। मान्यवर, मैं एक बहुत नम्रतापूर्वक इस प्रदेश सरकार के कृषक और कर्मठ कृषि मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आलू विकास एवं विपणन संघ, जिसकी स्थापना 1983 में की गयी और जिसका अध्यक्ष जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद बनाया गया, उत्तर प्रदेश आलू विकास एवं विपणन संघ ने अब तक क्या कार्यवाही की? एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कई बार इस माननीय सदन में कहा गया, पिछले 10 साल से

तो मैं सुन रहा हूं कि आलू पर आधारित किसी उद्योग की स्थापना की जाय। यही समस्या का स्थायी निदान है। आलू पर निर्धारित कोई कारखाना फर्रुखाबाद में लगाया जाय। जब तक ऐसा नहीं होता है, तो कहां तक माननीय मन्त्री जी प्रत्येक वर्ष आलू उत्पादकों को, व्यापारियों, शीतगृहों के मालिकों और रेलवे के अधिकारियों के षड़यन्त्र से बचाते रहेंगे ?

मान्यवर, मुझे आश्चर्य है कि कुछ साल पूर्व एक ब्रिटिश फर्म ने एग्रो के साथ मिलकर आलू पर आधारित एक चिप्स का कारखाना लगाने का प्रस्ताव किया था, फीजिबिलटी रिपोर्ट तैयार हुई, टेक्निकल रिपोर्ट तैयार हुई, फाइनेंस उनका, टेक्निकल नो हाऊ उनका और उत्पादित माल की खरीद उनकी, लेकिन एग्रो के अधिकारियों ने दिलचस्पी नहीं ली और वह नहीं लग सका। तो मैं कहना चाहता हूं कि आलू उत्पादकों की आवाज को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि तत्काल भारत सरकार आलू पर आधारित उद्योग लगाने की व्यवस्था करें। ताकि प्रति वर्ष जो आलू उत्पादक मंडी का शिकार होते हैं उनको बचाया जा सके। इसके साथ ही माननीय कृषि मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मन्त्री ने बहुत दावे किये हैं, लेकिन मैं पहले उनका एक दावा ठुकराना चाहता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम में है कि दलहन की पैदावार बढ़ेगी। मान्यवर, 1939-40 में चने की पैदावार 16 लाख 78 हजार टन थी। और 1981-82 में इनका 20 सूत्री कार्यक्रम चल गया तो इनकी पैदावार हो गई 10 लाख 62 हजार टन, तो 616 हजार टन कम पैदा हुआ। यह सरकार, जिसकी तरक्की का बड़ा दावा भर रहे थे, 15 लाख का लक्ष्य रखा गया है। यह उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। 15 लाख का इनका 20 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य है। यह आंकड़े आपके विभाग के दिये हुये हैं। अब आप 16 हजार टन पैदावार कम कर रहे हैं और आज भी जो 1939-40 में पैदावार थी, अब भी यह निश्चित नहीं है कि कितनी है। यह इनका पाखंड है। चीनी मुख्य पैदावार है जिस पर यह पहुंच नहीं पायेंगे। यह 20 सूत्री कार्यक्रम चलते रहे। सिवाये इसके इनको जनता हटा दे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मान्यवर, हमारी तुलना किससे हो सकती है।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारी तुलना पंजाब से हो सकती है क्योंकि पंजाब उत्तर प्रदेश सिन्ध का मैदान है, दोनों की एक जैसी जमीन है। अच्छाई यह है कि कुदरत ने हमें यह बख्शा है कि वर्षा ज्यादा होती है। मैं इसमें आंकड़े देना चाहता हूं। 1967-68 और 1981-82 में दो आंकड़े प्राप्त हो पाये हैं। मान्यवर, तुलनात्मक रूप से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 1967-68 में गेहूं की 11.82 प्रति क्विंटल पैदावार हुई और 1981-82 में 16.50 था। पंजाब में 1967-68 में 18.85 पैदावार हुई और 1981-82 में 27.30 की पैदावार हुई। मान्यवर, चावल को देखें उत्तर प्रदेश में 1967-68 में पैदा कर रहे थे 13.25। अब पंजाब आगे चला गया और उसने 27.36 क्विंटल हेक्टेयर पैदावार बढ़ाई और उत्तर प्रदेश का 10.53 हुआ। गन्ने के मामले में भी उत्तर प्रदेश बहुत पीछे गया है 38.02 का गुड़ का हिसाब लगाया गया है। 1967-68 में 38.02 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की पैदावार, उत्तर प्रदेश में थी और पंजाब में उस समय 36.88 क्विंटल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रति हेक्टेयर थी, अर्थात् पंजाब में उस समय 2 हेक्टेयर प्रति क्विंटल कम थी। आज उत्तर प्रदेश में 47.09 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जब कि पंजाब में 55.21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, अर्थात् आज उत्तर प्रदेश पंजाब से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कम है, जबकि 1967-68 में 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आगे था। पंजाब में पहले 8 प्रतिशत रिकवरी थी 1967-68 में और आज 11 प्रतिशत पहुंच गयी है। बीजों पर अनुसंधान करके अच्छे बीज देकर पंजाब की यह स्थिति पहुंची है। आप गन्ना विकास विभाग की फौज पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि गन्ना विभाग की इस फौज को हटा लीजिये और हर मिल का एक क्षेत्र सुरक्षित कर दीजिये। उसमें प्रति एकड़ जितना गन्ना हो सकता है, औसतन उतना गन्ना किसान उस मिल को दे दे। हर एक किसान से बांड भरवा लीजिये कि कुल जो गन्ना होगा उसका कितना हिस्सा मिल को देगा। केवल उसको अच्छे बीज दीजिये, बस किसान गन्ने की पैदावार बढ़ा देगा। बशर्ते महाराष्ट्र की तरह बीज, खाद और पानी इन सबका इंतजाम मिल की तरफ से हो और उसकी कीमत गन्ने की पैदावार में से काट ले। गन्ना विकास विभाग की यह फौज हटा लीजिये। तो उससे करोड़ों रुपया बच जायगा और यह विभाग अनावश्यक रूप से नहीं चलेगा। इस विभाग के न चलने का कारण यह है कि इस विभाग के जो डायरेक्टर हैं, वह अपाहिज हैं और चल फिर नहीं सकते। मरीज हैं। चल ही नहीं पाते हैं और उनको दस्तखत करने में काफी समय लगता है, तो विभाग क्या चलेगा। उनको 3 महीने पहले ही रिटायर कर देना चाहिये था। लेकिन सुनते हैं कि उनकी उम्र बढ़ायी जा रही है। पता नहीं क्या फायदा है उनका। मन्त्री जी का यह हाल है, इतने काबिल हैं कि इनको एक मामला दिया कि एक कालेज का एक प्रोफेसर डेपुटेशन पर हार्टिकल्चर में चला गया। वहां उसने काफी गबन और गड़बड़ी की। सतर्कता विभाग ने जांच की। जांच के बाद लिखा गया कि इनको बर्खास्त कर दीजिये या अन्यत्र हटा दीजिये। लेकिन मन्त्री जी बेबसी से कहते हैं कि हम कैसे हटा सकते हैं। वह तो यूनिवर्सिटी के आदमी हैं, वह हटा सकती हैं, हम कैसे हटा सकते हैं। म इनकी बेबसी और मासूमियत की दाद देता हूं।

कालागढ़ के एक भूमि संरक्षण अधिकारी को आदेश मिला कि वह अमुक व्यक्ति को अपना चार्ज दे दें। 26 तारीख को उसने चार्ज दे दिया। लेकिन 27 तारीख को एक आदेश उसके हाथ में आता है कि उनको मुअत्तल किया जाता है क्योंकि उन्होंने चार्ज नहीं दिया। उसने दौड़ धूप की तो कहा गया कि एक दरखास्त देकर माफी मांग लो तो टर्मिनेट नहीं करेंगे। यह नहीं देख रहे कि जब 26 को उसने चार्ज दे दिया था तो फिर 27 को कैसे मुअत्तल हुआ। ऐसे अंधेर नगरी और चौपट राजा वाले मन्त्री से प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। दोनों मामले इनसे सम्बन्धित हैं। मैं इतना ही कह कर खत्म करूंगा कि इस विभाग में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि खेती की पैदावार बढ़ाना असम्भव है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कृषि विभाग के महत्वपूर्ण बजट की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर रहती है। कृषि के क्षेत्र में,

निःसन्देह 2-3 वर्षों से प्रगति हुई है, परन्तु इसके बावजूद भी प्रगति जितनी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रगति नहीं हुई है, प्रगति निश्चित रूप से हुई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुख्य रूप से एग्रो के बारे में यहां पर चर्चा हुई, इसमें कोई सन्देह नहीं कि एग्रो एक ह्वाइट एलीफेन्ट है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 30-35 लाख रुपया का फायदा हुआ है। मैं यह नहीं कहता हूं कि फायदा नहीं हुआ होगा, परन्तु जिस रेशियों से इसमें पूंजी लगायी गयी है, उसको देखते हुए, यह कहना कि एग्रो ठीक काम कर रहा है, बिलकुल गलत है। एग्रो का काम सन्तोषजनक नहीं है। एक तो इसमें ओवर-स्टाफिंग है और पैराफरनेलिया लगा हुआ है, इसमें सुधार असम्भव है। जब तक यह ट्रैक्टर की बिक्री का कार्य करता रहा, निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य करता रहा, परन्तु आज एक फलों का विभाग है जो जूस का संरक्षण करते हैं इसके पास, तो इसके जो जूस हैं, उनको अगर कोई स्वस्थ आदमी पी ले, तो भी वह बीमार हो जायगा।

मान्यवर, जहां तक खाद के वितरण का सवाल है, इसके बारे में मुझे कहना है कि जब खाद का समय होता है, तो उस समय खाद मारकेट से गायब हो जाती है। मैं सचिव महोदय को धन्यवाद दूंगा कि जब बनारस में खाद का भीषण संकट पैदा में फसल के समय पड़ा हुआ था, तो उन्होंने वहां के किसानों को खाद सुलभ कराई। होता यह था कि बनारस से लगा हुआ बिहार में यह खाद चली जाती थी, फलस्वरूप वहां खाद का अभाव हो गया और किसानों में खाद के लिए त्राहि-त्राहि मच गई। मैं सचिव महोदय को पुनः विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रयासों से वहां पर किसानों को खाद उपलब्ध करायी।

मान्यवर, मिनी किट्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं और साथ ही साथ इस सम्बन्ध में मैं माननीय श्री मोहन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि उन्हें इस विषय पर तो कटौती का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था। मिनी किट्स पूरे प्रदेश में हर जगह बांटे गये यह बात सही है कि गेहूं के मूल्य के बारे में, जब सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो किसानों को इसके मूल्य के बारे में सही-सही नहीं बता पाते हैं, भले ही सरकार की तरफ से कैसा ही उत्तर दिया जाय। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका उत्तर सरकार की तरफ से ठीक-ठीक नहीं दिया जाता है। हालांकि यह भारत सरकार का मामला है, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह गेहूं के मूल्य में कुछ वृद्धि कर सकें तो किसानों के प्रति बड़ा न्याय होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आलू की दुर्दशा के बारे में माननीय श्री तिवारी जी ने जो कुछ कहा, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। फर्रुखाबाद आलू का केन्द्र है इसके अलावा भी जो आलू के केन्द्र हैं और जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आलू और गन्ना दोनों ही कैश-क्राप हैं, परन्तु दोनों की स्थिति यह है कि गन्ने के समय गन्ने की खरीद ठीक ढंग से नहीं होती है और आलू की खरीद के समय आलू की खरीद ठीक नहीं होती है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसके मूल्य नियंत्रण को ठीक करने की कृपा करें।

मान्यवर, जहां तक शीत-गृह का सवाल है, 50 प्रतिशत शीत-गृह की क्षमता को रिजर्व कर लेते हैं और किसानों से ऊंचे रेट पर उनका आलू रखना चाहते हैं, भले ही उनका आलू शीत-गृह में पड़कर सड़ जाय। मिक्सचर के बारे में भी कहना चाहूंगा कि जो छोटी कम्पनियां हैं, प्रायः जो मिक्सचर बनाती हैं, उससे किसानों को

नुकसान ही होता है। उनके लाइसेन्स बहुत ही सीमित करने चाहिये और उनकी जांच ठीक प्रकार से करके, तब उनको मार्केट में जाने देना चाहिये।

प्रमाणिक बीज की बात कही गयी, प्रमाणित बीज के सम्बन्ध में देखता हूं, अपने बनारस के सम्बन्ध में देखता हूं कि हर जगह लिखा रहता है कि पंतनगर का बीज है, लेकिन होता वह कहीं और का। जो उसका पेकिंग होती है, उस पर तो पंतनगर लिखा रहता है, वह पंतनगर का होता है, लेकिन जो उसमें गेहूं का बीज है या कुछ और है, वह पंतनगर का नहीं होता है। बेचारे किसान लोग उसको बड़े मूल्य पर ले जाते हैं। वहां जाकर, पौधा आने के बाद, जब वह पैदा होता है, तो बीज को देखने पर उनको हाय होती है। कम से कम कृषकों पर दया करके, जो इस तरह की धोखाधड़ी करते हैं और ठीक से सीड नहीं देते हैं, उनके साथ, रासुका से भी जो बड़ा दंड हो, उन्हें दिया जाना चाहिये देकर व्यवहार किया जाना चाहिये।

मान्यवर, किसान लोग बड़ी मेहनत करके अपनी फसल उपजाते हैं। जब सारे लोग सोते हैं, तब बिजली विभाग उनको यह बिजली देती है रात को, तब उस पानी से अपना खेत सींचकर, अपने खून पसीने से यह उत्पादन करते हैं। तो उनके साथ जो भी चाहे खाद का हो, बीज का हो, जो धोखाधड़ी करते हैं, उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने बताया भी था अपने भाषण के दरमियान कि इतने लोग पकड़े गये, वह जानकर बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन और लोग भी हैं, जो भारी मात्रा में धोखा दे रहे हैं किसानों को, बीज के रूप में या खाद के रूप में, उनके साथ इनको भी दंड देना चाहिये। शोध की बाबत कहना चाहूंगा कि आपके चार विश्वविद्यालय हैं, लेकिन वह कोई खास अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, जितना उनको करना चाहिये। इसके लिये ज्यादा से ज्यादा उनको कांफ्रेंस होनी चाहिये और कान्फ्रेंस होकर जो उससे आउटपुट अच्छे से अच्छा हो, उससे कृषकों को अवगत कराना चाहिए।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री श्रीनाथ सिंह—

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे श्री मोहन सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया और माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके विरोध में भाव प्रकट करने का मौका दिया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने अपने विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमने प्रगति किया है। मान्यवर, यह जो कृषि विभाग से पुस्तक उपलब्ध हुई है "उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन" प्रगति वर्ष 1983-84 कार्यक्रम वर्ष 1984-85 इनको मैंने ज्यों ही पलटा और इसको देखा, तो पाया, कि इसमें लिखा हुआ है चने को देखा जाय क्रमांक-9 पर वर्ष 1983-84 में 15 लाख टन रखा गया था और वर्ष 1984-85 में भी इतना ही रखा गया है। यह दलहन की बात है। वहीं जौ में देखें वर्ष 1983-84 में लक्ष्य था 8.80 लाख टन, वर्ष 1984-85 का लक्ष्य रखा गया है 7.00 लाख टन। इसी तरह से अरहर को भी देखें। अरहर का लक्ष्य 1983-84 में 8.50 लाख टन रखा गया था, वर्ष 1984-85 में लक्ष्य रखा गया है 6.00 लाख टन का। यह तो दलहन तिलहन की आपकी प्रगति है। मैं नहीं समझता, केवल आप कहीं-कहीं

पकड़ कर अपनी प्रगति दिखा जाते हैं, लेकिन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अगर एक दृष्टि में रखकर देखा जाय, तो आपको जितनी प्रगति करनी चाहिये, उतनी नहीं की है।

इसके साथ ही साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय खादों के उपयोग की बाबत कहना चाहूंगा कि थोड़ा तो आप बढ़कर प्रयोग किये हैं, लेकिन अपनी जनपद की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए, कहना चाहूंगा कि वहां जो भी खाद गयी हैं, उसके मिलावट के सम्बन्ध में लोगों में फैले हुए असंतोष को मैंने निकट से देखा, मैं कहना चाहूंगा कि खादों में इतनी मिलावट इसके पूर्व नहीं हुई थी। मैं आपका ध्यान गोरखपुर के डी0 आर0 केमिकल्स की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पहले एक छोटा सा वस्त्र विक्रेता था। वहां पर एक महेश्वरताल है, जहां की मिट्टी काली होती है। उस मिट्टी का रंग बिल्कुल डी0 ए0 टी0 जैसा होता है। सांचे बनाकर उस मिट्टी को उसने करोड़ों रुपया कमाया। मैं जब 1977 में संसद सदस्य था, तब से लिखता आ रहा हूं। अनौपचारिक रूप से पी0 ए0 सी0 कमेटी में भी इस मामले को रखा था, लेकिन कुछ भी जांच नहीं होती। मुझे मालूम नहीं कि उसकी साख कहां तक है क्योंकि न कोई उसको पकड़ पाया न कुछ कर पाया। इसी के साथ-साथ जो कृषि फार्म हैं प्रदेश में उनकी उपज और लागत को जोड़कर जो मूल्य निकालते हैं, अगर उसी के अनुसार किसानों के परिश्रम का मूल्य भी आंकते, तो आप पाते कि सरकार ने किसानों की फसल के लिये जो मूल्य निर्धारित किया है, वह किसी प्रकार से भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। जो लोग खेती पर निर्भर हैं, परेशान हैं।

सरकार किसान को छूट या सबसिडी को सही ढंग से या मौके पर नहीं दे पाती। खाद, बीज, पानी नहीं दे पाती, खाद उस समय पहुंचती है जब बुआई का सीजन निकल चुकता है, कीट-नाशक दवायें उस समय जाती हैं जब कीड़ों के कारण पैदावार नष्ट होने लगती है। जब बाद में यह बात आती है तो बीज किसी का हो चने का हो या और किसी का हो, उसका समय निकल जाता है तब आता है। सरकार में बैठे लोग सब जानते हैं कि खेत में कौन सी फसल कब बोई जाती है और उससे सम्बन्धित बीमारियां कब लगती हैं।

कृषि फार्मों की बात कह रहा था कि मेरे क्षेत्र में एक बाबापार फार्म है, वहां का फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट इतनी लूट कर रहा है कि उसके बगल में एक बहुत बड़ा काश्तकार है, सारा बीज व उपज उसको बेच देता है और उनके ट्रैक्टर ट्राली से दूसरे बीजों को फार्म का बीज कहकर व फार्म की अन्य उपजों को बाजारों में लाकर बेचता रहता है। जो भी वहां कार्य करता है वह प्रति दिन 3 रु0 के रेट से मजदूरी पाता है। डेली वेजेज पर रखकर लूट रहा है, कृषि यन्त्रों को बदल डालता है। मैंने कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा कि वहां पर भौतिक सत्यापन करा लिया जाय, लेकिन नहीं किया गया। इसके अलावा एक चेहरी फार्म है, वहां पर भी ऐसे ही लूट है। गोरखपुर में एक और फार्म बेलीपार है उस फार्म पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है तथा ऐसे लोगों को भूमि बांट दी गयी है, जो पाने के पात्र नहीं हैं। इनमें अधिकारियों ने काफी घपला किया है।

मण्डी समितियों की बाबत कहना चाहता हूं कि यहां किसानों को अपना माल ले जाने की सुविधा होनी चाहिए। गोरखपुर में मण्डी समिति पड़तावल है, वहां फर्जी रसीदें काटकर, जो भी ट्रक जाती हैं, उनको दे देते हैं। अनेक अवसर ऐसे आये जब कि फर्जी रसीदें पकड़ी गयीं। मुझे ज्ञात हुआ है कि अभी उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। देवरिया में सलेमपुर

में एक एग्रो की संस्था है, कैलाश नामक एक व्यक्ति जो जाति का हरिजन था, धोबी था, वहां पर सेलसमैन था। झूठा आरोप लगाया गया है उसने भन्डार से खाद और बीज बेच डाला। अधिकारियों ने जो एफ0 आई0 आर0 कराया, कहीं भी रजिस्टर में यह नहीं था कि उसने कितनी खाद रिसीव की। एफ0 आई0 आर0 पर मुंसिफ मैजिस्ट्रेट देवरिया के यहां ट्रायल हुआ उस ट्रायल में भी कोई सबूत नहीं मिला। इस प्रकार से कहीं भी कोई सबूत नहीं मिले परन्तु फिर भी उसके प्रति जो कार्यवाही की गयी हरिजन जानकर मनमाने ढंग से वह बिल्कुल निर्दोष है। यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है कि इस तरह से एक हरिजन के साथ अन्याय किया जाय। फर्जी तरीके से ताला तोड़ा गया और फर्जी तरीके से उसका निलम्बन किया गया और मुकदमा से भी छूट गया। तब भी बाद में अखबारों में निकलवा कर इस मामले को उसे सेवाओं से हटवा दिया गया। और यह सरकार अपने को हरिजन विरोधी न कहकर बहुत कुछ कहती है लेकिन एक हरिजन के साथ मनमाने ढंग से कार्यवाही करवा कर उसकी सेवायें समाप्त करवा दी गयीं, मान्यवर, इस मामले को देखने के लिए उसने एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, उस पर मैं चाहूंगा कि विचार किया जाए।

दूसरे आज कल जेष्ठ बैशाख के दिन हैं। इन दिनों हमारे यहां बोरों धान की फसल या जेठी-धान की बहुत अच्छी होती है जो नदी नालों व तालाबों के किनारे होती है, यह फसल जल्दी खराब नहीं होती, लेकिन मैंने इस ओर देखा नहीं कि कभी सरकार ने इसको विकसित करने के उपाय किये हों क्योंकि मैं कुछ दिन संसद सदस्य के रूप में बाहर रहा लेकिन जब से फिर इधर आया हूं तो इसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, यदि थोड़ा सा ध्यान इस ओर दिया जाए तो यह बहुत विकसित हो सकती है यह फसल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अमर सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय कृषि मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसका मैं पूरे तौर से समर्थन करता हूं और उन्हें (इस समय 4 बज कर 9 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भोला ल ल पीठासीन हुए।) बधाई देता हूं इसलिए भी कि इस वर्ष माननीय मन्त्री जी के प्रयत्नों से गेहूं की उस क्षेत्र में पैदावार बढ़ी है जहां पर पिछले कई वर्षों से मुझे इसकी पैदावार अच्छी नहीं दिखी। खास तौर से वह क्षेत्र जो ऊसर और बंजर समझा जाता था तो ऐसा माननीय मन्त्री जी के प्रयासों से सम्भव हो सका है, इसलिए भी इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। आज मान्यवर, कृषि के लिए जिन चीजों की ज्यादातर आवश्यकता होती है, वह है सिंचाई व्यवस्था और खाद व बीज आदि तो मान्यवर, श्रीमती इंदिरा गांधी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसार और माननीय मन्त्री जी द्वारा इस ओर सतत प्रयत्नों द्वारा जो भरपूर पैदावार हुई है, वह अपने में एक कीर्तिमान है। दाल-दलहन का भी आज उत्पादन बढ़ा है। हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में उड़द की एक नयी किस्म निकाली गयी है, जो अप्रैल में बोयी जाती है, जो आज भरपूर पैदावार दे रही है।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां एक आध पैदावार बढ़ी है, वहीं पर यदि इनका भाव भी मुनासिब किसान को दिया जाय तो किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। जिस तरह से कोयले के दाम 25 परसेन्ट और सिंचाई व अन्य चीजों के दाम 25 परसेन्ट बढ़े हैं, लेकिन वहां पर गेहूं के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दाम सिर्फ एक रु0 प्रति क्विन्टल ही बढ़ा है, इससे किसानों का कुछ भला होने वाला नहीं है। एक रु0 किसानों की पैदावार में बढ़ना बहुत कम है। इसलिए आप जरूर करें। मान्यवर, फसल होने पर भी उसके सुरक्षा की आवश्यकता होती है। मान्यवर, जहां कीड़ों से फसल की सुरक्षा की बात है, वहीं पर एक बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है, जो कि 25 प्रतिशत फसल खा जाता है, उसका नाम है चूहा। चूहों को हटाने के लिए चूहा मार दवाइयां इस्तेमाल में लायी गयी तो उनके खाने से और जंगली जानवर जैसे गीदड़, बिलाव और लोमड़ी वगैरह उसे खा कर मर गये। जमीन की तमाम जिन्स को यह खाये जा रहा है और पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे खेतों में जा कर बराबर नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि चूहा मार अभियान जोर शोर से चलाया जाय जिससे कि इसको कन्ट्रोल किया जा सके।

श्री यशपाल सिंह--

क्या चूहा मार अभियान में गीदड़, बिलाव और लोमड़ी का पालन भी जरूरी है? उसका पालन भी शुरू करा दें?

श्री अमर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि गांव में कुछ खाना-बदोश लोग जा कर ठहरते हैं, वे आम तौर से गीदड़ और लोमड़ी का शिकार करते हैं। इसलिए गीदड़ और लोमड़ी के मारने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाय।

मान्यवर, खेतो के लिए जमीन का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत बहुत भारी नदियां हैं जो कि कृषि के योग्य भूमि को बराबर काटती जा रही हैं। वहां पर नदियों के कटाव को बन्द किये जाने का प्रबन्ध किया जाय।

इसी प्रकार से कृषि यन्त्र जो कि हरियाणा से आते हैं, जो ट्रेक्टर यहां पर 55 हजार का मिलता है, वही ट्रेक्टर हरियाणा में 50 हजार का पड़ता है यह 5 हजार रु0 अतिरिक्त जो यहां पर हमें देने पड़ते हैं इसमें सीधा शुल्क इत्यादि सम्मिलित हैं। माननीय मन्त्री जी इससे किसानों को छूट दिलावें।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र जनपद सहारनपुर में जो उत्तरी भाग है, वहां जमीन तो है परन्तु वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। वहां पर वृक्ष बहुत अच्छी तरह से उपजते हैं। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि वहां पर फलदार वृक्षों की वैली तैयार करावें।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत करते समय कहा कि इस साल गेहूं की पैदावार अच्छी हुई है। वैसे अखबारों में तथा प्रेस कांफ्रेन्स में बराबर यह बात आयी कि इस साल गेहूं और अन्य फसलें अच्छी हुई हैं मन्त्री जी कहते हैं कि हमने अच्छी करा दी हैं, तो यह क्या बात कही है? वैसे बाजार देखने से भी मालूम होता है कि इस साल रेकार्ड पैदावार हुई है। लेकिन मन्त्री जी, उसमें आपका क्या है? इसका बीज तक आप शुद्ध नहीं दे पाये। बेचारा किसान कहीं से 3 1/2 रु0 के भाव से गेहूं की बीज लाया और उसे खेतों में डाला, यह किसान की ही एफर्ट थी कि जो पैदावार अच्छी हुई, उसे आप अच्छा बीज तक तो दे नहीं पाये।

दूसरी अच्छी चीज यह हो गयी भगवान की कृपा से कि दो बारिशें अच्छी हो गयीं। नहीं तो जो यह आपकी बिजली की कटौती थी कि देहात में केवल दो घंटे ही बिजली मिल रही थी तो इससे तो आप उसे सिंचाई की सुविधा न दे पाते यदि यह दो

बारिश न हुई होती। बिजली की कटौती की वजह से तो किसान अपने खेतों में पानी तक नहीं दे सकता था। तो इसमें भी आपका क्या श्रेय है? हर बात को जब हम देखते हैं तो हर साल होता यह था कि जब पछिवी हवा चलती थी और खेतों में पानी दिया जाता था तो पेड़ों की जड़ें हिल जाती थी और अगर पानी नहीं दिया जाता था, तो पानी की कमी की वजह से जड़ें सूख जाती थीं। पिछले साल की होली की आग लगने के बाद हवा नहीं चली, जिसके कारण गेहूं अच्छी तरह से पक गया और उसकी पैदावार अधिक हुई, इस साल कोई बीमारी नहीं लगी। आम तौर से तिलहन में हर साल माहू लग जाता था जिसके कारण तिलहन की पैदावार कम हो जाती थी। इस साल माहू दिखाई नहीं पड़ा। आप दलहन को ले लीजिये, दलहन अच्छा हो गया इसका कारण यह था कि अरहर की फली में जो कीड़ा पैदा हो जाता था, वह नहीं पैदा हुआ और आपकी अरहर की पैदावार अच्छी हो गई, तो आपके विभाग का इसमें क्या है। आपने बिजली दिलवा दी होती, अच्छा बीज दिलवा दिया होता और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल हो गया होता तो आपके मोहकमे का कुछ होता। आपके जो बीज के नये-नये किस्म निकालने के रिसर्च सेन्टर हैं, उसमें क्या होता है 67 में लारमा रोजा और सुनरा-64 बेसिक बीज हैं और आपके रिसर्च सेन्टर ने उन्हीं के नाम पर तरह-तरह से रिसर्च करके उनका नाम बदल कर 1553, 2276 और आर0 आर0 21 वगैरह-वगैरह नाम दिये। लारमा रोजा और सुनरा-64 की जो पैदावार 66-67 में थी उससे अधिक पैदावार आपकी दूसरी वेरायटीज की नहीं हो पायी है केवल आपने उनका नाम बदल दिया है वह बेसिक बीज में और उनके मुकाबले आपके 1553 की पैदावार नहीं है और न आर0 आर0 21 की पैदावार है, उनको आप कम्पीट नहीं कर पाये हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपका रिसर्च किस काम का है।

श्रीमन्, वही हिसाब गन्ने में भी है। आपके गन्ने के जो रिसर्च सेन्टर हैं वह गन्ने के बीज के बारे में रिसर्च नहीं कर पाये जिसकी लम्बाई अधिक हो, रिकवरी अच्छी हो और उनकी एज भी अधिक हो जिससे गन्ना नवम्बर से मई तक खड़ा रहे और उसमें कोई लास न रहे तो इसमें आपके मुहकमें का क्या है। किसी भी सूरत में इनकी कमी न हो लेकिन अगर गेहूं की पैदावार अच्छी हो गई, तो चने की पैदावार खत्म हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि आपका कोई रोटेशन नहीं है जिससे सन्तुलन बना रहे और गेहूं की कमी न हो, चने की कमी न हो गन्ने की कमी न हो। लेकिन आपने ऐसा कोई रोटेशन नहीं बनाया है, किसान उसी चीज की पैदावार करता है जिसमें वह देखता है पैसा मिलेगा और उसकी पैदावार करता है। आलू को आप देख रहे हैं, वह सड़ रहा है आप धान को देख लीजिए, बासमती पिछले साल 280 रुपये से 300 रुपये प्रति कुन्तल तक बिक गया लेकिन इस साल 230 रुपये से आगे नहीं गया। आप आलू की कीमत नहीं तय कर पाये, चावल का इन्तजाम नहीं कर पाये।

श्री यशपाल सिंह—

सेलर, तो प्राफिट पर है।

श्री रियासत हुसैन—

सेलर तो प्राफिट पर इसलिए हैं कि उनकी भूसी भट्ठे में काम आने लगी है। सल्फर प्लान्ट में काम आने लगी है, वह चावल के कारण मुनाफे पर नहीं गये हैं। श्रीमन्, दो-तीन बातें और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो आपने चना पैकेट में दिया था वह मैंने अपने एक एकड़ में उसे बोया था। मेरे भाई ने तो ऐसा किया कि जब वह चना जमा नहीं, तो उसने उसमें गेहूं बो दिया और मैंने जो बोया था, जो

उसमें खाद दिया था वह सब कीड़े खा गये। यह आपके चने की स्थिति रही। इस साल आम पर बहुत जोर के साथ बौर आई थी। इतनी बौर आई थी कि पेड़ छिप गये थे। लेकिन न मालूम कौन सी बीमारी आई कि सब खतम हो गये। न चमक आई, बारिस भी नहीं हुई लेकिन न मालूम वह बौर कहां चली गई, सब साफ हो गई।

तीसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि यदि आप नैचुरल केलमिटीज को फेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्राप इंश्योरेंस करें। रोटेशन आफ क्राप किया जाय। फसल का रोटेशन किया जाय ताकि हर चीज का संतुलन बना रहे। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि जो रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है वह आपकी कृपा से नहीं, भगवान की कृपा से हुआ है।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

*श्री सुन्दर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे माननीय कृषि मन्त्री जी जो न केवल एक सक्षम मन्त्री हैं बल्कि एक किसान भी हैं, जिनको कृषि के बारे में काफी जानकारी भी है। इनके नेतृत्व में बहुत भारी प्रगति कृषि क्षेत्र में हुई है। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और पूरे भारत-वर्ष में यहां पर खाद्यान्न के मामले में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसलिए हमारा कृषि मंत्रालय और हमारे मन्त्री जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं। ढाई साल तक जनता पार्टी का भी यहां पर शासन काल रहा लेकिन चूंकि जनता संतुष्ट नहीं थी इसलिय उसने रियासत साहब की सरकार को उखाड़ फेंका।

श्रीमन्, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमान्त कृषकों और लघु सीमान्त कृषकों को लाभ पहुंचाया गया है, खेतिहर मजदूरों ने जितनी प्रगति की है, जो रिकार्ड उत्पादन हुआ है, वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मान्यवर, इस वर्ष 6 लाख टन खाद इस कृषि विभाग के माध्यम से सीमान्त कृषकों को, लघु सीमान्त कृषकों को बांटी गई जिससे तिलहन और दलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है और किसानों को लाभ हुआ है। इससे गांवों के किसानों और काश्तकारों को यह जानकारी हुई है कि लखनऊ और दिल्ली में बैठी हुई सरकारें उनको सुविधायें दे रही हैं और उनकी तरफ सरकार का ध्यान है। श्रीमन्, आंकड़ों के अनुसार और बाजार से जो जानकारी मिलती है उससे मालूम हुआ कि इस साल आलू का बहुत उत्पादन हुआ है, गेहूं का उत्पादन हुआ है। मेरे क्षेत्र बहराइच में कैसरगंज में इस वर्ष दलहन और तिलहन की बहुत अच्छी फसल हुई है। हम आशा करते हैं कि किसानों की यह फसल खलिहानों से उनके घर तक पहुंच जायेगी।

इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के यह अनुरोध करूंगा कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य बढ़ाया जाय जिससे कि उसके उत्पादन का उसे फल मिल सके क्योंकि आज खाद महंगी हो गई है, विद्युत् महंगी हो गई है, सिंचाई के साधन बहुत कम हैं, फिर भी रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि उनके उत्पादन का मूल्य बढ़ाया जाय ताकि उन गरीबों को उसका कुछ लाभ मिल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अतिरिक्त में माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने जनपद बहराइच की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर बहराइच में गिरजापुरी में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक स्टेट फार्म है 10 हजार एकड़ का फार्म है। मान्यवर, मेरा दावा है कि वह पंत नगर में जो कृषि फार्म है उससे श्रेष्ठ वहां पर उत्पादन होता है। आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के विद्वान और प्रोफेसर वहां जाकर शोध किये हैं और उन्होंने कहा है कि यहां की उपज बहुत अच्छी है, यहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। इसलिए मेरी मांग है कि बहराइच जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय और शासन इसके लिये पहल करे। जैसा हमारे साथी का कहना है कि फैजाबाद में कृषि विश्वविद्यालय है। वह ठीक है लेकिन एक मंडल में दो कृषि विश्वविद्यालय हो सकते हैं जैसे रूस में हर जिले में कृषि विश्वविद्यालय हैं तो अगर एक मंडल में दो कृषि विश्वविद्यालय हो जायेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है।

इसके साथ-साथ हमारे घाघरा घाट में जूट बहुत पैदा होती है वहां पर एक जूट फार्म है उसको और बढ़ाया जाय और उस क्षेत्र में इसकी पैदावार बढ़ायी जाय। इसी तरह से चारे का उत्पादन भी बढ़ाया जाय। एक बात मैं वहां के कृषि अधिकारी के खिलाफ कहना चाहता हूं। यहां पर आलू के बीज का वितरण किया गया, तथा खाद का वितरण किया गया, उसमें बड़ी धांधली हुई है। वहां के जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें हैं, इसलिए उसको वहां से हटाया जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय कृषि मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज आलू की जो दुर्दशा हो रही है। वह सभी को मालूम है। आलू एक ऐसी चीज है जो हर सब्जी में खाया जाता है लेकिन उसकी दुर्दशा हो रही है, उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उसकी ठीक से व्यवस्था की जाय और किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाय तो किसानों को संकट से उबारा जा सकता है। किसानों के लिये फसल बीमा योजना बहुत अच्छी चीज है लेकिन उसे बड़े पैमाने पर लागू नहीं कर सके हैं इसलिए इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं भाषण या आलोचना न करके केवल सुझाव देना चाहूंगा। कृषि के लिए तीन चीजों की बहुत आवश्यकता है। पहली चीज अच्छे बीजों की उपलब्धता है। किसान को कितनी मात्रा में प्रमाणित बीज उपलब्ध कराते हैं यह देखने की बात है, केवल 10 फीसदी से ज्यादा बीज नहीं दे पाते हैं। इसका विस्तार किया जाय अगर प्रत्येक जिले में नहीं तो प्रत्येक मंडल में इसकी शाखायें खोल कर किसानों को प्रमाणित बीज दिये जायें और जो अग्रणीय किसान हैं उनको प्रमाणित बीज तैयार करने के लिए दिया जाय तो इससे कमी दूर हो सकती है और इससे 25 परसेन्ट फसल की पैदावार बढ़ायी जा सकती है।

दूसरी चीज खाद कृषि के लिए बहुत आवश्यक है। आज बहुत सी प्राइवेट कम्पनियां खाद तैयार कर रही हैं जिनको सरकार ने लाइसेन्स दे रखा है। बाजार में बहुत सी खाद नकली बिक रही है, भले ही आपके अधिकारी चेक करते हैं, फिर भी नकली खाद बड़े पैमाने पर बिकती है। यहां तक कि उसमें नमक और मिट्टी मिली होती है।

उसके बाद कीटनाशक दवाइयां भी बड़े पैमाने पर नकली बिक रही हैं जिससे कीड़े नहीं मरते हैं। इतने बड़े

पैमाने पर कीटनाशक दवायें बिक रही है इसको रोकने के लिए भी सरकार को बड़े पैमाने पर ध्यान देना चाहिये ।

मान्यवर, कपास, मूंगफली, जूट में आप तरक्की नहीं कर पाये हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि विभाग को इनकी पैदावार बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इनसे किसानों को कैश मिलता है और जब कैश मिलेगा तो प्रदेश की मैं समझता हूं कि समस्यायें हल होंगी और किसानों को भी फायदा होगा ।

श्रीमन्, हमारे यहां तराई बीज निगम है । मन्त्री जी कहेंगे कि यह स्वायत्तशासी संस्था है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि निगम का जो प्रमाणित बीज है वह किसानों को पूरा का पूरा नहीं मिल पाता है लेकिन बंगाल और दूसरे प्रदेशों को भेजा जाता है । इसलिये निगम का बीज प्रदेश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिये ।

मान्यवर, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि मौसम ने साथ दिया, कीड़ों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिये गेहूं और तिलहन की पैदावार बहुत अच्छी हुई हैं । इसके साथ ही इस पर किसानों ने मेहनत किया, मौसम ने साथ दिया, कृषि विभाग ने प्रयास किया और मैं समझता हूं कि 90 प्रतिशत मिनीकिट्स और फर्टीलाइजर किसानों, सीमांत और लघु किसानों तक पहुंचाया, इन सबके कारण इस बार गेहूं और तिलहन की पैदावार अच्छी हुई है । मान्यवर, इस साल चने की पैदावार भी बहुत अच्छी है, कितना होगा यह मैं नहीं कह सकता किन्तु लक्ष्य जो रखा है उस तक पहुंचने में काफी दूरी होगी लेकिन प्रयास अच्छा किया गया है । इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की फसल का जो उचित मूल्य है उसकी तरफ सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ी है जिससे लागत बढ़ी, पानी की लागत, बिजली की कीमत, खाद आदि के दाम बढ़ गये हैं उसके अनुपात में एक रुपया प्रति क्विंटल गेहूं में बढ़ाया जाना मैं समझता हूं कि इससे उनका नुकसान करना है, इसलिये कम से कम 5 रुपये प्रति क्विंटल नहीं बढ़ाते हैं तो किसान का अपमान करना है, इसलिये इस पर आप विचार करें ।

मान्यवर, आज मंडी समितियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है । हरदोई में मंडी खींचातान की वजह से नहीं बनी है और दूसरी जगहों पर भी हालत ठीक नहीं है । मान्यवर, आप मंडियों को देखें तो वह काफी दूरी पर बन रही हैं जिसका नतीजा होता है कि वहां व्यापारी नहीं जा पाता है । कुछ जगहों पर हालत है कि शहर की मंडियों में काफी खींचातानी चल रही है और मुकदमेबाजी हो रही है । मान्यवर, हमारे यहां वाराणसी में मंडी शहर में चल रही है और उसमें मुकदमेबाजी चल रही है जिसमें सुप्रीमकोर्ट तक मामला चला गया, नतीजा है कि वह मंडी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है । बहुत सी जगहों पर मंडियों में खींचातानी के कारण, जैसे हरदोई में, वह नहीं बन पा रही हैं, इसलिये इस पर विचार करने की जरूरत है ।

मान्यवर, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि विपणन की व्यवस्था की ओर भी आप ध्यान दें चूंकि विपणन की व्यवस्था ठीक नहीं है ।

मान्यवर, हमारे विधान सभा के मेनगेट के सामने आपके विभाग के कर्मचारी, एक सज्जन तो चोंगा सन्यासियों का पहने हैं, जो अग्निदाह में जा रहे थे, कई महीने से कर्मचारी अनशन कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगें हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इनकी मांगों में यदि वित्तीय बात न इन्वाल्व हो तो उनकी मांगों को मानने में क्या कठिनाई है ?

यह जो मर रहे हैं, आपके ग्रुप 3 व 2 के कर्मचारी, आप इन कर्मचारियों की मांगें मान लीजिए । मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए

कृषि विभाग ने जो काम किया है उसका भी धन्यवाद देता हूं ।

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक समझता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनको जो उर्वरक देते हैं, उसकी कीमत आप इतनी अधिक लेते हैं कि उसका वह लाभ नहीं उठा पाते हैं । इसलिए यदि आप उसको यह कम करके दें तो मैं समझता हूं उसका वहां का उत्पादन बढ़ेगा । मैं आपके माध्यम से इस ओर भी मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो फलों के बगीचे हैं, वह ऐसी हालत में हो चुके हैं कि वह बिलकुल जर्जर हो गये हैं । आपका हार्टीकल्चर विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है । नई-नई बीमारियों से वह बगीचे लगभग समाप्त हो रहे हैं । दैवी प्रकोप से भी वह बहुत क्षतिग्रस्त हो गये हैं और बराबर होते रहते हैं ।

लगभग पिछले 3 साल से बराबर ओले गिरने से वहां के फल उत्पादकों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय और शोचनीय हो गयी है । पर्वतीय क्षेत्र में जो आलू तथा दूसरी सब्जियां पैदा होती हैं, वह ऐसे मौसम में होती हैं जब मैदानी भाग में उसकी पैदावार नहीं होती है । यदि उसकी मार्केटिंग का उचित प्रबन्ध हो, जैसा मन्त्री जी ने बताया है कि हम मैदानी भाग में आलू के विपणन का प्रबन्ध कर रहे हैं वैसे ही यदि वहां के आलू उत्पादकों और सब्जी उत्पादकों के लिए व्यवस्था हो जाए तो वहां के उत्पादकों को बड़ी राहत मिल जाएगी । पर्वतीय क्षेत्र के जो बागान हैं, उनके इश्योरेंश का प्रबन्ध किया जाए, उससे ओले से जो नुकसान होता है, उसमें राहत मिल सकेगी ।

साथ ही आपसे यह भी प्रार्थना है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो खाद और बीज दी जाती है, उसकी लागत भी बहुत ज्यादा है । इसके जो स्टोर हैं वह बहुत दूर-दूर हैं ।

जिससे वहां के छोटे-छोटे किसानों को समुचित लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है । अतः मैं आग्रह करूंगा कि वह हर पंचायत सर्किल में एक छोटा बीज गोदाम खोलें, ताकि वहां के किसानों को राहत मिल सके और उनके आर्थिक साधन ठीक हो सकें । मैं इन शब्दों के साथ मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करते हुए यह आशा करता हूं कि जहां पर उत्पादन में वृद्धि हुई है उसके लिए विपक्ष द्वारा उसको धन्यवाद दिया जाना चाहिए था ।

(व्यवधान)

श्री रेवतीरमण सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं अभी कृषि मन्त्री ने बड़े विस्तार से पूरे प्रदेश के बारे में बताया कि उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन हकीकत में यदि देखें तो स्थिति यह है, क्या उस अनुपात में उत्पादन बढ़ा है, जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था । कांग्रेस सरकार की जो दृष्टि है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा । लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें यह प्रस्ताव पास हुआ था कि आजादी के बाद कृषि को उद्योग माना जायेगा, लेकिन उसके विपरी आज 37 साल की आजादी के बाद भी, कृषि को उद्योग मानने की बात कौन कहे, कृषि के लिये कृषकों को जो सुविधायें मिलना चाहिये, वह तक नहीं मिल पा रही हैं और उसी का नतीजा यह है कि प्रदेश का किसान आज गरीबी और गुर्बत में है । आज किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को समर्थन मूल्य तक दिलवाने में यह सरकार सफल नहीं हुई है। गेहूं का भाव पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल एक रुपया बढ़ा दिया, इसके लिये बड़ा ढिंडोरा किसान के हित का यह सरकार पीट रही है। इसके विपरीत आज फैक्टरी में उत्पादित वस्तुओं के दाम, चाहे चीनी को ले लीजिये, चाहे कपड़े को ले लीजिये, चाहे दवाओं को ले लीजिये, जूतों को ले लीजिये, किसी भी चीज को ले लें, हर चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं। जहां किसान का सवाल आता है, वहां एक रुपया बढ़ाया जाता है।

मान्यवर, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो केन्द्रीय सरकार का बना हुआ है, उसे समाप्त करके, प्रदेश की सरकार को अपना एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाना चाहिये। अगर यह सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, तो उसे केन्द्रीय सरकार को इसके लिये लिखना चाहिये। एक दो माह पहले अरहर की दाल 8 रुपये किलो बिक रही थी, सरसों का तेल 24 रुपये किलो बिक रहा था, मोटा चावल 4-5 रुपये किलो बिक रहा था, मगर वह सब मुनाफा किसको मिल रहा था? क्या वह किसान की जेब में जा रहा था? जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिये हैं, अगर मान्यवर, यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जायेगा क्योंकि आज किसान को उसकी आवश्यकतानुसार न तो हम पानी दे पा रहे हैं और अन्य सुविधायें दे पा रहे हैं। जिस अनुपात में बिजली, पानी, खाद और बीज आदि के दाम बढ़े हैं, उसी अनुपात में उसकी उपज के दाम नहीं बढ़े हैं। आज गेहूं को ही ले लीजिये, 145-150 रुपये क्विन्टल की लागत किसान की आ रही है। जो भाव आप उसे दे रहे हैं उसमें तो उसकी मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। आज चाहे आलू हो या गेहूं हो, दोनों में ही किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

एक बात हार्टिकल्चर के बारे में मैं कहना चाहूंगा। इसको जिस प्रकार से हिमांचल प्रदेश की सरकार ने एक उद्योग माना है उसी प्रकार से जब तक हमारी सरकार उसे उद्योग नहीं मानेगी, तब तक यह विभाग तरक्की नहीं कर सकता और कृषकों का भला नहीं होगा। हिमांचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है। सेब का रस उसके यहां का हिन्दुस्तान के हर कोने में बिकता हुआ पाया जायेगा। उसी प्रकार से हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र में जहां इसका उत्पादन होता है, जहां आड़ू तथा अन्य फलों का उत्पादन होता है, उसकी बिक्री का कोई इन्तजाम नहीं है। वहां पर इन फलों में लगने वाले कीड़ों से फसल को बचाने का इन्तजाम हम नहीं कर पा रहे हैं।

आपने बताया कि एग्रो से इस वर्ष 35 लाख का मुनाफा हुआ है, वह मुनाफा देखने मात्र का है। आप उसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले फलों के रस आदि की बिक्री का प्रबन्ध कराइये। आप इसके द्वारा बन्द डिब्बों में जो रस बिकवाते हैं उसे कोई लेता नहीं है सरकारी खर्चे पर, कहीं मीटिंग हो या कोई दफ्तर हो उसके अलावा कहीं पर उसका वितरण नहीं होता है। कहीं पर वह बेचा नहीं जा सकता है क्योंकि उस जूस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पड़तावल बाजार, गोरखपुर में मंडी समिति के लिये जमीन ली गयी थी। 10 वर्ष हो गये हैं लेकिन मंडी समिति नहीं बनी है। कुछ प्रभावशाली लोग उसको कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं पर प्लांट प्रोसेसिंग सेंटर नहीं हैं। इसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छे बीज नहीं मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम इस बजट में घोषणा करें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2-3 जगहों पर प्लांट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की

जायेगी जिससे किसानों को राहत मिल सके ।

*श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । इस देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के बजट पर आपने बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं मैं धन्यवाद अपनी सरकार को, भारत सरकार को, कृषि विभाग और उन वैज्ञानिकों को देता हूं जिन्होंने कृषि के सम्बन्ध में हमारे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया है । आज से 25–30 साल पहले हमारे गरीब समाज के लोग चोकर, सड़ा–गला अनाज खाते थे । मैं भी भुक्त भोगी हूं । लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी खोज की है । नयी नयी उन्नतशील बीजों की किस्में निकाली गयी हैं । इनको हमारी भारत सरकार ने, हमारे प्रदेश की सरकार ने और कृषि मंत्री जी ने मंगाकर वितरित कराया है जिससे पैदावार बढ़ी है और हम लोग कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं ।

मान्यवर, कभी–कभी दैवी आपदाओं के कारण, जैसे ओला वृष्टि, सूखा बरसात, बाढ़ से हमारी पैदावार घट जाती है तो उस स्थिति में हमारे प्रदेश की सरकार ने दूर–दूर से अन्न मंगाकर, बीज और खाद मंगाकर जनता को उपलब्ध कराया है जिससे खेती में आशातीत सफलता मिली है । मैं बतलाना चाहता हूं कि 1983–84 में 274 लाख टन उत्पादन हुआ है । इसी प्रकार से हमारी सरकार ने चावल, के उत्पादन को भी बढ़ाया है । हमारी सरकार ने नये–नये उर्वरक, उन्नतशील बीज और खाद का प्रदर्शन किया है ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शासन की नीति और मंशा प्रदेश की जनता को विकास की ओर ले जाने की है और हम आगे बढ़े हैं । हमारी सरकार की मंशा, कृषि मंत्री की मंशा प्रदेश का विकास करने की है । वह जितने ही सीधे साधे हैं उतने ही काम में तेज हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपको आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है । हमारा जैसा वातावरण है, गर्मी, बरसात, जाड़ा, ओला, पाला पड़ने के कारण उत्पादन घटा है, तो इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिये । मैं धन्यवाद देता हूं कृषि मंत्री जी को कि उन्होंने ऊसर सुधार करके हमारे जनपद बलिया को बड़ा लाभ पहुंचाया है । इसी तरह से बहराइच, लखीमपुर, देवरिया आदि जिलों में ऊसर भूमि को खेती योग्य भूमि बनाकर लाखों लोगों को खेती करने का अवसर दिया गया है । मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । आलू के बीज भेजने में हमारे जनपद में पिछले साल कुछ देरी हो गयी थी तो अब समय से बीज पहुंचाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है । हमारे क्षेत्र में बीज गोदामों की आवश्यकता है । कम से कम 16 बीज गोदाम वहां बनाने की आवश्यकता है ।

हमारे यहां रसड़ा तहसील में बहुत सी जमीन ऊसर है । काफी जमीन पर ऊसर और रेह है उसको सुधारने के लिये एक स्कीम वहां पर लागू की जाय । विश्व बैंक से वहां पर राजकीय ट्यूबवेल दिलाये जायं । मान्यवर, कृषि विश्वविद्यालय की मैं वहां पर बहुत दिनों से मांग कर रहा हूं । हमारे जनपद बलिया में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिये वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय । मान्यवर, कृषि विश्वविद्यालय की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थापना हमारे जनपद बलिया में कृषि की उन्नति के लिए किया जाय और राजकीय कृषि विद्यालय, कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए रसड़ा तहसील मुख्यालय या बलिया में स्थापित किया जाय। नई-नई उन्नतिशील बीज की किस्मों तथा मिनी किट प्रदर्शन और बढ़ाया जाय, समय से खाद, बीज, रसायन, उर्वरक, कीट नाशक पदार्थ रसड़ा, बलिया में भेजा जाय। आलू का उन्नतशील बीज रसड़ा, बलिया को समय से शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। फैजाबाद विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कृषि यंत्र और औजार की ब्रांच (शाखा) ब्लाक रतनपुरा या रसड़ा ब्लाक में शीघ्र खोला जाय। रसड़ा में शीतगृह की स्थापना की जाय। कृषि की पढ़ाई पर काफी जोर दिया जाय। मेरे क्षेत्र में जो 16 बीज गोदाम स्वीकृत हैं, उनका शीघ्र निर्माण कराया जाय। भूमि संरक्षण विभाग पर जोर देकर अधिक बजट बढ़ाकर भूमि सुरक्षा तथा ऊसर सुधार, दीमक सुधार स्कीम को लागू किया जाय। तहसील रसड़ा के रतनपुरा, सियर नगरा, ब्लाक व रसड़ा ब्लाक में सामूहिक फसल जीवन बीमा स्कीम लागू किया जाय। मिनी ट्रैक्टर का कारखाना रतनपुरा में खोला जाय। कृषि सेवा केन्द्र, रतनपुरा तथा भीमपुरा में स्थायी रूप में खोलने की कृपा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जयहिन्द।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मान्यवर, इस मौके पर मैं आपको अल्लामा इकबाल के दो शेर सुनाना चाहूंगा—

"उठो मेरी दुनियां के गरीबों को जगा दो,
काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो।
जिस खेत से दहकां को मयस्सर ना हो रोजी,
उस खेत के हर गोशए गन्दुम को जला दो।"

मान्यवर, शायद हम जिस 80 फीसदी काश्तकार की बात कर रहे हैं, यह वह काश्तकार नहीं है जो मोटरों में चलता हो, एयर कंडीशन्ड कोठियों में रहता हो, बल्कि हम उस काश्तकार की बात कर रहे हैं, जो गरीबी की सतह से बहुत नीचे रहता है, मैं उस काश्तकार की बात कर रहा हूं जो जमीन में हल चलाता है और अगर बैल न हो, तो उस हल में वह खुद ही बैल की जगह जुत जाता है और जब इस जमीन पर आसमान का रहम नहीं होता, तो फिर इस जमीन पर उसके खून से बने हुए पसीने की बूंद बीज पर गिरती है, तो अन्न पैदा होता है। मैं उस काश्तकार की बात करता हूं जो अन्न तो पैदा करता है, लेकिन खुद भूखा रहता है, मैं उस काश्तकार की बात करता हूं जो आज की पद्धति और हमारे इस जम्हूरी निजाम का मारा हुआ है, जिसके पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और सर छिपाने को झोपड़ी नहीं है।

इस वक्त हमारी यह पद्धति दो हिस्सों में बंटी हुई है, एक वह जिसे हम काश्तकार कहते हैं, जिसका कोई रिश्ता या ताल्लुक मंत्री जी से नहीं है, इसलिए कि उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं है, उसके जिस्म से बू आती है, उसके पैरों में टूटे चप्पल तक नहीं हैं। दूसरा जिसे हम फारमर कहते हैं वह, जिसके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, एयर कंडीशन्ड कोठियां हैं, सवारियों के लिए मोटरें हैं, इस फारमर की पहुंच मंत्री जी तक है और यही वजह है कि जो भी आसानी दी जाती है, वह काश्तकार को नहीं, वह फारमर को दी जाती है। वह काश्तकार जो जरूरियात जिन्दगी से महरूम है, जिसके पास दवा के लिए पैसा नहीं है, जिसकी बीबी बीमार हो, तो उसके लिए राहत की कोई राह नहीं है, वह खुद अपाहिज हो जाय, तो उसकी जिन्दगी और उसके घर वालों के गुजारे की कोई राह नहीं है, मैं उस काश्तकार की बात करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

असल में मंत्री जी तक काश्तकार की बुनियादी जरूरियातें नहीं पहुंच पाती मिसाल के तौर पर जब काश्तकार को बीज महंगा मिलेगा, खाद महंगी मिलेगी, दवाई महंगी मिलेगी और वक्त पर पानी नहीं मिलेगा, तो फिर यह गरीब काश्तकार जिसके सहारे पूरे सरकार की इमारत खड़ी हुई है, कैसे जिन्दा रहेगा ? आप काश्तकार को वक्त पर पानी नहीं दे सके, नहरों ने अपना काम नहीं किया। इस वक्त कुदरत ने काश्तकार पर रहम किया और बारिश हुई। अब मंत्री जी यह बतायें कि इसमें सरकार या शासन का कौन सा ऐसा सहयोग रहा जिसका श्रेय लेने के लिए मंत्री जी ने बजट पेश किया, फिर किस तरह से मंत्री जी इस साल की अच्छी फसल की पैदावार के लिए कहेंगे कि उनकी वजह से हुई।

हमारे दोस्त बैठे हैं गेहूं पर भाषण करने वाले हैं। आज सदन में गेहूं और आलू का मसला काफी जोरों से चला। मेरे शहर में आलू के काश्तकारों का बुरा हाल है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा था अभी तक 25 फीसदी कोल्ड स्टोरेज खाली हैं और गरीब काश्तकार एक-एक दाना आलू के लिए रोता फिर रहा है। यह कोल्ड स्टोरेज किसने किसलिए खाली रखे हैं यह कोल्ड स्टोरेज इसलिए खाली हैं कि जब आलू की कीमत जरूरत से ज्यादा कम हो जाये दस बीस रुपये कुन्तल आलू देने पर काश्तकार मजबूर हो जाये तब ये पूंजीपति गरीब का खून पीने के लिए इस 25% खाली कोल्ड स्टोरेज को भरेगा।

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं आपने कौन सा अंकुश लगाया ? कौन सा तरीका अख्तियार किया ? कहां और कितने छापे मारे ? मान्यवर, मैं उन काश्तकारों की बात नहीं कर रहा हूं जो पूंजीपति हैं बल्कि उसकी बात कर रहा हूं जिसके पास सिर्फ 10 बोरी आलू है, उसके लिए क्या व्यवस्था की है आपने ? क्या किया आपने उन काश्तकारों के लिए ? काश्तकारों की आप दुहाई तो देते हैं, लेकिन मान्यवर, यही काश्तकार जिसकी हम दुहाई देते हैं, अपनी खुद्दारी को बेचकर, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर अपने आलू कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए पैर पकड़ कर रोते अपनी आंखों से देखा है। मान्यवर, कैसा है आपका निजाम आपका प्रशासन ? मंत्री जी बैठे हुए हैं यह तकदीर पर बहुत भरोसा करते हैं। फसल अच्छी हो जाए तो तकदीर से, बुरी हो जाए तो तकदीर से। इस सिलसिले में एक शेर अर्ज करूंगा —

इसी दिन के लिए तकदीर
ने चुनवाए थे तिनके
बन जाए नशेमन तो कोई
आग लगा दे ॥

मेरा यकीन है यह सरकार काश्तकारों को किसी प्रकार की राहत नहीं दे पा रही है। वो सरकार जो दुश्मन हो, काश्तकार की, दुश्मन हो, गरीब की, मजदूर की, मेहनतकश की, उसकी खोखली बुनियादों पर खड़ी इमारत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकती। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव की हिमायत करता हूं और बजट की जोरदार मजम्मत करता हूं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आजम खां साहब को एक शेर सुनाना चाहता हूं—

चर्ख पे बिजलियां जद्ये है आशियां
ये कफस है ये दाम है ये
दाना।

साजिशे बागवां को समझता हूं
मैं, आशियां की हिफाजत
मेरा काम है।

मान्यवर, आपने समय नहीं दिया, इसलिए और कुछ न कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[समय 4 बजकर 55 मिनट]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984†

*श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1984 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह सरकार अध्यादेशों की सरकार हो गई है । क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक अध्यादेश तीन बार हुआ । श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने तीन बार इस अध्यादेश को लागू किया था । उसके बाद दो-दो बार विधान सभा की बैठकें हुई लेकिन यह सरकार उन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पास नहीं कर पायी और पुनः दूसरी बार राज्यपाल को अध्यादेश करना पड़ा ।

यह सरकार अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए अध्यादेशों पर अध्यादेश राज्यपाल से लागू कराती जा रही है । मान्यवर, इस अध्यादेश में मुख्य मुद्दा जो है सहकारी समितियों ने जिन्हें प्रशासन नियुक्त करता है वे प्रशासक भी कोआप्शन के चुनाव में भाग लेंगे । श्रीमन्, इससे बड़ा अलोकतांत्रिक तरीका और क्या हो सकता है । अगर ये सहकारी समितियों का चुनाव कराए होते, चुने हुए सदस्य आ गए होते तो सहकारी समितियों को यह कोआप्शन में वोट देने की बात समझ में आती । लेकिन, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने दलालों और अपने चमचों को प्रशासक बना करके कोआप्शन में वोट दिलवाने का काम कराने के लिए यह अध्यादेश लाए हैं ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं और कहते भी हैं कि आप इस देश और प्रदेश को जनतांत्रिक तरीके से रखना चाहते हैं तो जनतांत्रिक तरीके से चुनाव भी कराने चाहिये । कौन सी ऐसी बात है कि जिला परिषद् के चुनाव आज तक नहीं हो पाए । क्षेत्र समितियों, ब्लाक प्रमुखों के चुनाव हुए, जिला परिषदों के चुनाव हुए, लेकिन जिला परिषद् का गठन आज तक नहीं हो पाया । सबसे पहले इन्होंने 3 लोगों का कोआप्शन में प्राविधान किया था, लेकिन अब उन तीन लोगों के बजाय दो और लोगों को कोआप्शन में लेने की बात अध्यादेश में कही गई है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों को इस तरह दो और लोगों का जिला परिषद् में अनुमेलन करने का कार्य किया जायगा । इसमें दिया है कि कौन से लोग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी माने जायेंगे, इसमें कहा गया है कि जो फरार घोषित होंगे, उनको भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी मानेंगे । फरार घोषित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को प्रमाणित कौन करेगा । इनके दो एम0 एल0 ए0 या भूतपूर्व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जिसको प्रमाणित कर देंगे कि ये फरार थे, हमारे समय में, उस आदमी को अनुमेलित कर लेंगे ।

यह जो अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया है, इसलिए अपनाया है कि जो कांग्रेस के बेरोजगार लोग हैं, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग न लिया हो और न आजादी की लड़ाई में लड़ा हो, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी के जो

---

†दिनांक 6 मार्च, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधायक भूतपूर्व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी प्रमाणित कर देंगे कि उस समय फरार थे, ऐसे लोगों को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट में रखेंगे और उनका अनुमेलन करने का काम करेंगे। इस तरह से इन्होंने अपनी पार्टी के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का नया तरीका अपनाया है और उस नये तरीके के माध्यम से अध्यादेश ले आए हैं और विधेयक के रूप में पास करवाना चाहते हैं।

इस तरह से जिला परिषद् का पूरा विधिवत गठन न करके आज तक जिला परिषद् के काम में जो बाधा पड़ी है, उसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है। आज देख लीजिए जिला परिषद् जन-प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं गई है। क्या फायदा हुआ चुनाव कराने का और क्या फायदा हुआ क्षेत्र समितियों के गठन का? अधिकारी तो अपने इन्टरेस्ट में काम करते हैं, जन-प्रतिनिधि जनता के हित में काम करते हैं। जनता के हित को देखकर काम करते हैं। उनके कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं। जन-प्रतिनिधियों के हाथ में जिला परिषद् नहीं जायगा तो कोई काम नहीं हो सकेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को वापस लीजिए और इसकी जो खामियां हैं, जो दो लोगों को बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की दिशा में ये जो विधेयक पास कराना चाहते हैं, इसको वापस लें। ये जन-हित के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। ये तुरन्त जिला परिषद् के चुनाव करावें। क्या बाधायें हैं जिला परिषद् के चुनाव कराने में? इससे जनता में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। 40 सूत्री कार्यक्रम में जो ये जिला समितियां बनी हैं, जिला परिषद् का गठन न करके, जिलाधिकारी इसके चेयरमैन हैं और जिलाधिकारी और परियोजना अधिकारी दोनों के माध्यम से पूरे प्रदेश में विकास का कार्य हो रहा है। विकास के कार्यों में लूट-खसोट मची है। सड़कें जो पास करते हैं, ये कमेटी आज तक उनका काम पूरा नहीं करा पा रही हैं। मैं अपने जनपद की बात बताऊं। बलिया जनपद में चिलकहा ब्लाक, पन्दा ब्लाक और नगरा ब्लाक के लिए जितनी सड़कों को कमेटी ने पास किया था, परियोजना अधिकारी की धांधली के कारण अभी तक भी वे सड़कें पूरी नहीं हो पायी हैं। यही नहीं, जगह-जगह पर बैरियर लगाकर अधिकारी लोग पैसा वसूलते हैं और उस पैसे को वह खजाने में जमा नहीं करते हैं अपितु अपनी-अपनी जेबों को भरते हैं और यह सारा का सारा पैसा जनहित के कार्यों में खर्च नहीं किया जाता है। यह सब इसलिए हो रहा है कि जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और आज आप इस विधेयक को इस आदरणीय सदन से पास करवाना चाहते हैं। यदि आप जनहित के कार्यों को चाहते हैं और लोगों का हित चाहते हैं तो जिला परिषद् के चुनाव जल्दी करवायें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री राम सजीवन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस संशोधित विधेयक के अन्तर्गत क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषद् में जो सहकारी समितियों से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उन्हें अनुमेलन में मतदान करने का अधिकार नहीं है इसलिए इस विधेयक के माध्यम से जो प्रतिनिधि क्षेत्र समितियों से चुनकर आते हैं, उन्हें अनुमेलन में मतदान देने के अधिकार का प्राविधान किया गया है। साथ ही मान्यवर, जितने भी सरकारी संगठन हैं और वहां पर जहां अध्यक्ष

नहीं हैं, प्रशासक हैं, उनको भी प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देने का प्राविधान किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक, जिनका इस देश की रक्षा और देश को आजादी दिलाने में अच्छी भूमिका रही है, उनको भी जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व देने का अधिकार हेतु सरकार की ओर से उनके नाम निर्देशन करने हेतु भी प्राविधान किया गया है। इसीलिए हम यह विधेयक पेश कर रहे हैं। इसकी स्वीकृति पर हमको कार्य करने में मदद मिलेगी। माननीय सदस्य ने चुनाव की बात कही। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चुनाव के लिए ही हमारा यह एक कदम है। हमारे विधेयक में जो खामियां रह गई थीं, उनको संशोधित कर हम चुनाव करा सकें, इसलिए यह विधेयक यहां पर लाया गया है।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय मंत्री जी ने दो बातें कहीं। एक तो यह कि जो काआपरेटिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें अनुमेलन में वोटर की हैसियत से मतदान देने का अधिकार का प्राविधान किया गया है और दूसरा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और एक्स सर्विस मैन को भी नाम निर्देशन करने का प्राविधान किया गया है। माननीय मंत्री जी का आबजेक्ट और आइडिया अच्छा है, लेकिन वह एक भोंडे तरीके से किसी को सम्मान देना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी यह कहते कि जब कोआप्शन होगा तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक एक्स सर्विस मैन को भी कोआप्ट किया जायेगा, जिला परिषद् के मेम्बर के रूप में। इसमें कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए उसमें कोई नान-सैनिक या नान-फ्रीडम फाइटर नहीं जा सकते, तो बजाय नामिनेटेड करने के, अगर कोआप्शन की बात कर दें तो उन्हीं में से लोग जाते और उसमें कोई ज्यादा आपत्ति की बात नहीं होती अगर आप आनर देना चाहते हैं भू0 पू0 सैनिक को या फ्रीडम फाइटर को। लेकिन इस वक्त आप बड़े भोंड़ेपन से यह कर रहे हैं। तीन व्यक्ति आपके नामिनेटेड हैं। जैसे एक वक्त यह चला था कि 19 आदमी नामिनेटेड होंगे, फिर उसमें काफी विवाद चला, तो उस 19 आदमियों की बात को राइट आफ करके 5 आदमियों की बात आयी। तो इसमें अब जो आप पांच कर रहे हैं, तीन तो सोशल व्यक्ति हो गये, इसमें दो फ्रीडम फाइटर और भू0 पू0 सैनिक में से करने हैं। मैं इसमें जो प्रस्ताव कर रहा हूं कि आप इसे एक महीने के लिए प्रवर समिति में भेज दें, ताकि वहां तमाम बातों पर विचार हो सके।

श्रीमन्, आप देखते हैं कि कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं, जिनको केन्द्र की पेंशन मिल रही है, लेकिन आपके सूबे की पेंशन उसको नहीं दी जा रही है। केन्द्र वाली उस कैटेगरी में आते हैं और केन्द्र से जो मिलती है उसके वह हकदार हो जाते हैं, लेकिन आपके सूबे में जब वह आते हैं, तो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं और आप उन्हें सूबे की पेंशन नहीं दे पाते हैं। कई बार मैंने इसकी बाबत ध्यान आकृष्ट किया है कि जब केन्द्र ने किसी को फ्रीडम फाइटर मान लिया और केन्द्र से उसको पेंशन मिल रही है, तो उसमें बहुत अधिक जानकारी की क्या आवश्यकता है। आप छोटी-छोटी चीज निकाल लेते हैं, उस आधार पर कह देते हैं कि सूबे की पेंशन का वह हकदार नहीं है, लिहाजा सूबे को नहीं दे रहे हैं। बहुत से केसेज आपके यहां ऐसे पेंडिंग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़े हुए जिनको केन्द्र से तो पेंशन मिलती है लेकिन सूबे की पेंशन के वह योग्य नहीं हैं, उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन होगा, यह भी देखना होगा? भूतपूर्व सैनिक का भी एक थोड़ा समय है कि किस वक्त का जो मिलेट्रीमैन होगा, उसको भू0 पू0 सैनिक मानेंगे? वह भी एक विचारणीय विषय है। क्या आप उसको मानेंगे, आई0 एन0 ए0 में जो गये हैं या दूसरी तरफ उनको मानेंगे जो आई0 एम0 ए0 वालों से लड़े थे। एक बड़ा देश की आजादी का प्रश्न था और उस वक्त के ऊपर कुछ लोग ऐसे थे, जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई चल रही थी, तो जो देश की आजादी की बाबत बात थी और यहां तक कि हमारे कुछ राष्ट्र नेता थे, उन्होंने ऐसे वक्त कहा था कि हिन्दुस्तान के लोग फौज में भर्ती न हों। यह कुछ लोगों की बात थी और, कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जो कह रहे थे सहायता के लिए फौज में भर्ती हों। इसलिए एक विचार हो जाय कि भूतपूर्व सैनिक किसको मानेंगे किसको उस श्रेणी में आना चाहिए। वह प्रवर समिति में निष्पक्ष रूप से विचार करने के बाद कि फ्रीडम फाइटर कौन हो भू0 पू0 सैनिक कौन हो तो इसमें कोई बात करें जिला परिषद् में लेने की ताकि वह विकास में योगदान कर सके और उनकी राय से लाभान्वित हो सकें। इस वजह से भी कि जो आपने एडमिनिस्ट्रेटर दिये, एडमिनिस्ट्रेटर बनाये हैं, आपने कंज्युमर सोसाइटीज के बनाये हैं, बैंकों के बनाये और आपने फेडरेशन के बनाये। इनको क्या दिया? यह केवल वोट देने के परपज के लिए थे किसी प्रकार का अधिकार उनको नहीं है। वोटिंग के वक्त जल्दी से जल्द बना लिए, क्योंकि वोट लेना था इसलिए कर दिया नामिनेट यहां से।

अब उनके सामने समस्या है, वह शक्तिशाली हैं नहीं सारे अधिकार ए0 आर0 के पास हैं। इसलिए इस चीज की क्या परिधि होगी, क्या स्रोत होगा इसको प्रवर समिति में जाने दें जो इसको तय करें। इसके तो आप आदी हो गये हैं और आर्डिनेंस पूरी तरह से चल रहा ही है और ऐक्ट बनाने की जो बात है, 6 हफ्ता खतम हो जाता है, तो फिर एक दफा आर्डिनेंस आ जायेगा। जब तक इसकी मार्टेलिटी की बात नहीं है, तब तक तो आपका चलता ही रहेगा। इसलिए जो मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं, उस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, उसका विरोध करना चाहता हूं। विरोध इसलिए नहीं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिकों को जिला परिषदों में स्थान न मिले बल्कि इसलिए विरोध कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिला परिषद् में स्थान दिया जाय लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे दिया जाय। जिला परिषदों के चुनाव अभी सरकार नहीं करा पायी, सरकार के दिल में आशंका है कि शायद बहुमत न मिल पाये और वह अपना चेयरमैन न बना पाये और कुछ जिले उनके हाथ से निकल जायं। इसलिए उनके दिल में है कि कुछ सदस्यों को नामजद किया जाय और बहुमत बनाया जाय। शुरू में आर्डिनेंस आया जिसमें 19 आदमियों को नामजद करने की बात कही गई थी सभी विरोधी दलों ने एक राय हो कर विरोध किया और मुख्य मंत्री जी के निवास पर धरना दिया। उन्होंने वादा किया कि इस अर्डीनेन्स को वापस ले लेंगे, उन्होंने वायदे के मुताबिक वापस ले लिया।

अब इसमें दो समस्यों को नामजद करने की बात कही गई है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक भूतपूर्व सैनिक। जब जिला परिषद् बनेगी तो वह जो चुनकर आये हैं, वे होंगे और जिला परिषद् के सदस्य सरकार द्वारा जो 5 नामजद किये जायेंगे वे होंगे और विधान सभा और संसद के सदस्य मिलकर जिला परिषद् बनायेंगे और अनुमेलन करेंगे महिलाओं

का और हरिजनों का। अगर दो सदस्य नामजद कर देंगे तो अनुमेलन का अधिकार मिल जायगा। अपनी स्ट्रेन्थ में दो का और इजाफा करना चाहते हैं। जैसे महिलाओं और हरिजनों का अनुमेलन कर रहे हैं क्यों नहीं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक का अनुमेलन कर लेते, वे अनुमेलन से आ जाते। आप पूरी तरह से मजबूती नहीं देखते हैं कि अनुमेलन करने में आपके आदमी आ पायें या नहीं। अनुमेलन करके अपना स्थान बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका बहुमत हो सके। मैं इसका विरोध करता हूं और इसीलिए खड़ा हुआ हूं। माननीय रियासत हुसैन ने जो प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति का, उसका समर्थन करता हूं ताकि प्रवर समिति में जाय और ठंडे दिल से सोचा जाय और आवश्यक संशोधन किये जायं।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 को जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संक्षेप में एक बात पर एतराज करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों ने और विषयों पर प्रकाश डाला है, अगर सरकार इस बात पर राजी हो जाय तो हमें कोई एतराज नहीं है कि जो नामजद सदस्य हों, उनको मत देने का अधिकार न हो। बोलने का अधिकार हो, लेकिन मत देने का अधिकार न हो। सरकार ने हिन्दी का ऐसा फायदा उठाया है इस विधेयक में कि धारा 18 का जो संशोधन किया है उसमें लिखा है—"पांच से अनधिक उतने व्यक्ति जितने विनिर्दिष्ट किये जायें, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चुना जायगा....।" इसमें "राज्य सरकार द्वारा चुना जायगा" भ्रम पैदा करता है। अंग्रेजी में तो "सेलेक्ट" और "इलेक्ट" अलग-अलग हैं। उन्होंने समझा कि हम चुनेंगे और यह सदन गुमराह हो जायगा कि चुने हुए व्यक्ति हैं, इसलिये मत देने का भी अधिकार होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो काफी विद्वान हैं और माननीय मंत्री जी स्वयं विद्वान हैं, हम सेहत कर दें कि जो आदमी चुना हुआ नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, जिस प्रकार से चाहे वह राज्य सभा का हो, लोक सभा या विधान सभा कहीं का भी नामजद आदमी हो, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर सचमुच आप इनका भला चाहते हैं और यह चाहते हैं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी व भूतपूर्व सैनिक को सम्मान मिले और उसकी राय आए, उससे हमें कोई विरोध नहीं है बशर्ते कि आप उन्हें वोट देने का अधिकार न दें तो हमें कोई विरोध नहीं है यदि आप ऐसे लोगों का अनुमेलन नहीं करेंगे, इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वाकई सरकार इनके साथ कोई तिकड़म नहीं करना चाहती और इनको एक मौका देना चाहती है सेवा करने का देश की तो भी हमें कोई एतराज नहीं है और अगर जनतन्त्र की परम्पराओं को अक्षुण्य रखना आप चाहते हैं, तो उन्हें मतदान का अधिकार न देकर केवल उन्हें अनुमेलित कर लें, तो इससे जनतंत्र की रक्षा भी हो जायेगी और उन्हें अधिकार भी मिल जायेंगे, अगर ऐसा करने पर सरकार राजी है तो मैं बैठ जाऊंगा, बस सिर्फ इतना अवश्य स्पष्ट कर दें कि इन्हें किसी तरह का मतदान का हक न होगा जब कि विकास खंड में या परिषद् में कोई राय ली जाती है, अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो यह जनतंत्र की परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत होगा।

श्री अध्यक्ष--

डा० कौशल साहब आप जीभ निकाल कर क्यों हंस रहे हैं, कहीं हंसने में जीभ भी निकाली जाती है।

(हंसी)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

तो मान्यवर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं यह जो आपने शब्द लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा चुनकर आयेंगे यह शब्द हटा दीजिए, इससे शंका उत्पन्न होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहूंगा कि इसको आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि वह अपना मत दे और स्थिति स्पष्ट होकर सामने आ सके।

श्री अध्यक्ष--

श्री राम गोविन्द व माननीय रियासत साहब क्या इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द--

जी नहीं ।

श्री रियासत हुसैन--

जी नहीं ।

श्री राम सजीवन सिंह--

हमारे अभी विरोध पक्ष के साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये और हमारी नीयत पर जो शंका व्यक्त की, उससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मान्यवर, शासन की ओर से बड़े शुद्ध हृदय से यह सोचा गया था कि हमारे देश की आजादी की प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने योगदान दिये और देश की रक्षा की और जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो किन्हीं कारणों से अपने घरों को वापिस आ गये थे, उनको भी सम्मान मिले और उनको भी प्रतिनिधित्व मिले तो बड़ी अच्छी नेक-नीयती से यह प्रस्ताव हम लाये हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे हमारे साथियों ने जो शंका व्यक्त की है हमारी नीयत के खिलाफ वह अच्छी बात नहीं है ।

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने अभी मतदान की बात कही है कि यदि मतदान का अधिकार उन्हें न मिला तो हमारा समर्थन है । मान्यवर, लोकतंत्र में यह बड़ा अशोभनीय होगा किसी से मतदान का हक छीन लिया जाय । मान्यवर, कांग्रेस ने पहला कदम यही उठाया था प्रत्येक नागरिक को अपने मत को देने का अधिकार है । आज वर्मा जी कहते हैं जब कि इसी आधार पर वे चुने हुए यहां बैठे हुए हैं और अब कहते हैं कि मतदान का अधिकार न हो । माननीय रियासत हुसैन ने और अन्य साथियों ने जो यह संकल्प रखा है और जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं इन दोनों का विरोध करता हूं और अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि वह निर्विवाद होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ताकि हम जल्दी से जल्दी जिला परिषद् के चुनाव करा सकें ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो इन्होंने जिक्र किया है उसमें इन्होंने उनकी कोटि निर्धारित कर रखी है कि इन-इन को हम लेंगे । तो कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे भी हैं जिन्होंने विद्यार्थी होने की हैसियत से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और परिणामस्वरूप वे कालेज से निष्कासित कर दिये गये । तो क्या आप उन विद्यार्थियों को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में लेने का प्रयास करेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह--

मान्यवर, जो हमारे साथी हैं स्वतंत्रता की लड़ाई में परिभाषित हैं, उनको हम जरूर लेने की कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्य देश, 1984 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 तथा 3

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (2) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 6 का संशोधन

"धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपधारा (1) में उल्लिखित सदस्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, निम्नलिखित को क्षेत्र समिति के सदस्य के रूप में अनुमेलित करेंगे, अर्थात्—"

3—मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

धारा 18 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खंड (4) में, उपखंड (ख) में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष या प्रशासक" रख दिये जायेंगे; और

(दो) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(5) पांच से अनधिक उतने व्यक्ति जितने विनिर्दिष्ट किये जायें, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चुना जायगा, जिसमें से एक व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से होगा, एक व्यक्ति भूतपूर्व सैनिकों में से और शेष व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यावसायिक कार्यों में लगे हुये व्यक्तियों में से होंगे ।

स्पष्टीकरण :—इस खंड के प्रयोजनार्थ—

(क) 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया हो और जो ऐसे कार्यकलापों में भाग लेने के कारण—

(1) कम से कम दो मास की अवधि के लिए कारावास का दंड भुगत चुका हो; या

(2) विचाराधीन कैदी के रूप में या नजरबन्दी कैदी के रूप में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए जेल में निरुद्ध किया गया हो; या

(3) फरार घोषित किया गया हो; या

(4) गोली से घायल हुआ हो; या

(5) कम से कम दस कोड़े की सजा पाया हो;

और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने "पेशावर कांड" में भाग लिया हो, या जो आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सिपाही या इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसने क्षमा मांगी हो,

(ख) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय संघ के सशस्त्र बल में किसी भी श्रेणी (रैंक) में (चाहे योधक या अनायोधक) के रूप में कम से कम छः मास की निरन्तर अवधि के लिए कार्य किया हो और दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त किये जाने से भिन्न रूप में निर्मुक्त किया गया हो" ;

(ख) उपधारा (2) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायगा, अर्थात्—

"उपधारा (1) में उल्लिखित सदस्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, निम्नलिखित को जिला परिषद् के सदस्यों के रूप में अनुमेलित करेंगे—"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड 2 और 3 इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड 4

निरसन और अपवाद	4—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 41 सन् 1983

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री रामेश्वर प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जाय :—

निरसन और अपवाद	"4—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 3 सन् 1984

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा—

संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।"

श्री अध्यक्ष--

क्या आपको मंत्री जी स्वीकार हैं ?

श्री राम सजीवन सिंह--

जी हां, हम स्वीकार करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जाय :--

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1984 निरसन और प्रपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा ।

(2) धारा 3 बारह अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 के खन्ड (क) के उपखन्ड (एक) और खन्ड (ख) 8 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे, धारा 3 के खन्ड (क) का उपखन्ड (दो) 12 अक्तूबर, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम संजीवन सिंह--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष --

नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना जो प्रदेश में चेचक की बीमारी से सैकड़ों बच्चों के मरने के सम्बन्ध में है, स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है ।

[समय 5 बजकर 30 मिनट]

श्री चतुर्भुज त्रिपाठी, जनरल सेक्रेटरी, जनता पार्टी, कानपुर देहात को पुलिस द्वारा डकैती का झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

सूचना राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

प्राप्त सूचनानुसार श्री चतुर्भुज त्रिपाठी पुत्र श्री राम विलास, निवासी अजई पुरवा को दिनांक 21-3-84 को कानपुर नगर के मेस्टन रोड मंदिर के पास से थानाध्यक्ष, रूरा द्वारा थाना रूरा के अपराध संख्या-41/84 अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 में नामजद अभियुक्त होने के कारण बन्दी बनाकर उसी दिन जेल भेजा गया था । अतः यह कहना सही नहीं है कि श्री चतुर्भुज त्रिपाठी को दिनांक 17-3-1984 को ग्राम बनीपुर, थाना रूरा से गिरफ्तार किया था तथा श्री त्रिपाठी को बन्दी बनाने की स्थानीय पुलिस की कोई योजना थी । श्री चतुर्भुज त्रिपाठी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है ।

यह सही है कि विभिन्न विरोधी राजनैतिक दलों द्वारा थाना रसूलाबाद क्षेत्र में तथाकथित फर्जी मुठभेड़ में 4 व्यक्तियों के मारे जाने के मामले को समाचार पत्रों आदि में वक्तव्यों द्वारा उठाया गया था तथा दिनांक 26-3-84 को आन्दोलन की घोषणा की गई थी किन्तु राजनैतिक दलों के उक्त प्रकरण से सम्बन्धित वक्तव्यों अथवा आन्दोलन की घोषणा से श्री त्रिपाठी की इस संदर्भित अपराध के लिए गिरफ्तारी का कोई सम्बन्ध नहीं है । श्री राम आसरे अग्निहोत्री, अध्यक्ष, जिला जनता पार्टी, कानपुर देहात तथा उनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात से मिले थे तथा दिनांक 22-3-84 को पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण करके घटनास्थल पर ही खुली जांच की गई । उनकी जांच से भी घटना और नामजदगी प्रथम दृष्टया सही पाई गई । अभियोग की विवेचना प्रचलित है । पुलिस द्वारा की गई उक्त कार्यवाही से क्षेत्र की जनता में और राजनैतिक कार्यकर्ताओं में भय, असुरक्षा, असंतोष और अविश्वास व्याप्त होने जैसी कोई स्थिति नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी अपने वक्तव्य में देखें कि अपराध सं0 41/84 अन्तर्गत धारा

395-397 में नामजद अभियुक्त होने के कारण बन्दी बनाकर उसी दिन जेल भेजा गया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने एफ0आई0 आर0 लिखायी है उसका नाम क्या है, मेरी जानकारी है कि उसका नाम दुलारे है और वह किरोसिन आयल का व्यापारी है, उसके खिलाफ चतुर्भुज त्रिपाठी ने दरख्वास्त दी, जिसकी इनक्वायरी डी0 एस0 ओ0 के द्वारा हुई । उसकी सिफारिश श्री मुन्नालाल कटोरिया ने लिखी थी उसने नवम्बर 2 पर एक बयान हल्फी दिया । पैरा 6 में त्रिपाठी जी ने उस पर लिखा है कि यह सिर्फ ही अपराधी प्रकृति का था जो पिछले वर्ष रूरा में तैनात था और बनीपारा में दीपावली में शिव दुलारे के यहां जुआ खिलवाता था और रुपया लेता था । उसकी शिकयत शिकायतकर्ता ने उच्च-धिकारियों को भी की थी । तीसरी बात यह है कि एक जमीन के एन्क्रोचमेन्ट का मामला भी उसके ऊपर था । 1-12-83 को शिव दुलारे के खिलाफ इसकी शिकायत की थी । ये चीजें ऐसी हैं जो शिव दुलारे के खिलाफ त्रिपाठी जी ने की हैं और उसी से नाराज होकर पुलिस ने शिव दुलारे, जिसने एफ0 आई0 आर0 लिखायी, उसके जरिये चतुर्भुज त्रिपाठी के खिलाफ कार्यवाही की है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी गई है वह शिव दुलारे द्वारा लिखायी गयी है । इसकी जांच करायी गयी और आरोप सही पाये गये हैं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस वक्तव्य में प्रथम पैरा के अन्त में माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि श्री चतुर्भुज त्रिपाठी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस आपराधिक इतिहास का क्या विवरण है, कितने मुकदमें हैं, कौन-कौन हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, श्री चतुर्भुज त्रिपाठी के खिलाफ सन् 1971 से लेकर सन् 1983 के बीच लगभग 10 मुकदमें हैं जिसमें डकैती, हत्या, आगजनी आदि सभी हैं । आप कहें मान्यवर, तो मैं क्रमवार अपराध संख्या और धारायें भी बता दूं यदि माननीय रियासत साहब सुनने के लिए तैयार हों..

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं बता देता हूं, जो इस प्रकार हैं :--

1--अपराध संख्या 44/82 धारा 143/336/323 ।

2--अपराध संख्या 40/77 धारा 147/148/324/323 ।

3--अपराध संख्या 77/72, धारा 147/307/302 ।

4--अपराध संख्या 168/71, धारा 392

5--एन0 सी0 आर0 223/82, धारा 504/506

6--एन0 सी0 आर0 224/82, धारा 323/504/506

7--एन0 सी0 आर0 226/82, धारा 504/506

8--मु0 अ0 सं0 220/80, धारा 147/148/307

(व्यवधान)

मान्यवर, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, रियासत साहब को बताना चाहता हूं उनको राय देना चाहता हूं....

(व्यवधान)

रियासत हुसैन--

आप राय मत दीजिये, सवाल का जवाब दीजिये ।

श्री मोतीलाल बेहलवी--

माननीय मंत्री जी ने श्री चतुर्भुज त्रिपाठी का अपराधिक इतिहास कई मामलों में गिनाये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में वे अदालत से दंडित हुए हैं ? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या चतुर्भुज त्रिपाठी के पास लाइसेन्सी बन्दूक और लाइसेन्सी पिस्तौल है और यदि हां, तो ऐसे अपराधिक व्यक्ति को कैसे लाईसेन्स दे दिया और अगर दे भी दिया गया तो आपने आज तक उस लाइसेन्स को निरस्त क्यों नहीं किया ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इसके विस्तार पर जाने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जब यह सूचना देंगे तो उनको रिवाल्वर या बंदूक का लाइसेन्स कब दिया गया दूसरा यह जो कहा गया है कि पुलिस द्वारा झूठे आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया, मैं जानकारी चाहूंगा कि जो-केसेज माननीय मंत्री जी ने उनके खिलाफ बताये हैं क्या उसमें इन चार व्यक्तियों की मुठभेड़ में मारे जाने के विरोध में जो आंदोलन का नोटिस दिया है वह उसमें दिया है कि इसके विरोध में वे आंदोलन कर रहे हैं और उसके विरोध में पुलिस उनको फंसाना चाहती है यह उन्होंने लिख कर दिया है ?

श्री प्रमोद कुमार--

जो चतुर्भुज त्रिपाठी ने प्रार्थना-पत्र दिया है उसमें ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि चार व्यक्तियों की जो हत्या की गयी है जिसको इनकाउन्टर में मारा गया दिखाया गया है उसके विरुद्ध आंदोलन करने पर उत्तेजित होकर पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है।

श्री रियासत हुसैन--

जो चार व्यक्तियों का फर्जी इन-काउन्टर किया गया है उसके विरुद्ध श्री जनेश्वर मिश्र, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री छोटे लाल यादव, भूतपूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने एक जन सभा 22-2 84 को वहां की थी जिसका आयोजन श्री चतुर्भुज त्रिपाठी ने किया और उसके साथ ही 5-2-84 को बनोपरा में किसान मेला हुआ था जिसमें तय किया गया था कि 26-3-84 को डी0 आई0 जी0 के यहां प्रदर्शन किया जायेगा, इन फर्जी इनकाउन्टर्स को लेकर जिसकी सूचना पहले दी गयी थी और इस 26 तारीख से पहले ही 21 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लिया गया ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह मैंने स्पष्ट किया कि वाकयी में उसके खिलाफ राजनीतिक आंदोलन किया जा रहा है। कई राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द--

यह झूठा आरोप है, इनकी पुलिस उद्दंड हो गयी है। हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

उस प्रकरण में मैजिस्ट्रीयल जांच हो रही है उससे सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री राम गोविन्द--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा रियासत साहब ने कहा कि जो किसान मेला लगा था रसूलाबाद में जिसमें फर्जी इनकाउन्टर में मारे गये चार लोगों के विरुद्ध जन सभा हुई थी जिसमें माननीय राज नारायण जी और मैं तथा छोटे लाल यादव, जो भूतपूर्व मंत्री भी शामिल थे तय किया कि जो

फर्जी मुठभेड़ का मामला है उसको उजागर करने के लिए जनआंदोलन छेड़ा जायेगा। जिसका आयोजन केवल जनता पार्टी के महामंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा के प्रयास से हुआ है जिसमें 50 हजार लोगों ने भाग लिया। तो इस प्रदर्शन की बातों से विवश होकर पुलिस ने श्री चतुर्भुज त्रिपाठी को इस मामले में फंसाया है, क्या यह सही है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, माननीय राज नारायण जी बहुत बड़े नेता हैं और चौधरी साहब भी बहुत बड़े नेता हैं लेकिन इनकी गिरफ्तारी से उस मुठभेड़ का कोई वास्ता नहीं है। जो गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी, जिनके विरुद्ध डकैती के मामले में नामजद रिपोर्ट है। तो इस पर पुलिस का कर्तव्य हो जाता है कि जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो उसमें सी0 ओ0 और क्षेत्राधिकारी जांच करके सही पाये तो उसको गिरफ्तार करना पुलिस का नैतिक कर्तव्य है।

(व्यवधान)

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप चुपचाप बैठें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम गोविन्द जी आप कृपया बैठें।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि श्री राम गोविन्द चौधरी ने मंत्री जी के लिये कहा है कि यह इतने निरंकुश और बेलगाम हैं, इसलिये यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

यदि कोई ऐसा शब्द कहा होगा तो कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। आप बैठें।

श्री भोला लाल--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है, यदि नहीं जानकारी है तो जांच करायेंगे कि, धारा 395/397 का मुकदमा जो मुद्दई श्री शिव दुलारे है वह तेल का डीलर है और उसके खिलाफ ब्लैकमार्केटिंग का मुकदमा है, डी0 एस0 ओ0 ने धारा 307 का मुकदमा चलाया और उसमें श्री चतुर्भुज त्रिपाठी गवाह हैं, इसलिये क्या जांच करायेंगे कि संबंधित थाने के थानाध्यक्ष से श्री शिव दुलारे ने दबाव डलवाया त्रिपाठी पर कि वह गवाही न दे, इसलिए पुलिस और शिव दुलारे की सांठ-गांठ से डकैती में त्रिपाठी को नामजद कराया ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, क्षेत्राधिकारी से इस संबंध में कहा गया था कि मौके पर देखें कि नामजदगी सही है कि नहीं, तो उनकी रिपोर्ट आई कि सही है। पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर गये थे और जांच किया तो नामजदगी प्रथम दृष्टया सही पायी गयी। इसलिये कदम-कदम पर सतर्कता बरती गयी और बरती जा रही है और किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जायेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या मंत्री जी को विदित है कि नहीं कि शिव दुलारे को लेकर एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी और उनके साथ श्री राधेश्याम, जो कांग्रेस के पार्लियामेंट के 1977 में कैन्डीडेट थे, हार गये थे, अब ब्लाक प्रमुख हैं, शिव दुलारे के साथ रिपोर्ट लिखाने गये थे। क्या मंत्री जी को नोटिस में यह बात है कि नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, उत्तर संतोषजनक नहीं आ रहे हैं। मंत्री जी जो बताना नहीं चाहते हैं उसमें कह देते हैं कि सूचना नहीं है जैसे पूछा गया कि वह लाइसेंसदार है कि नहीं तो कह दिया कि जानकारी नहीं है जबकि उनके आपराधिक इतिहास को बता रहे हैं, इसलिये उत्तर ठीक से मंत्री जी दें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जो पूछा था कि कौन रिपोर्ट लिखाने आया था तो मैं बताना चाहता हूं कि लक्ष्मन के साथ सुरेश गुप्ता गये थे।

श्री रियासत हुसैन--

श्री चतुर्भुज त्रिपाठी का लाइसेंसदार बंदूक या पिस्टल किसका है, यह नहीं बताया लेकिन आपराधिक इतिहास को बता दिया, उसका लाइसेंस निरस्त करने के संबंध मे नहीं बताते हैं और कह रहे हैं कि सूचना नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी सी0 आई0 डी0 से करायें ताकि दूध में से दूध और पानी अलग-अलग हो सके और वहां जो आंदोलन चल रहा है वह समाप्त हो सके।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, चूंकि इसमें उच्च अधिकारी संतुष्ट हैं और जांच चल रही है, इसलिए सूझबूझ से कार्यवाही की जायेगी और सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मंत्री जी जानबूझकर उत्तर देने से एवाइड कर रहे हैं, इसलिये जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक राजनैतिक कार्यकर्ता का फर्जी इतिहास बताकर जान बूझकर उसको फंसाना चाहते हैं, और मंत्री जी जांच नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा भी इसके विरोध में सदन का त्याग करता है।

(श्री मोहन सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

पुलिस हमेशा निरपराध लोगों को फंसाती है। इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ भी पुलिस ने किया था। मुझ पर स्वयं पुलिस ने ऐसा अपराध दिखाया है। इसका मुझे भी अनुभव है, लेकिन आप

(व्यवधान)

मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट भी सदन को त्याग कर चले गये।)

[समय 5 बजकर 50 मिनट]

एक पुलिस के सिपाही के साथ लगभग डेढ़ दर्जन सशस्त्र डकैतों द्वारा ग्राम बिलियापुर, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात निवासी श्री प्यारे लाल के मकान को लूटने व अपहरण के सम्बन्ध में वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

ग्राम बिलियापुर, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात निवासी श्री प्यारे

लाल के घर हुई तथाकथित डकैती तथा उनके भाई के अपहरण आदि से संबंधित आरोप की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र द्वारा कराई गई। जांच से सम्पूर्ण मामला असत्य एवं निराधार पाया गया। वास्तविकता यह है कि सम्पूर्ण मामला श्री राम आसरे और उनकी पत्नी श्रीमती आशा देवी तथा उनके परिवारों के मध्य विद्यमान कटुता एवं तनाव के कारण सृजित हुआ है। श्रीमती आशा देवी को उनके पति श्री राम आसरे द्वारा अपने घर न लिवा जाने के संबंध में ग्राम बिबियापुर में दिनांक 5 व 9-3-1984 को पंचायत हुई थी जिसमें श्रीमती आशा देवी का मामा हेड कांस्टेबिल श्री राधे लाल भी उपस्थित था। पंचायत के फैसले के अनुसार श्री राम आसरे अपनी पत्नी श्रीमती आशा देवी को दिनांक 9-3-1984 को विदा करा कर अपने साथ ले गये। बाद में कानपुर में श्री राम आसरे के भाई श्री प्यारे लाल ने एक षंडयन्त्र रचकर श्री राम आसरे व व उनकी पत्नी को कहीं छिपा दिया तथा जिलाधिकारी, कानपुर देहात को एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें डकैती, लूट अपहरण आदि के आरोप लगाये गये थे। इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 386/382/347 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।

दिनांक 6 अप्रैल, 1984 को श्री राम आसरे और उनकी पत्नी को बरामद किया गया। दोनों सही सलामत हैं और साथ रह रहे हैं। इन दोनों लोगों ने भी जांच के दौरान उक्त प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों को झूठा बताया है।

इस संबंध में क्षेत्र में किसी प्रकार की चिन्ता या भय व्याप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जिस हेड कांस्टेबुल का जिक्र वक्तव्य में किया गया है वह कहां तैनात हैं? जब यह बताया जाता है कि पंचायत में वह गये थे, तो उनकी रवानगी जी0 डी0 में कहां के लिए दर्ज थी? इसके पूर्व के श्री चतुर्भुज त्रिपाठी वाले वक्तव्य में मंत्री जी ने कहा है कि अगर खिलाफ मुकदमा कायम है, तो इसमें भी इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, तो जिलाधिकारी के आदेश पर इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई?

श्री प्रमोद कुमार--

यह कांस्टेबुल श्री राधे लाल, इस समय लखनऊ में तैनात हैं। उस दिन वह छुट्टी पर थे। जहां तक उनकी गिरफ्तारी होने की बात है यह प्रकरण फतेहपुर और कानपुर से है इसमें विवेचना की जा रही है। दोषी होंगे तो निश्चित रूप से इनको गिरफ्तार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

क्या अंसारी जी आपकी दाढ़ी में जूं हैं जो खुजा रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मंत्री जी ने जो कहा है कि प्यारे लाल के भाई राम आसरे ने अपनी पत्नी को विदा करा लिया, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस समय पंचायत थी, क्या उसी समय से यह राम आसरे गायब हुए या पंचायत के बाद से गायब हुए? कब गायब हुए थे? पंचायत के समय जिसका अपहरण हुआ वह कहां था यानी राम आसरे?

श्री प्रमोद कुमार--

यह पंचायत 6-3-1984 को हुई और यह 17-18 को गायब हुई। इससे स्पष्ट है कि यह बाद में हुए। उस वक्त कहां थे, यह बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई सूचना जी0 डी0 में नहीं होती।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, वास्तविकता यह है और आप भी जानते होंगे कि जब किसी मामले में पुलिस इन्वाल्वड होती है, तो पुलिस बिरादरी अफसर तक उसको बचाने की कोशिश करते हैं। यह मामला गम्भीर था क्योंकि एक डकैती के मामले में पुलिस को पहचान लिया गया था। तो जाहिर है पहले यहां पर जो थाना इंचार्ज चंदल साहब हैं, उन्होंने राम आसरे भाई प्यारे लाल के साथ सौदा पटाया कम से कम 20 हजार रुपया दे दो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आ जायेगा। 10 हजार रुपये तक में मामला तय हुआ, लेकिन वह 10 हजार रुपया दिया नहीं गया। इसके बाद डी0 आई0 जी0 मौके पर गये और उन्होंने यह दबाव डाला कि पुलिस को इस मामले से हटा दो तो हम जो दूसरे अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो मैं जानना यह चाहता हूं कि जब पुलिस का नाम उसमें आ गया और आपकी भी जानकारी में वह था तो पुलिस को निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इसकी गम्भीरता को देखते हुये ही और यह देखते हुए कि यह हरिजन का मामला है, डी0 आई0 जी0 श्री श्याम लाल को स्वयं मौके पर जांच के लिये भेजा गया, मगर उन्होंने यह पाया कि डकैती पड़ी ही नहीं। जिसका अपहरण होना बताया जाता है वह स्वयं कहता है कि उसका अपहरण नहीं हुआ, उसका पिता यह कहता है कि हमारे यहां डकैती नहीं पड़ी।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इस थाने मूसानगर का जो एस0 ओ0 है उसका अपराधिक इतिहास रहा है। भूतपूर्व एस0 पी0, कानपुर ने उसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है और उसका सम्बन्ध कुख्यात डकैतों तक के साथ होना बताया है। लालाराम गिरोह से उसका सम्बन्ध था यह लिखा है। तो एक साल के अन्दर ही ऐसे व्यक्ति को वहां पर एस0 ओ0 रखने के आदेश किसने दिये ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जिले के पुलिस अधीक्षक ही हर एक की कार्यकुशलता, उसके कार्य, उसकी योग्यता आदि को देखकर किसी थाने में थाना आफिसर के पद पर नियुक्ति करते हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि यह झूठा मामला पाया गया, तो जब यह झूठा मामला था तो झूठी रिपोर्ट लिखाने वालों के खिलाफ भी कोई मुकदमा चलाया गया ?

श्री प्रमोद कुमार—

इस पर विचार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

उग्रवादी सिख युवकों द्वारा बस व ट्रेनों को लूटने के प्रयास सम्बन्धी होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं मुल्तवी करता हूं। शासन से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने मुझे लिखा है। इस पर 17 तारीख को वक्तव्य आयेगा।

जनपद लखनऊ में नगराम की पुलिस द्वारा कथित पिटाई से चमन लाल नामक युवक की मृत्यु सम्बन्धी वक्तव्य का स्थगन

(मुख्य मन्त्री को पुकारे जाने पर।)

श्री भोला लाल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मैंने जनपद लखनऊ में नगराम की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई किये जाने से चमन लाल नामक युवक की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी जिस पर यह वक्तव्य है। लेकिन आप देख लें। जनपद बहराइच के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जा रहा है। यह एजेन्डे में नहीं है। बहराइच के साथ लखनऊ को जोड़ दिया गया है। यह एजेन्डे में नहीं है। तो दोनों सूचनाओं को नियम 51 में एक साथ कैसे वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह क्या स्थिति है।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, आपने आदेश दिया था, इसी में दोनों घटनायें समाहित हैं।

श्री संत बख्श रावत—

यह अलग-अलग घटनायें हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या यह दोनों घटनायें अलग-अलग हैं ?

श्री भीखा लाल—

अलग-अलग हैं। कल के लिये मुलतवी कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको कल देखूंगा। कल इस पर वक्तव्य होगा।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह दोनों घटनायें एक साथ प्रकाश में लायी गयी हैं। तो इनका जवाब भी एक साथ आया है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह दो घटनायें हैं। एक साथ कैसे हो जायेगा ? यह लोकमहत्व को दो अलग-अलग विषय हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं कल लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आपकी जैसी आज्ञा लेकिन मैं इसको स्पष्ट कर दूं। नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचना दी गयी है उसको मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—

कल सुनाइयेगा।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, देख तो लें।

श्री अध्यक्ष—

आप और हम दोनों कल देख लेंगे।

स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों से छूआ-छूत मानने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप देखें नियम 51 में अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना। कोई सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना सचिव को उपवेशन प्रारम्भ होने के एक घंटा पूर्व दे सकेंगे। ऐसी सूचना दिव-प्रतीक होगी।

मान्यवर, घटना महत्वपूर्ण होनी चाहिये और अविलम्बनीय लोकमहत्व की होनी चाहिये। आप देखें यह जो वक्तव्य है वह एक टाइप लेटर के ऊपर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। फर्जी लेटर किस तरह बनाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किस तरह किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

इस सूचना को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है। जब वक्तव्य हो जायेगा तब मैं आपको मौका दूंगा।

श्री मोहन सिंह--

आप मान्यवर, सुन तो लें। मैं आपके विवेक को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इस तरह की सूचनायें वक्तव्य के लिये स्वीकार हो जाती हैं तो जो अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचनायें हैं जो ज्यादा लोगों को प्रभावित करती हैं वह कट जाती हैं। मैं आपके विवेक को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके पास इतना लम्बा चौड़ा कार्यालय है। सूचना स्वीकार करते समय सूचना की अविलम्बनीयता और विश्वसनीयता, दोनों की परीक्षा करके आपको करना चाहिये था। इस पर मैं आपत्ति करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको देख लिया है। बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसमें सच्चाई है।

*प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

श्री मुन्शी लाल विधायक ने अपने शिकायती-पत्र दिनांक 6-6-83 में श्री एस0 के0 पान्डे प्रशासनिक अधिकारी, स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के विरुद्ध जातिवाद फैलाने एवं हरिजनों के दमन करने का आरोप लगाते हुए सूचित किया है कि श्री पांडे ने कालेज के ग्राउन्डमैन को एक पत्र लिख कर यह कहा है कि उनके घर भेजे जाने वाले पूजा के फूल हरिजन कर्मचारी द्वारा न भेजा करें। विधायक ने श्री पांडेय का कथित पत्र भी संलग्न किया है, जो एक टंकित पत्र की फोटोस्टेट प्रति है।

2--इस प्रकरण में निदेशक, खेलकूद द्वारा जांच की गई है, निदेशक ने यह कहा है कि उन्होंने कालेज के प्रधानाचार्य (श्री सिरोही) से उक्त शिकायती पत्र के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया और प्रशासनिक अधिकारी (श्री पांडेय) द्वारा ग्राउन्डमैन को लिखे गये पत्र का अवलोकन भी किया है। उन्हें कालेज में हरिजन कर्मचारी के दमन सम्बन्धी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सके हैं। उन्होंने कई बार कालेज जाकर वहां का निरीक्षण किया है और कालेज का वातावरण संतोषजनक पाया है।

निदेशक ने यह भी कहा है कि श्री एस0के0 पांडेय, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ग्राउन्डमैन को लिखा गया पत्र, यदि शासन को मूल रूप में प्राप्त हुआ हो तो हस्तलेख विशेषज्ञ से उसका परीक्षण करवा लिया जाय।

3--एस0 के0 पांडेय, प्रशासनिक अधिकारी, स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ द्वारा ग्राउन्डमैन को लिखा गया कथित पत्र श्री पांडेय की हस्तलिपि में नहीं है, बल्कि टंकित पत्र की फोटोस्टेट प्रति है। अतः हस्तलेख विशेषज्ञ से परीक्षण कराने का प्रश्न नहीं उठता। सामान्य ज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी अधिकारी किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक छोटे से काम के लिये टंकित करा के पत्र नहीं भेजेगा, बल्कि छोटी सी पर्ची पर हाथ से ही लिखना पसन्द करेगा। इसके अतिरिक्त "ग्राउन्डमैन जी" नहीं लिखेगा। यदि माननीय सदस्य के पास श्री पांडेय द्वारा कालेज के ग्राउन्डमैन को लिखे गये कथित पत्र, जिसकी फोटोस्टेट प्रति संलग्न की गई है, की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हो तो वे कृपया शासन को उपलब्ध करा दें ताकि आवश्यक जांच कराई जा सके। चूंकि निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि कालेज का वातावरण संतोषजनक है और हरिजनों का दमन एवं शोषण नहीं हो रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः निदेशक की आख्या के आधार पर मामले को समाप्त कर दिया गया है ।

श्री शेर बहादुर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वक्तव्य में यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि हमारे निदेशक महोदय ने सम्बन्धित अधिकारी से पूछा कि आपका सिगनेचर है कि नहीं जिसे सम्बन्धित अधिकारी ने उसको इनकार किया हो कि उनका सिगनेचर नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण देने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जो उनका पत्र है श्री एस0 के0 पान्डेय का, वह फोटोस्टेट कापी ही इस समय उपलब्ध है और जो ओरिजिनल पत्र है, वह इस समय उपलब्ध नहीं है, तो हस्ताक्षर कोई भी विशेषज्ञ उसको प्रमाणित नहीं कर सकता । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि कोई भी कागज, जिस पर उनका सिगनेचर हो, उसको निकाल कर, उसको किसी भी कागज पर चिपका कर, टंकित करा कर, उसकी फोटोस्टेट कापी ली जा सकती है । मान्यवर, ओरिजिनल पत्र की कापी अगर मिल जाय, तो पूरा तथ्य उजागर हो जायगा ।

श्री भीखा लाल--

निदेशक महोदय ने जांच पड़ताल की उन्होंने प्रधानाचार्य से बात की, पान्डेय जी से बात की, क्या निदेशक महोदय ने उस ग्राउन्डमैन से बात की, जिसका जिक्र वक्तव्य में कहीं पर भी नहीं है और यह लिखा गया है कि हरिजनों में कोई असंतोष नहीं है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर कितने हरिजन हैं और क्या उन हरिजनों से पूछा गया और उनसे इस बारे में जानकारी की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जांच पूरी तरह से की गयी, उसमें सम्बन्धित सभी लोगों से बातचीत की गयी और इस बात को देखा और जब निराधार पाया, तभी इस बात को समाप्त किया गया ।

श्री राज कुमार राय--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह पूरा मामला इस बात पर था कि एक विधायक ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उन्होंने यह पत्र लिखा, तो क्या माननीय विधायक मुन्शी लाल जी से मूल प्रति मांगी गयी ? क्या मिस्टर पान्डेय से इसके बारे में पूछा गया ? क्या वह अपना हस्तलेख डिनाई कर रहे हैं ? किन प्रमाणों पर वह कह रहे हैं कि उनका हस्ताक्षर नहीं था ? दूसरा यह है कि अगर पान्डेय से पूछा गया होता और जब वह स्वयं ही उसको स्वीकार कर लेते, तो इक्सपर्ट के पास भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी ।

श्री सुनील शास्त्री--

इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर दूं कि हस्तलिपि में वह पत्र नहीं है, यह टाइप्ड लेटर है । हस्त विशेषज्ञ की इसमें आवश्यकता नहीं है हस्ताक्षर कहीं भी चिपकाया जा सकता है . . .

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

आप स्वयं देखें यह पत्र जिसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है । एक प्रशासनिक अधिकारी सुरेन्द्र कुमार पांडेय अपने नीचे के बहुत छोटे कर्मचारी को लिख रहा है, ग्राउन्ड मैन जो आपसे बात करनी थी, ज्ञात हुआ कि लखनऊ गये हैं । लखनऊ में एक बैठा हुआ अधिकारी अपने नीचे बहुत छोटे कर्मचारी को ग्राउन्ड मैन जो आपसे बात करना बहुत जरूरी था, लखनऊ गये हैं । इसका व्याकरण, इसकी शब्दावली, सम्बोधन का तौर तरीका देखें । कुछ लोगों ने साजिश करके एक

योजना के तहत, जनहित का सवाल तो उठा नहीं सकते हैं, हरिजन उत्पीड़न हो गया, ब्लैक मेल करने के लिये फोटो स्टेट पत्र देकर, एक अधिकारी को फंसाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति ने टाइप कापी की फोटो स्टेट कराकर एक अधिकारी को फंसाने की चेष्टा की है, ऐसे फर्जी काम करने वालों की सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी जो मूल पत्र है, जिसका जिक्र है, वह आपकी पत्रावली में है, अपने कहा नहीं है। कृपया पत्रावली मेरे सचिव के पास भेज दें ताकि मैं देख सकूं कि जो पत्र लिखा गया है, जिसकी फोटो स्टेट कापी दी गई है, वह है या नहीं। उसके बाद निर्णय हो सकेगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय मोहन सिंह ने एक अच्छी बात रखने की कोशिश की। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पत्र दिनांक 6-6-83 को मुन्शी लाल ने मुख्य मंत्री को लिखा और इस पत्र को के0 सी0 मिश्रा, विशेष सचिव ने 8-7-83 स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को भेज दिया, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने 11-7-83 उपसचिव को भेजा। उपसचिव के द्वारा जो पत्र भेजा गया क्या वह स्पोर्ट्स कालेज के प्रिंसिपल को प्राप्त हुआ। क्या सेक्शन डिस्पैच में यह लेटर है। स्पोर्ट्स कालेज के प्रिंसिपल को क्या वह पत्र प्राप्त हुआ यदि प्राप्त हुआ, तो अब तक क्या जांच उन्होंने की? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सम्पूर्ण पत्रावली आपके पास प्रस्तुत कर दी जायेगी। उसमें सब देख लीजियेगा। मैं समझता हूं कि इसमें और विवाद अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
11 अप्रैल, 1984

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर।)

निम्नांकित संस्थाओं में फर्जी एवं संदिग्ध अनुदान के भुगतान के मामले प्रकाश में आये हैं। (वर्ष 1981-82)

.....

(1) ग्रामीण विद्यापीठ जूनियर हाई स्कूल, बारा	छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता
(2) ग्राम विकास विद्यापीठ जूनियर हाईस्कूल, गौरी भगवन्तपुर	,,
(3) जय किसान ग्रामीण विद्यापीठ जूनियर हाईस्कूल, हथिका कौढवा	छात्रवृत्ति पुस्तकीय सहायता तथा क्षतिपूर्ति अनुदान
(4) श्री एम0 के0 जूनियर हाईस्कूल, हाजीपुर, पकरा	छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता
(5) श्री शिव सहाय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कौरु फुरदपुर	,,
(6) श्री मालवीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुनीसापुर	,,
(7) श्री दयानन्द जूनियर हाईस्कूल, मिलकिनपुर	,,
(8) श्री सुभाष स्मारक विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, घाटमपुर	,,
(9) सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनियर हाईस्कूल, कल्ला	,,
(10) जनकल्याण जूनियर हाईस्कूल, उरसान	,,
(11) जनता जूनियर हाईस्कूल, रमऊ	छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता
(12) श्री पातालेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बोहरापुर	,,
(13) मथुरा जूनियर हाईस्कूल, राजपुर	,,
(14) जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उमरपुर	,,

1982-83

.....

(1) दयानन्द हा0 से0 स्कूल, मिलकिनपुर	अधिक एवं अनियमित रूप से स्वीकृत छात्र-वृत्तियों पुस्तकीय सहायता एवं क्षतिपूर्ति अनुदान
(2) मथुरा जू0 हा0 स्कूल राजपुर	,,

(3) किसान औद्योगिक हा० से० स्कूल, अंगदपुर	अधिक एवं अनियमित रूप से स्वीकृत छात्रवृत्तियों, पुस्तकीय सहायता एवं क्षतिपूर्ति अनुदान
(4) शारदा देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डुडवा	"
(5) आदर्श कालन्दी जू० हा० स्कूल, मकरन्दपुर	"
(6) आदर्श माध्यमिक विद्यालय, कैथा	"
(7) जनता हायर सेकेन्ड्री स्कूल, मैथा	"
(8) जय भारत विद्यालय, अखडहा	"

निम्नलिखित संस्थाओं में फर्जी एवं संदिग्ध अनुदान के भुगतान की सम्परीक्षा में आपत्ति उठाई गई है

(1) जय किसान छात्रावास, हथका कोढ़वा	अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु संचालित छात्रावास हेतु स्वीकृत अनुदान

कानपुर शहर—

(1) श्री चन्द्र शेखर आजाद जूनियर हाई-स्कूल श्याम नगर, चन्दारी	क्षतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति
(2) चन्द्र शेखर आजाद जूनियर हाई स्कूल, ईदगाह कालोनी हर्ष नगर, कानपुर	"
(3) चन्द्र शेखर आजाद छात्रावास श्याम नगर चन्दारी	अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों हेतु संचालित छात्रावास हेतु स्वीकृत अनुदान
(4) चिल्डरेन हेवन छात्रावास किदवई नगर, कानपुर	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

क्रमांक	नाम	विवरण में अंकित जाति	वास्तविक जाति
1	कु0 गीता पुत्री श्री जगराम	बाल्मीकि	ठाकुर (सवर्ण)
2	,, लीलावती	चमार	पाल (पिछड़ी जाति)
3	,, आशा	बाल्मीकि	पाल (पिछड़ी जाति)
4	,, आशा	बाल्मीकि	पाल (पिछड़ी जाति)
5	,, यशोदा	धोबी	पाल (पिछड़ी जाति)
6	,, प्रभा	धोबी	पाल (पिछड़ी जाति)
7	,, रामकली	बाल्मीकि	पाल (पिछड़ी जाति)
8	,, रामरती	चमार	पाल (पिछड़ी जाति)
9	श्री गंगा राम	बाल्मीकि	पाल (पिछड़ी जाति)
10	कु0 कलावती	धोबी	लोधी (पिछड़ी जाति)
11	,, रामदुलारी	बाल्मीकि	ब्राह्मण (सवर्ण)
12	,, सीतारानी	बाल्मीकि	ठाकुर (सवर्ण)
13	,, फूल कुमारी	बाल्मीकि	लोधी (पिछड़ी जाति)
14	,, मोहिनी	चमार	लोधी (पिछड़ी जाति)

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

शाहजहांपुर जनपद की तहसील तिलहर के विकासखण्ड जैतीपुर, तिलहर एवं खुदागंज में हुई औद्योगिक प्रगति का विवरण

क्रमांक	मद	विकास खण्ड तिलहर			विकासखण्ड जैतीपुर			विकासखण्ड खुदागंज		
		1981-82	1982-83	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84
1	नव स्थापित इकाइयां	70	193	57	40	102	12	61	133	44
2	दो लाख की इकाइयां	—	—	1	—	—	—	—	—	—
3	पंजीकरण	60	85	35	3	2	3	19	10	11
4	बैंक ऋण (आवेदन पत्र भेजे गये)	20	11	4	—	—	—	—	—	3
5	एकीकरण ग्राम विकास योजना	34	113	153	13	61	53	17	81	100
6	ट्राइसम	3	5	31	—	4	8	—	19	9
7	सेवा व्यापार	—	—	245	—	—	82	—	—	91
8	मार्जिन मनी (रुपये)	—	—	50,000	—	—	—	—	—	50,000

टिप्पणी—सेवा व्यापार योजना वर्ष 1983-84 से ही प्रारम्भ हुई है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत बाल विकास परियोजना, विसण्डा के ग्रामों की सूची

क्रमांक	ग्रामों के नाम	क्रमांक	ग्रामों के नाम
1	पवई	16	दफ्तरा
2	कौनी	17	एकौला
3	इटरा मरौली	18	देतदान
4	उमरेहड़ा	19	बछौदा
5	सिकलोडो	20	कैरी
6	पिण्डखर	21	अभवा
7	पर्वतपुरवा	22	भडांव/कछियन पुरवा
8	खटौरा	23	डमैनी
9	पुनहूर	24	पारा
10	चन्द्रायल	25	कोरही
11	विसण्डा रूरल	26	बाया डेलापुरवा
12	पुरी	27	तेन्दुरा
13	लौली टीकामऊ	28	बल्लान
14	कुर्रा/सया	29	चौसड
15	साथी	30	नांदन मऊ
		31	लम्हेटरा/सिवहारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत बाल विकास परियोजना महुआ के ग्रामों की सूची

क्रमांक	ग्रामों के नाम	क्रमांक	ग्रामों के नाम
1	मनीपुर	17	शिवहद
2	बडोखर पुरवा	18	पंगम्बर पुर
3	नेवादा	19	बरसडाखुर्द
4	गिरवा	20	महुआ
5	सहेवा	21	घरोखर
6	बिलगांव	22	जमरेही
7	जल्मो	23	अजीतपारा
8	मकरी	24	विगहना
9	नाई	25	खुरहन्ड
10	बरसडा कु0	26	छिवांव
11	अजुननहि	27	सरखाह
12	शिवहद	28	सडैता स्योदा
13	बनसखा	29	इटराखुर्द
14	नगनेथी	30	नदना
15	समेरिया भिवेहा	31	जरेव
16	तेरा	32	बहोरा पुरवा

पी0 एस0 यू0 पी0—17 एल0 ए0—24-8-84—813—(पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा